राजस्थान विधान सभा

चौदहवीं बैठक, दिनाँक १७ मार्च, १९५३

सदन का कार्य ८ बज कर ३५ मिनिट पर प्रारम्भ हुआ।

(श्री नरोत्तमलाल जोशी, अध्यक्ष, पदासीन)

प्रश्न संख्या ४३१

श्री **अध्यक्ष**—श्री छीतर लाल ।

(प्रश्न कर्त्ता अनुपस्थित)

प्रश्न-संख्या ४३२

श्री **जसवन्तसिंह**—क्या सार्वजनिक निर्माण-मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे—

(क) बीकानेर डिवीजन में डूंगरगढ़ तहसील के गांव तोलियासर में तालाब का कार्य कई वर्षों से अधूरा पड़ा हुआ है और चालू वर्ष में इस कार्य को पूरा करने के लिये राज्य से उचित राशि की स्वीकृति होजाने पर भी काम अभी तक क्यों प्रारम्भ नहीं किया गया है ?

(ख) क्या मन्त्री महोदय इस कार्य को अविलम्ब आरम्भ करवाने के प्रश्न पर गंभीरतापूर्वक विचार करेंगे, विशेषकर ऐसी परिस्थिति में जब कि यह गांव इस साल भयंकर अकाल का शिकार है ।

(ग) यदि हां, तो कब तक ?

श्री **भोलानाथ**—इस तालाब के पेंदे को पक्का करने का काम बाकी है। उसके लिये पी. डब्ल्यू. डी. के तखमीने में कुछ त्रुटि रहने के कारण तखमीने की मन्जूरी में देरी हुई।

संशोधित तखमीना अब स्वीकार कर लिया गया है और कार्य सम्पूर्ण हो जावेगा, इसके लिये आदेश दिये जा चुके हैं ।

श्री **जसवन्तसिंह**—हम कब तक इसके काम शुरू होने की उम्मीद कर सकते हैं ?

श्री **भोलानाथ**—संशोधित तखमीने की मन्जूरी भेज दी गई है, टेन्डर मन्जूर होते ही काम शुरू कर दिया जायगा ।

श्री **जसवन्तसिंह**—क्या हम यह उम्मीद करें कि इस साल के बजट में इस काम को शु कर दिया जायगा ?

श्री **भोलानाथ**—नहीं, अब तो काफी देर हो गई है, सिर्फ १५ दिन ही इस वर्ष के शेष रहे हैं

श्री **जसवन्तसिंह**—इसकी मन्जूरी कब हुई थी ?

श्री **भोलानाथ**—यह मन्जूरी १९४८ में हुई बतायी जाती है किन्तु तखमीने में कुछ गड़बड़ी हुई है ।

श्री **जसवन्तसिंह**—जब इसकी मन्जूरी सन् अडतालीस में दे दी गई थी तो जो चार वर्ष समाप्त हो गये क्या इन चार वर्षों में तखमीना भी नहीं बन सका ?

श्री **भोलानाथ**—सारा तालाब पूरा बन चुका है । पंदे का तखमीना जो चार हजार रुपये का कूंता गया था वह ठीक नहीं था क्योंकि उसके लिये चवदह हजार की जरूरत थी ; इतनी गलती हुई है ।

श्री **अध्यक्ष**—नक्स्ट ।

प्रश्न संख्या ४३३

श्री **गुरुदयालसिंह सन्धु**—श्री मोतीराम ने मुझे कहा है कि मैं उनके प्रश्नों को सदन में पूछूं ।

श्री **अध्यक्ष**—मुझसे उन्होंने कोई रेक्वस्ट नहीं की ।

(प्रश्न-कर्त्ता अनुपस्थित—कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

प्रश्न संख्या ४३४

श्री **भैरूंसिंह (वि. सं. १२)**—क्या सिंचाई मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का जवाब देने की कृपा करेंगे —

(अ) पहले अधिवेशन में सरकार ने आश्वासन दिया था कि देसूरी के पास दादिया बांध तथा सेली की नाल बंधवाई जायेगी, इस कार्य में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

(ब) यदि इस कार्य पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है तो क्या सरकार अब यह कार्य शीघ्रातिशीघ्र सम्पन्न कर जनता का हित करेगी ।

श्री **भोगीलाल पंड्या**—(अ) देसूरी के पास दादिया तालकी मरम्मत आर्थिक उपयोगिता सिद्ध न होने के कारण सन् १९५० में बन्द कर दी गई थी । सेली की नाल बंधवाना भी आर्थिक दृष्टि से उपयोगी साबित नहीं होगा ; अतः इस योजना पर अधिक अनुसन्धान करने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती ।

[श्री भोगीलाल पंड्या]

(ब) नियत मात्रा में निधि (फंड्स) मिलती है वह अधिक लाभदायक कार्यों पर खर्च की जाती है। इन कार्यों को आरम्भ करने का अभी सरकार का इरादा नहीं है। ऐसे कार्य जो साधारण कृषि में सहायक हों तभी आरम्भ किये जा सकते हैं जब कि उसके लिये निधि (फंड्स) का आसानी से उपलब्ध होना संभव हो।

प्रश्न संख्या ४३५

श्री **अध्यक्ष**—श्री तनसिंह

(प्रश्नकर्त्ता अनुपस्थित)

श्री **हिम्मतसिंह**—बस के वक्त पर नहीं पहुंचने से मेम्बर लोग वक्त पर नहीं आ सके हैं।

श्री **अध्यक्ष**—आप लोग तो आ गये हैं।

श्री **हिम्मतसिंह**—हम में से कुछ लोग पैदल, कुछ तांगों में और कुछ वैसे ही आये हैं।

प्रश्न संख्या ४३६

श्री **ईश्वरीसिंह**—क्या राजस्व मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे—

(१) राजस्थान में कुए खोदने की बोरिंग मशीनें कितनी हैं?

(२) जयपुर डिविजन में कुल कितनी बोरिंग मशीनें हैं?

(३) सीकर जिले में अकाल की हालत होने तथा कुओं में पानी न आने की परिस्थिति को देखते हुए क्या सरकार ने उधर बोरिंग मशीन से कुए गहरे कराने की ओर ध्यान दिया है?

श्री **मोहनलाल सुखाड़िया (राजस्व मंत्री)**—(१) पांच, इनमें से एक बोरिंग मशीन अन्डरग्राउन्ड वाटर बोर्ड को दी गई है।

(२) तीन, एक अलवर, एक भरतपुर और एक नोरंगवाडा जहां कि बोरिंग का काम जारी है।

(३) सन् १९५१-५२ में सीकर जिले में ९ कुए गहरे किये गये। सन् ५२-५३ में ४ कुए गहरे किये गये।

श्री **ईश्वरी सिंह**—सरकार ने सीकर के इलाके में....... (लाउड स्पीकर के पास मुंह रख कर बोलने के कारण अस्पष्ट)

श्री **अध्यक्ष**—लाउड स्पीकर कनी सूं मुंह आगे राख बोलो।

श्री **मोहनलाल सुखाड़िया**—आवश्यकतानुसार सीकर जिले में कुए गहरे किये जा सकते हैं।

श्री **ईश्वरीसिंह**--मेरे कहने का अर्थ यों है कि सीकर इलाका मां और कुआ नहीं बनेगा क्योंकि वहां पानी की बहुत बड़ी दिक्कत है । कुए जो हैं वे २०-२० हाथ नीचे चले गये हैं। बोरिंग-बोरिंग से पानी कर दिया जाय तो दुनिया का निर्वाह हो जाय ।

श्री **मोहनलाल सुखाड़िया (राजस्व मंत्री)**--मैं समझता हूं कि यह प्रश्न पूरक प्रश्न नहीं था बल्कि एक छोटा सा भाषण था ।

प्रश्न संख्या ४३७

श्री **अध्यक्ष**--श्री मोतीराम ।

(प्रश्नकर्त्ता अनुपस्थित--कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

प्रश्न संख्या ४३८

श्री **अध्यक्ष**--श्री मोतीराम ।

(प्रश्नकर्त्ता अनुपस्थित--कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

प्रश्न संख्या ४३९

श्री **अध्यक्ष**--श्री धर्मचंद ।

(प्रश्नकर्त्ता अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ४४०

श्री **अध्यक्ष**--श्री तनसिह ।

(प्रश्नकर्त्ता अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ४४१

श्री **अध्यक्ष**--श्री मानसिह ।

(प्रश्नकर्त्ता अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ४४२

श्री **अध्यक्ष**--श्री माधोसिंह ।

(प्रश्नकर्त्ता अनुपस्थित--कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

प्रश्न संख्या ४४३

श्री **अध्यक्ष**--श्री मोतीराम ।

(प्रश्नकर्त्ता अनुपस्थित--कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

प्रश्न संख्या ४४४

श्री अध्यक्ष—श्री धर्मचंद ।

(प्रश्नकर्त्ता अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ४४५

श्री अध्यक्ष—श्री तनसिंह ।

(प्रश्नकर्त्ता अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ४४६

श्री ईश्वरीसिंह—क्या कृषि मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या सरकार का ध्यान सीकर में अकाल की स्थिति पैदा हो जाने की ओर गया है ?

(२) सरकार ने अकाल सहायतार्थ क्या कदम उस इलाके में उठाये हैं ?

(३) अब सरकार अकालपीड़ितों की सहायता के लिए क्या करने का विचार रखती है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (राजस्व मंत्री)—सीकर जिले में अकाल की स्थिति नहीं है इसलिए वहां पर रिलीफ का काम जारी नहीं किया गया। तकावी के बारे में अगली गर्मी की मौसम में काफी व्यवस्था रखी गई है ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—यह किस आधार पर सरकार मानती है कि वहां पर अकाल की स्थिति नहीं है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (राजस्व मंत्री)—वास्तविकता के आधार पर ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या इसके बारे में जिलाधिकारियों द्वारा कोई जांच करवाई गई ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (राजस्व मंत्री)—जी हां ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या सरकार के ध्यान में यह बात है कि वहां के जो प्रतिनिधि हैं वे जिलाधिकारियों की रिपोर्ट से इत्तिफाक नहीं करते हैं ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया, (राजस्व मंत्री)—यह ध्यान में नहीं है ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—तो अब प्रश्न आने के बाद, सरकार के ध्यान में आने के बाद, क्या सरकार उस पर कोई कार्यवाही करेगी ?

श्री **मोहनलाल सुखाड़िया (राजस्व मंत्री)**—यह प्रश्न नहीं उठता है ।

श्री **भीमसिंह**—क्या प्रतिनिधियों की राय लेने की आवश्यकता नहीं है ?

श्री **मोहनलाल सुखाड़िया (राजस्व मंत्री)**—प्रतिनिधियों से जानकारी प्राप्त होने पर उसके आधार पर जांच कराई जाती है ।

श्री **हरिकृष्ण व्यास**—क्या जिला अधिकारियों को यह आदेश दिये गये हैं कि वे प्रतिनिधियों से बातचीत अथवा सलाह मशवरा नहीं करें ?

श्री **मोहनलाल सुखाड़िया (राजस्व मंत्री)**—यह उनके लिये आवश्यक नहीं है ।

श्री **भीमसिंह**—"आवश्यकता नहीं है" इसका मतलब यह है कि क्या सरकार उनको इगनोर करती है ?

श्री **मोहनलाल सुखाड़िया (राजस्व मंत्री)**—'आवश्यकता नहीं है' का मतलब इगनोर करना नहीं है ।

श्री **ईश्वरीसिंह**—बीकानेर का सारा इलाका अकाल घोषित किया गया है तो सीकर में यहां से ले जाकर कौन सी जोरदार बरसात कर दी गई है कि अकाल नहीं है ?

श्री **मोहनलाल सुखाड़िया (राजस्व मंत्री)**—बीकानेर इलाके में भी रतनगढ तहसील में अकाल घोषित नहीं किया गया है ; यह सूचनार्थ निवेदन है ।

प्रश्न संख्या ४४७

श्री **जगतसिंह**—क्या मंत्री, लोक-कर्म विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे:—

(क) बड़ी सादड़ी रेलवे स्टेशन से छोटी सादड़ी तक केवल १४ मील ही सड़क नहीं है, उसे बनवाने का सरकार का क्या इरादा है ?

(ख) यदि हां, तो कब तक ?

श्री **भोलानाथ (निर्माण मंत्री)**—छोटी सादड़ी से बड़ी सादड़ी तक पक्की सडक नहीं है। इस सड़क को बनवाने का सरकार का ध्यान अवश्य है । द्रव्य उपलब्ध होते ही यह कार्य शुरू किया जा सकता है ।

श्री **जगतसिंह**—यह कब तक शुरू किया जायगा ?

श्री **भोलानाथ (निर्माण मंत्री)**—यह निश्चयात्मक रूप से नहीं कहा जा सकता है

प्रश्न संख्या ४४८

श्री **अध्यक्ष**—श्री कंवरलाल जेलिया ।

(प्रश्नकर्त्ता अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ४४६

श्री **अध्यक्ष**—श्री धर्मचंद ।

(प्रश्नकर्ता अनुपस्थित—कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

प्रश्न संख्या ४५०

श्री **अध्यक्ष**—श्री तनसिंह—

श्री **तनसिंह**—क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :—

(१) बाडमेर नगरपालिका का कितना रुपया बाडमेर के सरकारी कोष में जमा है ?

(२) नगरपालिका बाडमेर के हिसाब से कितना रुपया जमा होना चाहिये ?

(३) नगरपालिका बाडमेर के हिसाब और ट्रेजरी बाडमेर के हिसाब द्वारा नगरपालिका के जमा शुदा में कितना अन्तर है ?

(४) इस अन्तर का क्या कारण है ?

श्री **रामकरण जोशी (स्वायत्त शासन मंत्री)**—(१) बाडमेर नगरपालिका का ५६,९७५ रुपया ६ पाई सरकारी कोष में जमा है ।

(२) नगरपालिका बाडमेर के हिसाब से ५५,८८३ रुपया ७ आना ही जमा होना पाया गया ।

(३) नगरपालिका बाडमेर के हिसाब और ट्रेजरी बाडमेर के हिसाब में १०९१ रु० ९ आना ६ पाई का अन्तर था ।

(४) अन्तर का कारण यह था कि नगरपालिका ने काफी समय से अपने हिसाब का मिलान ट्रेजरी के हिसाब से नहीं किया था । यह मिलान अब कर लिया गया है और अब कोई अन्तर नहीं बताया जाता ।

श्री **हरिकृष्ण व्यास**—क्या अलग अलग सिद्धान्त से अलग अलग जगह हिसाब रखे जाते हैं ?

श्री **रामकरण जोशी (स्वायत्त शासन मंत्री)**—मेरे ख्याल से हिसाब में कोई सिद्धान्त की वहां चर्चा नहीं हुई है ।

श्री **हरिकृष्ण व्यास**—अगर अलग अलग दोनों जगह पर एक ही सिद्धान्त से हिसाब रखा जाता है तो आंकड़ों में अन्तर क्यों है ?

श्री **रामकरण जोशी (स्वायत्त शासन मंत्री)**--हिसाब में आंकड़े मिलान करने पर नामा लिखने से रह जाता है तो गलती हो जाती है। जमा करने के बाद वे फिर मिलान करके उसे ठीक कर लेते हैं।

श्री **हरिकृष्ण व्यास**--तो दोनों में से एक हिसाब गलत है।

श्री **रामकरण जोशी (स्वायत्त शासन मंत्री)**--यह बात उत्तर में बतलाई गई कि नगरपालिका ने अपने हिसाब का मिलान काफी अरसे से नहीं किया था उसमें गलती नहीं रही है।

प्रश्न संख्या ४५१

श्री **अध्यक्ष**--श्री धर्मचन्द

(प्रश्न-कर्त्ता अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ४५२

(प्रश्न-कर्त्ता अनुपस्थित--कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

प्रश्न संख्या ४५३

श्री **अध्यक्ष**--श्री धर्मचन्द।

(प्रश्न-कर्त्ता अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ४५४

श्री **अध्यक्ष**--श्री अवनिकुमार।

(प्रश्न-कर्त्ता अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ४५५

श्री **भैरूंसिंह (दांता रामगढ़)**--क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :-

(क) राजस्थान में किन किन स्थानों पर म्युनिसिपिल बोर्ड्स की निश्चित अवधि में वृद्धि हुई है और उनके कारण क्या हैं ?

(ख) राजस्थान में कितने म्युनिसिपिल टाउन में इलेक्टेड म्युनिसिपिल बोर्ड्स नहीं हैं, और चुनाव न होने के कारण क्या क्या हैं ?

श्री **रामकरण जोशी (स्वायत्त शासन मंत्री)**--(क) राजस्थान में निम्नलिखित स्थानों पर म्युनिसिपल बोर्ड्स में उनकी निश्चित अवधि में वृद्धि हुई है :--

	नाम बोर्ड	तिथि कार्यकाल की अवधि बढ़ाने की
१.	बाडमेर	मई, १९५३
२.	भीनासर	१०-४-५३

Page No.9

[श्री रामकरण जोशी]

नाम बोर्ड		तिथि कार्य-काल की अवधि बढ़ाने की
३.	नगर	अगस्त, १९५३
४.	फुलेरा	दिसम्बर, १९५३
५.	गंगा शहर	२८-२-५३
६.	बैराठ	जून, १९५३
७.	बैर	जून, १९५३
८.	कोटपुतली	मार्च, १९५३
९.	तारा नगर	मार्च, १९५३
१०	रतन नगर	अप्रेल, १९५३

त्येक म्युनिसिपल बोर्ड की वृद्धि करने के विभिन्न कारण हैं, परन्तु अधिकतर चुनाव कार्य में विलम्ब होने के कारण अवधि में वृद्धि हो गई।

(ख) इस समय १६ म्युनिसिपल टाउन्स में निर्वाचित बोर्ड नहीं हैं। सूची निम्न-लिखित हैं :—

१.	जोबनेर	९.	नापासर
२.	सांभर	१०.	सरदार शहर
३.	किशनगढ	११.	बाली
४.	लोसल	१२.	सोजत रोड
५.	भरतपुर	१३.	जैसलमेर
६.	सिरोही	१४.	खैरवाडा
७.	धौलपुर	१५.	कोटरा
८.	बयाना	१६.	कोटा (सिटी)

जो म्युनिसिपल बोर्ड सरकार द्वारा भंग किये गये हैं उनमें निर्वाचन अवधि समाप्त होने पर चुनाव किया जायगा और अन्य में निर्वाचन की व्यवस्था की जा रही है।

श्री **धर्मपाल**—नापासर में म्युनिसिपल बोर्ड नहीं है, वह क्यों ?

श्री **रामकरण जोशी (स्वायत्त शासन मंत्री)**—ऐसा अलग से प्रश्न हो सकता है।

श्री **भैरूं सिंह**—क्या म्युनिसिपल बोर्डस् की निश्चित अवधि निर्वाचन पद्धति पूरी नहीं होने के कारण बढ़ाई गयी या अवधि को बढ़ाने का दूसरा कोई कारण है ?

श्री **रामकरण जोशी**—अधिकतर कारण यही है कि निर्वाचन की पद्धति पूरी नहीं हुई है ?

श्री भैरूं सिंह—क्या यह सही है कि कई म्युनिलिपल बोर्ड्स के खिलाफ खयानत के मुकद्मे चल रहे हैं इसलिए चुनावों की अवधि बढाई गई है ?

श्री रामकरण जोशी—मुझे तो इस प्रकार की कोई सूचना नहीं है ।

श्री भैरूं सिंह—क्या आपको ऐसी जानकारी नहीं है कि किसी भी म्युनिसिपल बोर्ड के खिलाफ खयानत का मुकद्मा चल रहा है ?

श्री रामकरण जोशी—मैं इसका जवाब अभी नहीं देना चाहता ।

प्रश्न संख्या ४५६

श्री गंगासिंह—Will the Revenue Minister be pleased to state:—

(a) What income has the Government derived from the Nagaur animal fair in the year 1950, 1951, 1952, and 1953 January ?

(b) Is it a fact that this year the income of the said fair has gone down because of the fact that the notice about this fair was issued very late and consequently the purchasers could not get timely information ?

(c) Is it a fact that no permenat arrangement has yet been made at the place where this fare takes place and hence every year a large amount of money is spent on water arrangement ?

(d) Is the Government prepared to spend the income of the Parbatsar and Nagaur animal fairs for the uplift of Nagaur District as both of these fairs take place on the boundary line of Nagaur District ?

श्री भोलानाथ—(ए) पशु मेला द्वारा सरकार को जो आय हुई वह इस प्रकार है—

सन्	आय
१९५०	१४४८७६
१९५१	१७०८८७
१९५२	१२७५५४
१९५३	७६२६१

(बी) यह सत्य है कि इस वर्ष और वर्षों के मुकाबले में मेले की आय कम हुई है । परन्तु इसका कारण सिर्फ खरीददारों को देर से सूचना प्राप्त होना नहीं है । कितने ही स्वार्थी लोगों ने अकाल स्थिति और जल अभाव से लाभ उठाकर यह घोषणा करदी थी कि इस वर्ष यह मेला नहीं भरा जावेगा । इस विभाग की तत्परता से इसका तत्काल स्पष्टीकरण कर दिया गया और नागोर के आस पास के गांवों में सही हाल बता दिये गये ।

Page No.11

[श्री भोलानाथ]

समाचार पत्रों में नागोर मेले के भरे जाने की सूचना हमेशा के मुआफिक समय पर प्रविष्ट करादी गई थी। चूंकि कुछ खरीददार मेले में देर में पहुंचे, मेले के खतम होने की तारीख एक दिन आगे बढ़ा दी गई थी। इच्छा यह थी कि जबतक खरीददारी चालू है मेले की तारीख २-३ दिन यथा संभव और बढ़ा दी जावे। परन्तु जब कस्टम चौकी पर चिट्ठियां कटवाने वालों की संख्या बहुत कम हो गई तब मेले का समाप्त होना घोषित कर दिया गया।

(सी) यह सत्य है कि मेले में इकट्ठे होने वाले मनुष्यों एवम् पशुओं के पीने के पानी का इन्तजाम हर वर्ष करना पड़ता है। इसका मूल कारण नागोर में वर्षा का अभाव है। पर्याप्त मात्रा में वर्षा न होने से नागोर कस्बे के आस पास की नदियां नहीं भर पातीं जिससे मेले में आने वाले पशुओं को पानी उपलब्ध नहीं हो सकता। उनके लिये तथा पशुओं के लिये मेले के स्थान के आस पास वाले कुओं में पानी निकलबाया जाकर पहिले से बने हुए कुओं में पानी पक्के होज में इकट्ठा किया जाता है।

गत वर्ष तथा इस वर्ष कृषि विभाग द्वारा एक पम्प कूओं में लगाया गया था परन्तु कूओं का पानी अधिक नहीं होने से पम्प हर रोज कुछ घन्टे ही काम कर सकता था।

(डी) मेलों से प्राप्त आय नागोर जिले की बेहतरी के लिये खर्च करने का सवाल पैदा नहीं होता। चूंकि यह आय मुख्यतया निर्यात-कर के रूप में बसूल की जाती है। ऐसी आय कस्टम विभाग के बजट के मद के अनुसार रियासत की आय में जमा होती है। साधारण तथा जिले के बिकास का खर्चा उसकी आमदनी पर नहीं आंका जाता किन्तु उस जिले की आवश्यकताओं पर मुख्यतः निर्भर है।

श्री गंगासिह—क्या नोटिस समय पर नहीं दिया गया था, इससे कस्टम की आय कम हुई।

श्री भोलानाथ—नोटिस समय पर दिया गया था।

श्री गंगासिह—नोटिस कब दिया गया था।

श्री भोलानाथ—जितने समय पहिले नियमानुसार दिया जाना चाहिये था, दिया गया था।

श्री गंगासिंह—मेरे इस प्रश्न में साफ पूछा गया है कि नोटिस देरी से दिया गया था। इसलिये में यह पूछता हूं कि नोटिस कौनसी तारीख को दिया गया था, जिससे हम जान सकें कि काफी समय था कि नहीं।

श्री भोलानाथ—नोटिस तो काफी समय पहिले ही दिया गया था लेकिन साइट को बदलना चाहते थे, वह तय नहीं हुआ था।

श्री गंगासिंह—साइट का तय नहीं हुआ था कि नागोर में मेला हो या किसी दूसरी जगह तो फिर नोटिस कैसे दिया गया ?

श्री भोलानाथ—इसलिये माननीय सदस्य को शंका हुई है।

श्री गंगासिंह—नोटिस समय पर दिया गया तो फिर इन्कम इतनी कम क्यों हुई ?

श्री भोलानाथ—इन्कम कम नहीं हुई; एक्सपोर्ट कम हुआ हैं।

प्रश्न संख्या ४५७

श्री **रोशनलाल**—क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे।

१. उदयपुर नगर में वाटर वर्क्स के कार्य में सन् १९५२ में कितना व्यय हुआ ?

२. इस व्यय के होने के बाद अब पूरा कार्य कराने में कितनी रकम और व्यय होगी और यह कार्य कब तक समाप्त हो जायगा।

श्री **भोलानाथ**—इस कार्य पर सन् ५२ में अभी तक १३००००) रु० व्यय हो चुका है।

२. इस वर्ष ७००००) रु. और लगाने पर २०००००) रु० की संक्षिप्त योजना पूर्ण हो जायगी।

श्री **रोशनलाल**—पूरा काम करने में कितना रुपया व्यय होगा ?

श्री **भोलानाथ**—आपने वर्तमान योजना के बारे में कहा था इसलिये इसका उत्तर दिया गया है वर्तमान योजना २०००००) रु. की पूरी हो जावेगी।

श्री **रोशनलाल**—क्या राजस्थान सरकार के पास जो योजना है वह केवल २०००००) रु. की ही है, या और भी है ?

श्री **भोलानाथ**—फिलहाल यही योजना सरकार के पास है।

एक सदस्य—क्या दूसरी जगह भी वाटर वर्क्स बनाने की योजना सरकार के पास है ?

श्री **भोलानाथ**—यह अलग प्रश्न है।

प्रश्न संख्या ४५८

श्री **रोशनलाल**—क्या पृथक राजस्व मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

१. उदयपुर जिले के भोमट क्षेत्र में भट्टियों द्वारा शराब निकाल कर बेचा जाता था। क्या सरकार द्वारा इस प्रकार का शराब निकालना बन्द कर भट्टियें तुड़वा कर शराब निकालने के औजार लिये गये थे ?

[श्री रोशनलाल]

२. क्या उस समय जागीरदारों के मकानों में जो भट्टियां थीं वे तुडवा कर उनसे भी शराब निकालने के औजार सरकार द्वारा ले लिये गये थे ?

३. किस किस जागीरदार के पास कितनी कितनी मात्रा में उस समय अपने निजी कार्य में लेने के वास्ते शराब थी ?

श्री **भोलानाथ**—(१) शराब बनाने के औजार सरकार ने कब्जे में नहीं लिये क्योंकि ऐसा करने की कोई आवश्यकता न थी। संबंधित व्यक्तियों को आयन्दा शराब की कशीद न करने पर पाबन्द कर दिया गया। उनकी तरफ से नाजायज शराब कशीद करने की कोई शिकायत आने पर बरतन व औजार जो ऐसे काम में लाये जावें, जब्त किये जा सकते हैं। औजारों को कब्जे में लाने का एक कारण यह भी है कि ऐसे औजार दूसरे जायज कामों में लिये जा सकते हैं।

२. ऐसी भट्टियां तुडवाने के लिये आज्ञा देदी गई है और भट्टियां तुड़वाई जा रही हैं।

३. जागीरदारों को विशेष अवसरों पर एक्साइज् अफसर की निगरानी में शराब खींचने की इजाजत दी जाती थी। अतः उनके पास शराब के भारी स्टॉक होने की संभावना न थी। अतः ऐसे स्टॉक की फहरिश्त तैयार नहीं कराई गई।

श्री **रोशनलाल**—मेरा प्रश्न यह है कि शराब बनाने की भट्टियें कलालों की तुड़वादी गई, तो क्या जागीरदारों के घरों में जो भट्टियें थीं वे भी तुड़वादी गई या नहीं ?

श्री **भोलानाथ**—साधारणतः जागीरदार भी कलालों द्वारा ही शराब तैयार कराते थे और किसी जागीरदार के यहां पर भट्टियें थीं तो उन्हें भी तुडवा दिया गया है।

श्री **रोशनलाल**—अब क्या जागीरदारों के घरों में कहीं भी शराब की भट्टियें नहीं है ?

श्री **भोलानाथ**—अब नहीं हैं।

प्रश्न संख्या ४५६

श्री **एच. के. व्यास**—Will the Minister Incharge for Civil Supplies be pleased to answer:—

(a) Is it a fact that a firm Messers. Badri Prasad Rattanlal were caught illegally exporting 162 bales of cotton from Bharatpur to Agra on 18-11-52 ?

(b) Is it a fact that the Collector and District Magistrate ordered for the firm to be challaned ?

(c) Had the Challan been put up ? If not, why not ?

(d) Is it a fact that the case has been ordered to be sent to Jaipur ?

(e) If the answer to (d) is in the affirmative, will the Government state the reasons why this special and extraordinary procedure was adopted ?

श्री भोगीलाल पंड्या (रसद मंत्री)--(अ) जी हां।

(ब) जी हाँ।

(स) मामला सरकार के विचाराधीन था अतः चालान नहीं किया गया।

(द) जी हाँ।

(य) कॉटन कन्ट्रोल आर्डर के उल्लंघन केरने की सूचना के साथ ऐसा मालूम होता है कि व्यापारियों ने रूई की कस्टम ड्यूटी चुका कर कपास बाहर निकाला है, जिसकी जानकारी और जाँच कराना आवश्यक समझ सम्बन्धित पत्रावलि देखने के लिये मँगवाई थी।

श्री एच. के. व्यास--जब स्थानीय अधिकारियों ने जांच करके यह नतीजा जाहिर किया कि यह केस चालान काबिल है तो फिर क्या जांच करना बाकी रह गया था?

श्री भोगीलाल पंड्या--उसमें कस्टम ड्युटि भी चुकाई गई थी। इस लिये कस्टम वालों को पूछा गया था। जब तक केस को पुरा पुरा न बनाया जावे तब तक उसका चालान करना वाजिब नहीं होता।

श्री एच. के. व्यास--क्या जिलाधिशों के द्वारा ठीक तरह से जांच करके व देख कर चालान पेश नहीं किया जाता है?

श्री भोगीलाल पंड्या--यह बात इसलिये पैदा हुई कि कस्टम विभाग की जानकारी भी इस केस में करना आवश्यक है।

श्री एच. के. व्यास--इस केस को आए हुए कितने दिन हुए हैं?

श्री भोगीलाल पंड्या--जितने दिन होने चाहिये हुए हैं और जितने दिन जांच में लगने चाहिये लगेंगे।

श्री एच. के व्यास--सरकार के कायदे के मुवाफिक कितने दिन होने चाहिये?

श्री भोगीलाल पंड्या--जितने दिन वास्तव में लगने चाहिये।

श्री एच. के. व्यास--अब तक कितने दिन लग चुके हैं?

श्री भोगीलाल पंड्या--जितने दिन लगने चाहिये थे।

श्री एच.के. व्यास--अब केस चालान के लिये तुरन्त वापिस भेजा जाएगा?

श्री भोगीलाल पंड्या--जी नहीं, जब कार्यवाही पूरी होगी तब चालान के लिये भेजा जाएगा।

श्री एच. के. व्यास--मैं पूछता हूं कि यह केस कितने दिन से विचाराधीन है?

श्री भोगीलाल पंड्या--यह केस मेरे पास विचाराधीन नहीं है। जहां पर जाना चाहिये वहां पर गया हुआ है।

श्री एच.के. व्यास--जिलाधीशों के पास से आने के बाद कितने दिनों से यह विचाराधीन पडा हुआ है?

श्री **भोगीलाल पंड्या**—मैं ठीक तारीख तो नहीं बतला सकता, फिर भी मैं यह कह सकता हूं कि वर्ष या ज्यादा महीने नहीं लगे हैं।

श्री **एच.के. व्यास**—ऐसी इस केस की क्या विशेषता है, जिसके लिये इसको इधर से उधर किया जा रहा है ?

श्री **भोगीलाल पंड्या**—विशेषता तो है ही। सरकारी कर्मचारी गड़बड़ियां करें तो इसकी पूरी जांच होनी चाहिये, उनको माफ नहीं किया जाना चाहिये ?

श्री **एच.के. व्यास**—मैंने माफ करने के लिये नहीं कहा है। मैं तो यह पूछना चाहता हूं कि उसका चालान क्यों नहीं पेश किया गया ?

श्री **भोगीलाल पंड्या**—मैंने इसका उत्तर दे दिया है। सिर्फ केस को मजबूत करने के लिये उस का चालान अभी तक पेश नहीं हुआ है और उसकी जांच हो रही है।

श्री **एच.के. व्यास**—क्या केस को इधर उधर जांच के लिये भेजने से वह केस मजबूत होता है या उल्टा कमजोर होता है।

श्री **अध्यक्ष**—नेक्सट।

प्रश्न संख्या ४६०

(प्रश्न-कर्ता अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ४६१

श्री **भैरूंसिंह** (वि. सं. १२)—क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का जवाब देने की कृपा करेंगे :—

(अ) क्या सरकार जानती है कि देसूरी, सादड़ी व बाली गांव को उनके पास से बहने वाली नदियों से जो खतरा पैदा हो गया है और जिसकी रिपोर्ट सरकार तक पहुंच गई है, उससे जनता भयभीत है ?

(ब) यदि (अ) कम उत्तर 'हां' में है, तो सरकार क्या जनता के इस भय के निवारण के लिये प्रयत्नशील है ?

(स) यदि (ब) का उत्तर "हां" में है तो सरकार ने इस दिशा में क्या कदम उठाया है?

श्री **भोलानाथ**—(अ) देसूरी, सादड़ी व बाली गांवों के निकट भविष्य में देसूरी व बाली की नदियों के बहाव तथा नदियां भूमि को किस प्रकार काट रही हैं, उसकी जांच की जा रही है। नदियों की सर्वे आदि पूरी हो चुकी हैं।

(ब) योजना जिससे गांव के तरफ की भूमि अधिक न कटे, तैयार की जा रही है और लागत का तखमीना भी बन रहा है।

(स) तखमीना तथा योजना बनने के बाद विचार पूर्वक समुचित कदम उठाया जा सकेगा।

प्रश्न संख्या ४६२

(श्न कर्त्ता अनुपस्थित । कृपया परिशिष्ट १ देखिये ।)

प्रश्न संख्या ४६३

श्री **कस्तूर चन्द**—क्या पी. डब्ल्यू. डी. मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :—

(क) बनेडा...१ मील का रूट गलाबपुरा से हुरडा दो मील का रूट, रायला....दो मील का रूट बनाने के लिए सरकार से सेंक्शन हो गई है ?

(ख) यदि हां, तो ये काम कब शुरू कर दिये जायेंगे ?

श्री **भोलानाथ**—उपरोक्त तीनों कार्य स्वीकृत हो चुके हैं। अप्रेल में कार्य प्रारंभ होने की अवश्य आशा है । संभवतः अब अ क प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी ।

प्रश्न संख्या ४६४

श्री **अध्यक्ष**—श्री कपिल देव ।

(प्रश्न कर्त्ता अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ४६५

श्री **अध्यक्ष**—श्री कंवर लाल ।

(प्रश्न कर्त्ता अनुपस्थित)

श्री **हिंम्मतसिंह**—सब पार्वती पूजा में लगे हुए हैं ?

श्री **भोगीलाल पंड्या**—सब छोकरियां तो नहीं है ।

प्रश्न संख्या ४६६

श्री **गंगासिंह**—Will the Minister for Roads and Communication be pleased to state:—

Looking to the importance of trade and communication is the Government thinking to build a road from village Tarnau to village Khatu in Nagour Tehsil ?

श्री **भोलानाथ**—प्रस्टव्य सड़क यानो तरनाऊ से खाटू तक की सड़क के बनाने का सरकार का विचार नहीं है क्योंकि जोल हो कर एक ग्रेवल सड़क तरनाऊ से खाटू तक पहिले से विद्यमान है ।

श्री **गंगासिंह**—क्या फोर्मर जोधपुर गवर्नमेन्ट ने तय किया था कि यह सड़क बनाई जाय ?

श्री **भोलानाथ**—ऐसी कोई सूचना नहीं है ।

प्रश्न संख्या ४६७

श्री कपिलदेव—क्या रसद मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे—

(क) भूतपूर्व जयपुर रियासत के समय में झुंझुनू जिले के व्यापारी को उनियारा से झुंझुनू जिले में गेहूं लाने का परमिट दिया गया था ?

(ख) उसके डिफरेन्स का कितना रुपया उस व्यापारी में बाकी रहा है ? उस रकम को वसूल करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—(क) हां ।

(ख) हां, किसी विशेष व्यक्ति का नाम बताने पर ही उत्तर दिया जा सकता है ।

प्रश्न संख्या ४६८

श्री अध्यक्ष—श्री कंवरलाल । (अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ४६९

श्री एम. के. व्यास—Will the Minister Incharge for Revenue be pleased to answer:—

(a) Is it a fact that some 500 Bighas of land, which was occupied by the Kisans of Sirohi Rampura for the last twenty years, was listed as private property of the Sirohi Maharaja by the State Ministry ?

(b) Is the Government aware that these Kisans have been ejected from this land, and their crops worth more than Rs. 15,000/- destroyed ?

(c) Is it a fact that the Chief Minister had assured them in writing that action was being taken ?

(d) What action has the Government taken to restore the land to the Kisans and give them compensation for the loss of the crops ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया—इस संबंध में पूरी सूचना प्राप्त नहीं हुई है । पूरी सूचना प्राप्त होने पर मैं उसे सदन की टेबिल पर पेश कर दूंगा ।

श्री एम. के. व्यास—मुझे फिर रूल्स को क्वोट करना पड़ रहा है । अगर गवर्नमेन्ट समझती है कि किसी प्रश्न का उत्तर समय पर नहीं आ सकेगा तो संबंधित मंत्री महोदय को चाहिये कि स्पीकर महोदय की इजाजत हासिल करें और उसकी एक कापी प्रश्नकर्त्ता के पास भी भेजी जानी चाहिये । फिर स्पीकर महोदय को अधिकार है कि उसे रिलेक्स करें ।

श्री मोहनलाल सुखाडिया—इस प्रश्न को आगे रख दिया जाय, इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है यह प्रश्न ही ऐसा है कि कुछ तो मुख्य मंत्री जी से संबंधित है और कुछ मुझ से, इस लिये इसकी सूचना प्राप्त नहीं हो सकी । इसे आगे के लिये रखा जाय तो इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है ।

श्री **एच. के. व्यास**—क्या मैं यह समझूं कि यह प्रश्न आगे के लिये रखा गया है ?

श्री **अध्यक्ष**—नियम यह है कि जब कोई भी प्रश्न एक बार कॉल (Call) कर लिया गया तो फिर दुबारा नहीं आता। उसका उत्तर माननीय सदस्य को दे दिया जायगा। उस उत्तर को देखने पर अगर और प्रश्न पैदा हो तो सप्लीमेन्टरी प्रश्न पूछे जा सकते हैं।

श्री **एच. के. व्यास**—जब प्रश्न पेश कर दिया तो उसका उत्तर दिया जाना चाहिये। अगर उसका उत्तर प्राप्त न हो सका हो तो मंत्री महोदय को स्पीकर से इजाजत लेनी चाहिये। अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो ऐसा समझा जायगा कि प्रश्न का उत्तर देने से रिफ्यूज़ किया गया है।

श्री **अध्यक्ष**—No, it is not refusal.

श्री **एच. के. व्यास**—It amounts to refusal.

श्री **अध्यक्ष**—Order! Next.

प्रश्न संख्या ४७०

श्री **एच. के. व्यास**—Will the Minister Incharge for Separate Revenue be pleased to answer:—

(a) Is it a fact that a complaint of smuggling 13 thousand maunds of Sarson was received against the firm Badri Parshad Ratan Lal?

(b) Is it a fact that last year the Minister Incharge ordered that the case be challaned and put up before a Court ?

(c) What has subsequently happened in this case?

(d) Has the Challan been put ? If not, why not?

श्री **भोलानाथ**—हां।

मंत्री महोदय ने कोई ऐसी आज्ञा नहीं दी परन्तु सिविल जज भरतपुर ने प्रार्थी की अपील पर ऐसा आदेश दिया था। इस फैसले के विरुद्ध Matsya Customs Ordinance के तहत डिप्टी कमिश्नर ने गवर्नमेन्ट के सामने Revision application पेश की है और यह मामला विचाराधीन है।

श्री **एच. के. व्यास**—गवर्नमेन्ट के पास कब से विचाराधीन है ?

श्री **भोलानाथ**—एक महीने पहले गवर्नमेन्ट के पास आया है।

श्री **तेजमल बापना**—इसके चालान के लिये क्या कोई नियम है। समय मुकर्रर है कि नेत समय में चालान कर दिया जाय ?

श्री **भोलानाथ**--माननीय सदस्य खुद वकील हैं और अच्छी तरह जानते हैं कि जितने समय में जांच तकमील हो सकती है उसके बाद चालान किया जाता है ?

श्री **तेजमल बापना**--जब पुलिस केसेज के लिये ऐसा नियम है कि अमुक अवधि पर चालान कर दिया जाना चाहिये तो फिर ऐसे केसेज में इस तरह क्यों नहीं किया जाता।

श्री **भोलानाथ**--आपने प्रश्न को अच्छी तरह पढ़ा नहीं। पहले अपील की है, फिर रिविजन हुआ ,इस तरह तीन-चार स्टेजेज हो चुकी हैं।

प्रश्न संख्या ४७१

श्री **गंगासिंह**--Will the Minister for Roads and Communications be pleased to state:—

When the work for construction of Nagaur Deh Road is going to start ?

श्री **भोलानाथ**--अभी तक इसके लिये कोई निश्चित तिथि नहीं बताई जा सकती।

श्री **गंगासिंह**--जब कि १२ महीने पहले यह तय हुआ था तो भी क्या कोई निश्चित तिथि नहीं बताई जा सकती ?

श्री **भोलानाथ**--तय नहीं हुआ। तय हुआ होता तो काम शुरू कर दिया जाता। बहस हुई होगी।

श्री **एच. के. व्यास**--क्या सरकार इस पर गंभीरतापूर्वक विचार कर रही है ?

श्री **भोलानाथ**--सरकार हमेशा गंभीरतापूर्वक विचार करती है। सरकार के पास फालतू समय नहीं है। सरकार का समय कीमती है, वह गंभीरतापूर्वक ही विचार करती है।

प्रश्न संख्या ४७२

श्री **कस्तूरचन्द**--क्या सिंचाई मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:--

(१) भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में "मेजा डेम" पर कितनी रकम खर्च होने की संभावना है, कब तक बनवाने का विचार है ?

(२) क्या सरकार "मेजा डेम" के लिये सूद से रकम लेना चाहती है ? यदि लेना चाहती है तो कितना सूद किस हिसाब से ?

(३) अगर नहीं, तो क्यों नहीं ?

श्री **भोगीलाल पंड्या**--१. १९५३-५४ में इस काम के लिए ५,००,०००) रुपया रखा गया है और यही रकम व्यय होने की संभावना है, सन् ५६ तक खतम होने का विचार है।

२. नहीं। प्रश्न नहीं उठता।

३. क्योंकि सरकार उसके खर्च की व्यवस्था करती है

श्री कस्तरचन्द--इसमें कितना खर्च होगा।

श्री भोगीलाल पंडया--६० लाख रुपया खर्चा होगा।

एक सदस्य--क्या सन् १९५६ तक काम चालू रखने के लिये पूरी व्यवस्था कर ली गई है?

श्री भोगीलाल पंडया--हां, सन् १९५६ तक की व्यवस्था कर ली गई है, अगर ६० लाख से ज्यादा की आवश्यकता हुई तो ज्यादा भी खर्च किया जायगा।

प्रश्न संख्या ४७१

श्री गंगासिंह--Will the Minister for Local Self-Government Department be pleased to state:—

(a) Is it a fact that the village Panchayat Board Bugarda Tehsil Nagaur is misusing its power ?

(b) Is it a fact that the said village Panchayat Board is harassing Loonaram carpenter of that village and therefore false cases are being instituted against him?

(c) Is it a fact that Loonaram has been ordered to make out a way after demolishing his house ?

(d) What is the report of the inquiry made by the Distt. Panchayat Inspector on the said subject ?

श्री रामकरण जोशी--(क) नहीं।

(ख) नहीं।

(ग) लूनाराम खाती ने खुले रास्ते पर नाजायज कब्जा कर लिया था। पंचायत ने उसको हटाने का आदेश दिया।

(घ) पहले जमीन पडत थी, रास्ता खुला हुआ था उस पर गंगाराम खाती ने कब्जा कर मकान बना लिया। पंचायत इसको नाजायज कब्जा मान कर हटाने की कार्यवाही कर रही है। अभी कब्जा नहीं हटा है। निरीक्षक पंचायत जिला नागोर ने भी यह कब्जा अनुचित माना है। लेकिन चूंकि यह मकान हटाने का सवाल है इसलिये डिवीजनल पंचायत ऑफिसर जोधपुर को पूरी जांच करने का आदेश दिया गया है। अभी कब्जा हटाना स्थगित कर दिया है।

श्री हिम्मतसिंह--कुछ समझ में नहीं आया।

श्री अध्यक्ष--Perhaps you were not interested in it?

श्री हिम्मतसिंह--मेलगाड़ी छोड़ दी गई थी, इसलिये कुछ समझ म नहीं आया।

श्री गंगासिंह—पंचायत ऑफिसर ने क्या अपनी जांच से यह साबित किया है कि यह रास्ता एक आम रास्ता नहीं था ?

श्री रामकरण जोशी—पंचायत ऑफिसर ने अपनी जांच से नाजायज कब्जा बताया है ।

श्री गंगासिंह—क्या माननीय मंत्री जी वह रिपोर्ट टेबिल पर रखने को तैयार हैं ?

श्री रामकरण जोशी—रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है, रिपोर्ट जब आ जायगी तो फैसला हो जायगा ।

श्री गंगासिंह—क्या पंचायत ऑफिसर जांच के लिये मौके पर गये थे ?

श्री रामकरण जोशी—मौके पर जाने के बिना जांच ही नहीं हो सकती थी ।

प्रश्न संख्या ४७४

श्री एच. के. व्यास—Will the Minister Incharge for Local Self-Government be pleased to answer:—

(a) When were the elections to the Kishengarh Municipality held last?

(b) What is the term of the Board under the Act and thus when were the next elections due?

(c) Why have the elections not been ordered to be held despite the lapse of so many years even after they became due?

(d) Does the Government propose even now to order such elections ?

(e) If so, till what date does it desire to get such elections held ?

श्री रामकरण जोशी—(अ) सितम्बर १९४७ ।

(ब) तीन वर्ष, चुनाव सितम्बर, १९५० म होने वाले थे ।

(स) क्योंकि किशनगढ़ नगर की निर्वाचन सूचियों के तैयार करने में विशेष अनियमितताएं रह गई थीं जो सरकार के ध्यान में लाई गई और जिनके कारण निर्वाचन सूचियों में संशोधन करना अत्यन्त आवश्यक हो गया था, चुनाव कार्य को स्थगित करना पड़ा । इसके पश्चात् जब पुनः चुनाव होने ही वाला था तो आम जनता से इस आशय की कई शिकायतें आई कि निर्वाचन सूचियों में अब भी अशुद्धियां हैं । जब कि इस विषय में जाँच की कार्यवाही जारी थी, नगरपालिका की बढ़ाई गई अवधि समाप्त हो गई, अतः अवधि पुनः बढ़ानी पड़ी । तत्पश्चात् आम जनता ने मदनगंज में एक पृथक नगरपालिका स्थापित करने की और इस प्रश्न के विचाराधीन होने के कारण पुनः अवधि बढ़ानी पड़ी ।

(ड) हां ।

(इ) चार माह में ।

श्री **हरिकृष्ण व्यास**—जो अलग अलग पार्ट बनाकर जांच की गई उससे सरकार किस नतीजे पर पहुंची ?

श्री **रामकरण जोशी**—अलग अलग नहीं बनाई जा सकीं ।

श्री **हरिकृष्ण व्यास**—चुनाव में इतने दिनों की देरी हुई तो क्या यह समझा जाय कि चुनाव के नतीजे में आशंका थी इसलिये जल्दी चुनाव नहीं कराये गये ?

श्री **रामकरण जोशी**—यह समझना गलत होगा ।

श्री **हरिकृष्ण व्यास**—फिर इतने दिन देरी होने का क्या कारण है यह नहीं बतलाया गया ?

श्री **रामकरण जोशी**—मैंने कारण बतलाया था आपने सुना नहीं ।

श्री **हरिकृष्ण व्यास**—विचाराधीन रखने का यही कारण था या और कोई ?

श्री **रामकरण जोशी**—वहां की निर्वाचन सूचियों में निहित रहने वाली गलतियों के कारण ही चुनाव आगे सरकाया गया । सरकार को इसे आगे सरकाने में खास दिलचस्पी नहीं थी ।

श्री **हरिकृष्ण व्यास**—निर्वाचन सूचि को पक्का हुये कितने दिन हो गये हैं ?

श्री **रामकरण जोशी**—वहां चुनाव किये जाने के पहले ही मदनगंज के लोगों ने यह मांग की कि मदनगंज में अलग म्युनिसिपैलिटी होनी चाहिये इसलिये चुनाव में विलम्ब हुआ ।

श्री **हरिकृष्ण व्यास**—क्या यह मांग इन्जीन्यस नहीं थी ?

श्री **रामकरण जोशी**—मुझे तो यह सवाल ही इन्जीन्यस मालूम पड़ता है ।

श्री **हरिकृष्ण व्यास**—यह उत्तर प्रोम्पटड मालूम पड़ता है ।

प्रश्न संख्या ४७५

श्री **कस्तूरचन्द**—क्या स्वायत्त शासन मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे—

(१) डिस्ट्रिक्ट भीलवाड़ा में कितनी ग्राम पंचायतें हैं और राजस्थान सरकार की तरफ से इस भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट की पंचायतों को कितनी एड दी गई है ?.

(२) यदि नहीं दी गई तो क्यों ?

(३) अगर दी गई है तो बनेड़ा, रायला, कुड़िया, स० नगर को कितनी कितनी दी गई है ?

श्री **रामकरण जोशी**—(१) १२१, इस वर्ष में ५३५०) रु. की सहायता देने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है ।

(२) यह प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

[श्री रामकरण जोशी]

(३) नहीं। ग्राम पंचायतों को सहायता रचनात्मक काम के आधार पर दी जाती है। जो पंचायतें पचास प्रतिशत अपने पास से या चन्दे द्वारा रकम लगाने को तैयार हो जाती हैं तब उनको ५० प्रतिशत सहायता दिलवाने की कार्यवाही की जाती है। सब पंचायतों की तालिका भेजने के लिए सूचना दी गई परन्तु इन पंचायतों की तरफ से कोई तालिका नहीं आई जिससे रकम दिलाने की कार्यवाही नहीं हुई।

श्री कंवरलास जेलिया—माननीय अध्यक्ष, अभी प्रश्नों के समय के १५ मिनिट शेष हैं। मैं प्रार्थना करूंगा कि मेरे अपने प्रश्नों को उपस्थित करने की आज्ञा दी जावे। बस नहीं मिलने के कारण मैं जल्दी नहीं आ सका।

श्री अध्यक्ष—I desire to ascertain the wish of the House. Should we take the questions which have been called from the Chair, but the members concerned were not present ?

(हां, हां तथा ना ना की ध्वनियें साथ साथ)

For the remaining time we can go with the rest of the Questions.

कुछ सदस्य—Unstarred questions ?

श्री अध्यक्ष—No. Their replies will be placed on the Table. Member who could not come for one reason or another will put their questions for the remaining time.

(विषम)

I will call it from the beginning.

प्रश्न संख्या ४३१

श्री छीतरलाल शर्मा—क्या कृषि मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का जवाब देने की कृपा करेंगे:—

(क) सरकार ग्रामोन्नति के लिये इस वर्ष क्या योजना निश्चित कर चुकी है ?

(ख) यदि कोई योजना निश्चित की गई है तो बूंदी जिले के लिये क्या और कितने व्यय की योजना निश्चित की गई है ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया (राजस्व मंत्री)—यह प्रश्न स्पष्ट नहीं है। कृषि मन्त्री से प्रश्न पूछा गया है पर प्रश्न है ग्रामोन्नति की योजना के बारे में। यदि उनका मतलब र्‌युरल डेवलेप्मेन्ट से है तो उसका उत्तर कृषि मन्त्री नहीं बल्कि र्‌युरल डेवलेप्मेन्ट मन्त्री जी देंगे।

श्री **अमृतलाल यादव**—ग्रामोन्नति के लिये इस साल के बजट म १२ केन्द्र ग्राम सुधार के कायम किये गये हैं और वे ग्राम सुधार के लिये पूर्णरूप से उपयुक्त हैं। ऐसी पिछले अधिवेशन में भी बातचीत हुई थी। डेट कंसीलिएशन (Debt conciliation Board) के लिये भी बजट में गुंजायश रखी गई है जिससे कि किसानों के खर्चे में कमी हो सके। इसके अलावा जल्दी ही केन्द्रीय सहकारी बैंक की स्थापित होने वाली है जिससे किसानों को कृषि कार्य में सुभीता होगा। इस तरह से ग्राम सुधार का कार्य सारे प्रान्त में हो रहा है। इसके अलावा जैसा कि पिछले अधिवेशन में निवेदन किया गया था, माननीय सदस्य यदि और सुझाव देंगें तो उन पर अमल करने की कोशिश की जायगी।

श्री **गुरुदयालसिंह सन्धु**—सरकार किसानों को कर्जा देने के लिये क्या प्रबन्ध कर रही है?

श्री **अमृतलाल यादव**—यह अलग सवाल है। इसके लिये अलग प्रश्न पूछेंगे तो बतलाऊंगा।

प्रश्न संख्या ४१५

श्री **तनसिंह**—क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगें :—

(१) बाडमेर नगरपालिका के उपाध्यक्ष ने अपने एक साले को क्लर्क रख लिया जब कि बजट में उसकी कोई स्वीकृति नहीं हुई ?

(२) क्या उक्त क्लर्क ने तीन माह की तनख्वाह उठा भी ली ?

(३) क्या उक्त उठाई हुई तनख्वाह को वापिस जमा कराने के कोई कदम उठाये गये हैं ?

(४) क्या उक्त क्लर्क ने तीन माह तक कार्य भी किया ?

श्री **रामकरण जोशी**—(१) हां।

(२) हां।

(३) हां।

(४) नहीं। तारीख १-४-५२ से १८-६-५२ तक अर्थात् २ माह १८ दिन कार्य किया था। इसी अर्से में १० दिन की छुट्टी लेकर चला गया और इस्तीफा पेश कर दिया। ३ माह का वेतन उसके भाई घनश्यामदास को यह बौन्ड लिखा कर दिया गया कि सरकार की मन्जूरी न आने पर यह रकम वापिस कर ली जावेगी। श्री घनश्यामदास को नगरपालिका ने रकम वापिस जमा कराने के लिये नोटिस दे दिया है।

श्री **तनसिंह**—क्या यह बतलाया जा सकता है कि उसने कितने दिनों तक छुट्टी ली ?

श्री **रामकरण जोशी**—२ माह १८ दिन रहा जिसमें से १० दिन की छुट्टी ले कर चला गया।

श्री **तनसिंह**—क्या उपाध्यक्ष के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई ?

श्री **रामकरण जोशी**—नहीं, कोई कार्यवाही नहीं की गई।

श्री **तनसिंह**—क्या कोई कार्यवाही करने का विचार है ?

श्री **रामकरण जोशी**—अगर वह रुपये जमा नहीं करावेगा तो रुपये वसूल कर लिये जावेंगे।

श्री **हरिकृष्ण व्यास**—क्या इस प्रकार साले को नौकर रखना नेपोटिज्म नहीं है ?

श्री **रामकरण जोशी**—अगर नेपोटिज्म साबित हो जायगा तो जरूर सजा दी जायगी।

श्री **हरिकृष्ण व्यास**—बगैर कारण के साले को नौकर रखना, इससे बढ़ कर नेपोटिज्म और क्या हो सकता है ?

श्री **रामकरण जोशी**—साले को नौकर रखना नेपोटिज्म नहीं है।

श्री **तनसिंह**—बजट में गुंजायश न होने पर भी ? इसका एक भाई और नौकर था अब दो साले हो गये।

श्री **रामकरण जोशी**—चार साले हों तो भी क्या हुआ।

श्री **हरिकृष्ण व्यास**—काम को न देख कर, साला है इसलिये नौकर रखना; क्या नेपोटिज्म नहीं है ?

श्री **रामकरण जोशी**—यह तो मुख्य सवाल से ताल्लुक नहीं रखता।

प्रश्न संख्या ४४०

श्री **तनसिंह**—क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :—

(१) कि बाडमेर नगरपालिका ने प्रस्ताव द्वारा बाडमेर के लिये एग्जिक्युटिव ऑफिसर के लिये किसी का नाम सरकार को भेजा था ?

(२) कि क्या बोर्ड की उक्त सिफारिश को न मान कर एक अन्य व्यक्ति को वहां भेजा गया है ?

(३) यदि हां, तो इसका क्या कारण है और उसकी क्या तनख्वाह है ?

श्री **रामकरण जोशी**—(१) हां।

(२) हां।

(३) प्रबन्ध और शासन को सुचारू रूप से चलाने के लिये ऐसा करना आवश्यक समझा गया। उसका वेतन १८०) रुपया माहवार है।

श्री **तनसिंह**— क्या ये सारी सुविधायें पास ही के बालोतरा के लिये नहीं हैं ?

श्री **रामकरण जोशी**--आप बाडमेर का सवाल पूछ रहे हैं या बालोतरा का ?

श्री **तनसिंह**--क्या बालोतरा में एग्जिक्युटिव ऑफिसर नहीं है ?

श्री **रामकरण जोशी**--यह दूसरा सवाल है ।

प्रश्न संख्या ४४५ (३ एल. एस. जी. एम.)

श्री **तनसिंह**--क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :--

(१) बाडमेर नगरपालिका का कार्यकाल कब समाप्त हुआ या होगा ?
(२) नया चुनाव कब होने को था ?
(३) वह चुनाव किस कराण से सरकाया गया ?
(४) क्या बालोतरा नगरपालिका का चुनाव भी आगे सरकाया गया है ?
(५) यदि हां, तो क्या कारण है ?

श्री **रामकरण जोशी (स्वायत्त शासन मंत्री)**--(१) बाडमेर नगरपालिका का कार्य-काल तारीख १-११-५२ को समाप्त हो गया था जो सरकार के विज्ञापन संख्या एफ. १। बी।२०। एल. एस. जी. ए ५२, तारीख २२-११-५२ द्वारा मई सन् १९५३ तक बढ़ा दिया गया है ।

(२) नया चुनाव २१-११-५२ को होने वाला था ।

(३) बाडमेर नगरपालिका के निर्वाचन क्षेत्र की सीमायें उचित रूप से निर्धारित करने में विलम्ब होने के कारण उपरोक्त तारीख पर चुनाव नहीं कराया जा सका ।

(४) नहीं ।

(५) यह प्रश्न उत्पन्न ही नहीं होता ।

श्री **अध्यक्ष**--नेक्स्ट । श्री कंवर लाल जेलिया ।

प्रश्न संख्या ४४८ (६८ पी. डब्ल्यू. एम.)

श्री **कंवरलाल जेलिया**--क्या यातायात मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :--

(१) रीजनल ट्रान्सपोर्ट ऑथोरिटी उदयपुर के पास कोटा से देवली रोड पर मोटर चलाने के लिये ट्रान्सपोर्ट कमेटी के निर्माण से अब तक के समय में किस किस कम्पनी या पार्टी के नियमानुसार आवेदन-पत्र प्रस्तुत हुए हैं ?

(२) इनमें से राजस्थान राज-पत्र में कितने प्रकाशित हो चुके हैं ?

(३) इनमें से किस किस कम्पनी या पार्टी को कब कब कितने समय के लिये इस रोड पर मोटर चलाने का परमिट दिया गया है ?

[श्री कंवरलाल जेलिया]

(४) क्या कोटा में रीजनल ट्रान्सपोर्ट ऑथोरिटी का ऑफिस स्थापित करने के लिये सरकार सोच रही है ?

(५) यदि हां, तो उक्त कार्य कब तक सम्पन्न हो सकेगा ?

श्री **भोलानाथ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री)**–जिस कम्पनी या पार्टी के आवेदन-पत्र आये हैं उनकी सूची लम्बी होने के कारण वह मेज पर रख दी गई है।

(कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

६० आवेदन-पत्र राजस्थान राज-पत्र में प्रकाशित हो चुके हैं।

रीजनल ट्रान्स्पोर्ट ऑथोरिटी का कोटा में जल्दी ही दफ्तर खोलने का विचार किया जा रहा है।

श्री **हरिकृष्ण व्यास**—On a point of information, Sir, has a copy of the answer been sent to the Member concerned a day advance?

श्री **भोलानाथ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री)**—असेम्बली ऑफिस से प्राप्त की जा सकती है।

श्री **अध्यक्ष**—जब माननीय मन्त्री यह देखें कि किसी भी प्रश्न का उत्तर लम्बा है और यह आवश्यक हो कि उसकी कॉपी हाउस की टेबल पर रखी जाय तो वह इस दफ्तर में भेज दी जाय। इसके साथ ही साथ सम्बन्धित सदस्य जिसने कि प्रश्न पूछा है उनके पास भी उसकी एक प्रतिलिपि भेज दी जानी चाहिये।

श्री **रामकिशोर व्यास (स्वास्थ्य मंत्री)**—The Minister-in-charge will supply to the Assembly Secretariat who may send it to the Member concerned. Will that be alright ?

श्री **अध्यक्ष**—No, the Minister-in-charge should see that it reaches the Member concerned.

श्री **रामकिशोर व्यास**—But, Sir, if the Minister sends a copy to the Assembly Secretariat for supplying it to the Member concerned, will it not do ?

श्री **हरिकृष्ण व्यास**—Last time we were informed......

श्री **अध्यक्ष**–Order I draw attention of the Members to Rule 38 which says that lengthy answers to starred question may, on statement by the Minister concerned, be placed on the table of the Assembly without being read, but a copy in such case may be delivered to the Member asking such question in advance of the answer being placed on the table.

श्री **रामकिशोर व्यास (स्वास्थ्य मंत्री)**--कॉपी डिलीवर की जायगी तो उसकी एजेन्सी का क्या होगा ? क्या उनको डाइरेक्ट वह सूची भेज दी जाय या असेम्बली में उसको भेजा जाय ताकि यहां से सम्बन्धित सदस्य के पास भेज दी जाय ?

श्री **अध्यक्ष**—But I think it should be directly sent to the Member. But if it is sent sufficiently in advance then we can also send.

श्री **रामकिशोर व्यास (स्वास्थ्य मंत्री)**—अगर कोई सदस्य भीलवाड़ा का रहने वाला है तो वह सूची तो उसके पास वहां भेज दी जायगी किन्तु अगर वह उन्हें समय पर नहीं मिली और उसके मिलने के पहले ही वे रवाना हो गये तो वह लौट कर आजायगी ।

श्री **हरिकृष्ण व्यास**—पिछली मर्तबा यह कहा गया था कि एक लायजन ऑफिसर नियुक्त किया जा रहा है । तो यह काम उसी के जिम्मे क्यों न सौंप दिया जाय ।

श्री **जयनारायण व्यास (मुख्य मंत्री)**--लायजन ऑफिसर तो सेक्रेटेरियेट और असेम्बली के बीच में कार्य करेगा । अगर वह हर एक मेम्बर और सेक्रेटेरियेट के बीच में काम करेगा तो वह काम ठीक नहीं होगा । अतः अगर असेम्बली दफ्तर को ही एक अलग कॉपी मेम्बर महोदय को देने के लिये भेज दी जाया करे तो ठीक रहेगा ।

श्री **भोलानाथ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री)**—असेम्बली ऑफिस में ही भेज दिया जाना ज्यादा उपयुक्त होगा । मेम्बर्स भी यहां सब आ जाते हैं, उनको वह कापी मिल जाया करेगी ।

श्री **अध्यक्ष**--कॉपी समय के पहले भेजी जानी चाहिये ।

श्री **टीकाराम पालीवाल (उप-मुख्य मंत्री)**--एक अतिरिक्त कॉपी जो असेम्बली सेक्रेटेरियेट को भेजी जाय तो वह इसी ख्याल से भेजी जाय कि वह सदस्यों को जिन्होंने कि सूची मांगी है वह उनके पास भेज दी जायगी ।

श्री **जसवन्तसिंह**--यह जो झगड़ा है वह गवर्नमेन्ट के दो डिपार्टमेन्ट्स के बीच में है । मैं समझता हूं कि हम मेम्बर्स इस बीच में क्यों पड़ें ? मेम्बर्स को डाइरेक्ट भेजी जाय या असेम्बली को भेजी जाय, यह सवाल तो गवर्नमेन्ट के तय करने का है । हमें तो कॉपी मिल जानी चाहिये । चाहे वह असेम्बली द्वारा भेजी जाय या गवर्नमेन्ट सेक्रेटेरियेट द्वारा ।

श्री **अध्यक्ष**--The Legislative Department is not a department of the Government.

श्री **जसवन्तसिंह**--If it is not, then under what authority does this Legislative Assembly function ?

श्री **अध्यक्ष**--Under the Speaker's authority.

श्री **जसवन्तसिंह**—Then its Speaker, say, this Department is the organ. All the same, we should not.....

श्री **अध्यक्ष**—This is a very controversial question. But I may say and inform the House that according to the Constitution this Assembly Secretariat is completely independent.

श्री **जसवन्तसिंह**—It may bo compeletly independent, technically it may be so.

श्री **अध्यक्ष**—Not technically, it is so constitutionally.

श्री **जसवन्तसिंह**—But as far as the Members are concerned, why should they suffer as a result of the discussion betwoen the Government and the Assembly Secretariat?

श्री **जयनारायण व्यास**—मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि न तो आपने ही और न गवर्नमेन्ट और स्पीकर ने ही नियम बनाये हैं। इन नियमों में एजन्सी साफ नहीं होने से यह बात हुई है। अब यह स्पष्ट हो गया है कि एक कॉपी असेम्बली सेक्रेटेरियेट को भेज दी जाये, जो बाद में सम्बन्धित सदस्य को डिलीवर कर देगा। सीधी डिलीवरी भी हो सकती है किन्तु इसमें काफी दिक्कत होगी। मान लीजिये असेम्बली शुरू होने वाली है, दो-तीन दिन पहले ही सूची भेजी गई है और उसकी कॉपी सम्बन्धित सदस्य को भेजी गई है तो वह संबन्धित सदस्य को नहीं मिल सकती। इसलिये मेरे खयाल से ज्यादा अच्छा यही होगा कि एक कॉपी खास तौर से उस प्रश्न-कर्ता के नाम असेम्बली सेक्रेटरियेट को भेज दी जाय ताकि वे प्रश्नकर्ता-सदस्य के पास पहुंचा देंगे। यह अरेन्जमेन्ट संतोषप्रद होगा।

श्री **जसवन्तसिंह**—Sir, I take it that this question is not a novel one. The Legislative Assemblies have been functioning in India over a number of years. Then there were Assemblies in States and now there is a House of the People. Certainly, therefore, same procedure should be obtaing in other States also. I do not think the question that has been raised here is a novel one. The Assembly had existed in a number of States also and if the Speaker is good enough to find out the position he should find it out. I submit, Sir, that it is useless to waste the time of the House in this manner.

श्री **एच. के. व्यास**—I raise a point of order. All these difficulties will be get solved only if the Ministers care to remember that there rule is alike that and that they should follow it. Then nothing else is required.

श्री **जयनारायण व्यास (मुख्य मंत्री)**—The Ministers do not require the advice of the Hon'ble Members on this point. They do remember the Rules. But

[श्री जयनारायण व्यास]
the difficulty was about the agency which was not indicated when the rules were framed. However I explained the whole thing and hope that as in other Provinces the statements would be sent through the Scretariat and the responsibility of the Ministers would cease thereafter.

श्री अध्यक्ष–To end the controversy, I would like to inform the House and to the Members of the Treasury Benches particularly that they will have to intimate to this office that a particular information in reply to a question which they want to place on the Table of the House is to be sent to the Member concerned in advance.

श्री जयनारायण व्यास--I agree, Sir.

श्री अध्यक्ष--Next. Shri Dharam Chand.

(श्री धर्मचन्द ने कोई प्रश्न उपस्थित नहीं किया)

The Question hour is over now.

सदस्यों को सदन से अनुपस्थित रहने की अनुमति

सभा की कार्यवाही प्रारम्भ होने से पूर्व मैं सदस्यों को सूचित करना चाहता हूं कि पं० माधोप्रसाद ने दिनांक १० मार्च से इस सत्र के अन्त तक इस विधान सभा की बैठक से अनुपस्थित रहने की स्वीकृति के लिये प्रार्थना की है। क्या सदस्यों की अनुमति है कि उन्हें सदन से अनुपस्थित रहने की आज्ञा प्रदान की जावे।

विरोधी पक्ष—No.

श्री अध्यक्ष--I close my ears and do not hear the voices of "No".

(Laughter)

श्री जसवन्तसिंह--Sir, has the Hon'ble Member given any reason for his absence ?

श्री अध्यक्ष—It is not necessary.

श्री जसवन्तसिंह—I just wanted to know whether he has given any reason.

श्री हरिकृष्ण व्यास--The leave may be granted.

श्री जसवन्तसिंह-- Ordinarily, Sir, it is a practice to give the reason, either due to illness or for other reasons a certain member wants to be absent from the House.

श्री टीकाराम पालीवाल--I may tell one thing. I think we all know that lately he lost his son and since then his mind is upset. He must have got additional responsibilities of buisness and family affairs. Perhaps he is not in a fit mood. That should be the reason, I think.

श्री एच. के. व्यास--It is customary to accord permission. I think we should unanimously agree.

(स्वीकृत)

श्री अध्यक्ष--I think the House is in a more light mood. The leave is granted.

श्री जसवन्तसिंह--No body, objects Sir, I only wanted to know for my information whether he has stated any reason in his application.

श्री अध्यक्ष--The application is being brought here. I think he has given the same reason which has been stated by the Deputy Leader and he has given some additional reasons that he is ailing and has got some trouble in the leg.

आकलन तथा जन-लेखा समिति

Now I have to inform the Members that the following programme has been fixed for scrutiny of nomination papers, their withdrawal and the holding of elections, if necessary, in connection with the public Accounts Committe and the Estimates Committee :—

1.	Scrutiny of nomination Papers in the presence of such of the Members who may like to be present.	18th March,1953, just after the meeting of the House is over.
2.	Withdrawal of nomination papers.	20th March 1953 by 5.00 P.M.
3.	Polling, if necessary.	27th March 1953, from 2.00 P.M. to 6.00 P.M.

Scrutiny of the nomination papers will be conducted by the Secretary, Rajasthan Legislative Assembly, who will act as Returning Officer for these elections, in the Committee Room.

Withdrawal of nomination papers can be made either by a statement made before the Assembly or by a notice in writing, signed by the candidate and

[श्री अध्यक्ष]

addressed to the Secretary, Rajasthan Legislative Assembly, and must be delivered by 5.00 P.M. on the 20th March, 1953 in the Notice Office which will remain open for the purpose.

श्री एच. के. व्यास--Sir, when will the list of nominations filed, be published ?

श्री अध्यक्ष--Just after the scrutiny.

श्री एच. के. व्यास--Have any rules in this regard been framed by the Hon'ble Speaker ?

श्री अध्यक्ष--We have not got any rules. We can adopt the U.P. Rules. Just after scrutiny all the valid nominations will be submitted to me and I will intimate the Hon'ble Members of this House as to which rules we are going to follow and the process will be explained if the Members so desire.

स्थगन प्रस्ताव

Now I have to inform the House that I have received a Motion of Adjournment by Shri Santosh Singh and I want to know whether the Minister-in charge has got any objection to it ?

श्री रामकिशोर व्यास--मुझे इसमें दो ऐतराज हैं।

एक तो यह कि यह जो काम-रोको प्रस्ताव है वह बिजनैस रूल्स के अनुसार नहीं है क्योंकि बिजनैस रूल्स की दफा ७१ के द्वारा जब कोई सदस्य काम-रोको प्रस्ताव भेजे तो सभा की कार्यवाही शुरू होने से पहले इसकी कॉपी माननीय अध्यक्ष, सेक्रेट्री और मिनिस्टर इन्चार्ज को भेजना चाहिये। मुझे इसकी नकल यहाँ कार्यवाही शुरू होने के बाद, जब प्रश्न चल रहे थे, दी गई थी। इसलिये यह काम-रोको प्रस्ताव दफा ७१ के अनुसार नहीं है।

दूसरा ऐतराज यह है कि इसकी सूचना अभी मिली है और इसमें जो बात चाही गई है वह जोधपुर में महात्मा गांधी हॉस्पिटल में एक बीमार था, जिसको कुछ डाकुओं ने मारा था, उसे चोट आई और वह मर गया, इसके बारे में इत्तला चाही गई है। इस समय इसकी इत्तला भी मेरे सामने नहीं है। मैंने जैसे ही यह सूचना आपसे मिली, वैसे ही जोधपुर अर्जेन्ट ट्रंक कॉल बुक कराई है। अभी जवाब आया नहीं है। इसलिये मैं इन दो आपत्तियों के आधार पर इस काम-रोको प्रस्ताव पर बहस करना अनावश्यक समझता हूं।

Page No.33

श्री **संतोषसिंह**—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने जो प्रस्ताव रखा है उसकी तीन कॉपियां बराबर बराबर करके एक मैंने सचिव जी को, एक अध्यक्ष महोदय को और तीसरी माननीय मन्त्री जी को दी है। और अध्यक्ष महोदय के यहां पदार्पण करने से पहले, प्रश्न शुरू होने से पहले, ये कॉपियां दी गई हैं। चाहे एक आध मिनिट पहले ही दी हों पर पहले दी जरूर हैं।

अब आपके पास जवाब आया या नहीं इसके लिए मेरे पास कोई चारा नहीं है। यह सवाल अहमियत का है। एक किसान जंगल में रहता था, अपनी खेती बाड़ी की निगाह रखता था, उसको अकेले में अचानक रात के समय लाठियों से मारा गया और वह बेहोशी की हालत में अस्पताल में लाया गया और वहां वह मर गया..........

श्री **अध्यक्ष**—You are not dicussing the Adjournment Motion?

श्री **संतोषसिंह**—मैं तो कहना चाहता हूं कि यह मामला जरूरी है इसलिए आज्ञा प्रदान की जावे।

श्री **जसवन्तसिंह**—श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, जब माननीय सदस्य मन्त्रीजी के कथन का जवाब दे रहे हैं और केटोगेरिकली दूसरी बात कह रहे हैं कि जब उन्होंने हाउस में माननीय अध्यक्षजी के पधारने से पहले एक कॉपी दे दी है तो मैं नहीं समझता कि माननीय मन्त्रीजी यह कैसे कह सकते हैं कि सवाल शुरू होने के बाद उन्हें कापी दी गई है। कृपया इसका स्पष्टीकरण करें।

श्री **टीकाराम पालीवाल**—मैं समझता हूं कि जब माननीय मन्त्री ने कहा कि कार्यवाही शुरू होने के बाद यह प्रस्ताव दिया गया है तो माननीय सदस्य यह कैसे कहते हैं कि पहले दे दिया।

श्री **जसवन्तसिंह**—इसका निर्णय होना चाहिये कि कौन झूठ बोलता है।

श्री **रामकिशोर व्यास**—किसी के झूठ बोलने न बोलने का प्रश्न नहीं है। पहले सेक्रेटरी के पास वे गये और उसके बाद मेरे पास आये। शायद यह बात इनको याद नहीं है।

श्री **हरिकृष्ण व्यास**—माननीय अध्यक्षजी, पांच–दस मिनिट के पहले या बाद वाली बात को एक बार यदि एक ओर रख दिया जावे तो असल चीज हमारे सामने आजावेगी।

प्रश्न अगर पब्लिक इम्पोर्टेन्स का है, जिस पर सदन को बहस करने का मौका दिया जाना चाहिये तो, पांच–सात मिनिट देर या जल्दी, केवल इस माइनर टैक्निकल ग्राउन्ड पर इसे रिजेक्ट नहीं करना चाहिये।

मैं मानता हूं कि यह प्रश्न महत्व का है, अर्जेन्ट है, पब्लिक इम्पोर्टेन्स का है क्योंकि इसमें एक आदमी की जान का सवाल है। यही नहीं पूरे के पूरे हॉस्पिटल के मरीजों की जानों का सवाल है। इसलिए इस पर बहस की इजाजत दी जानी चाहिये।

श्री **अध्यक्ष**—जान तो चली गई।

श्री **हरिकृष्ण व्यास**--और किसी की भी चली जावे, क्या मालूम ।

श्री **अध्यक्ष**--यह प्रश्न जिस समय मिला उस समय का टाइम ८.३५ नोट किया हुआ है। साधारणतया नियमानुसार ऐसा एडजोर्नमेन्ट मोशन ८॥ बजे जब कि सेशन की कार्यवाही शुरू होती है उससे पहले आना चाहिये। परन्तु आज सेशन की कार्यवाही ८-३५ या ८-३६ पर शुरू हुई उससे पहले एडजोर्नमेन्ट मोशन हमारे दफ्तर में आया था। मैं नहीं कह सकता, यह माननीय मंत्री जी को कब मिला। अगर वे ठीक समय बतलाते तो मुझे ठीक पता चलता। प्रश्न के नेचर को देखते हुए ठीक में यह नहीं कहा जा सकता कि इसमें पब्लिक इम्पोर्टेन्स की कितनी गहराई है। एडजॉर्नमेन्ट मोशन के स्वीकार करने का उद्देश्य मुख्यतया यह होता है कि सदन की कार्यवाही स्थगित करके और ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न को प्रायोरिटि देकर उस पर वाद विवाद प्रारम्भ किया जाय। अब हमें देखना यह है कि क्या सदन के सदस्य को ऐसा अवसर मिलेगा और अगर अवसर शीघ्र ही मिलने वाला है तो हम इस प्रश्न को वाद के लिए स्थगित कर सकते हैं। मैं समझता हूं कि अभी जो सत्र चल रहा है वह बजट का है। बजट पर जनरल डिबेट के समय वोटिंग ऑन डिमान्ड्स आदि के समय माननीय सदस्य इस घटना की पूरी जानकारी हासिल करके सदन में बहस और वादविवाद कर सकते हैं। मैं यह आवश्यकता नहीं समझता कि मैं अपनी स्वीकृति इस पर प्रदान करूं ।

(विराम)

आकलन तथा जन लेखा समिति

Now Bills to be introduced.

श्री **एच. के. व्यास**--माननीय अध्यक्ष, बिल्स इन्ट्राडयूस होने से पहले मैं फिर से सवाल उठाना चाहता हूं इलेक्शन के बारे में। जैसा कि अभी कहा गया था कि रूल्स और रेग्युलेशन स्कुटिनि के बाद जारी किये जायेंगे फिर उसके अनुसार इलेक्शन कन्डक्ट किये जावेंगे, तो मैं यह जाना चाहता हूं कि स्कुटिनी होगी वह किस आधार पर होगी ? इस विषय में कोई ऐतराज उठाये जाएंगे कि किस रूल्स के अनुसार कांट छांट हो रही है, तो उससे पहले यह जरूरी है कि रूल्स तुरन्त शाया किये जांय and they should be deemed to have been published from the date the nomination papers were invited.

श्री **अध्यक्ष**--जो बेसिक रूल्स है उनको साधारणतया फोलो किया जायगा। इसमें मैं यह ठीक समझता हूं कि लीडर ऑफ ऑपोजीशन, डिप्टी लीडर आफ दी हाउस और अन्य कोई भी सदस्य स्पेसिफिकली कुछ करना चाहें तो मिल करके और सचिव को कन्सल्ट करके तय कर लें। जनरल रूल्स के अनुसार स्कुटिनी होगी। इलेक्शन जनरल रूल्स के माफिक कन्डक्ट होंगे और अगर उन जनरल रूल्स को शाया करवाना चाहें तो सचिव से कन्सल्ट करके इस बारे में तय कर लें

श्री **जसवन्तसिंह**--अध्यक्ष महोदय, अभी जो आपने फरमाया यह तो ठीक है। लेकिन मेरे खयाल में जहां तक श्री एच. के. व्यास ने कहा है वह काफी दुरुस्त है। इन दो कमेटियों के इलेक्शन के मुतल्लिक अन्य जगह क्या होता है, अन्य विधान सभाओं के कायदों की जानकारी नहीं की। अगर पहले से ही सोच समझ कर जब कि हमारी असेम्बली को हुए साल भर होगया बाहर से सूचनायें मंगाकर एकत्र की जा सकतीं, तो अच्छा था। इस वक्त हमारे सदन में डिप्टी लीडर ऑफ दी हाउस कौन है? यह

[श्री जसवन्तसिंह]

मेरे ख्याल में हाउस के सदस्यों को मालूम नहीं कि डिप्टी लीडर ऑफ दी हाउस कौन है। हम काम करने के लिए तैयार हैं। यह अवैधानिक होगा कि इस प्रकार के रूल्स दो चार दिन में बना लिये जायं और वे बेक इफेक्ट से लागू कर दिये जायं जैसा कि श्री एच. के. व्यास ने कहा है।

श्री **एच के व्यास**—My point is slightly legal also. The Elections are supposed to have been conducted according to the same rules which the Hon'ble Speaker is supposed to have already announced. Now since rules have not been framed what procedure is followed, is a different matter; but the rules should have been framed and formally announced by the Hon'ble Speaker as they are supposed to have been announced before the Nomination Papers had been invited.

श्री **जयनारायण व्यास(मुख्य मंत्री)**—हमें तो इसमें कोई ऐतराज नहीं कि पहले रूल्स बना लिये जाय और बाद में इलेक्शन कन्डक्ट किये जायं। हमारे यहां पार्लियामेन्टरी रूल्स हैं। हम इंगलिश पार्लियामेन्ट के बेसिस पर या इन्डियन पार्लियामेन्ट के बेसिस पर या दूसरी विधान सभाओं के बेसिस पर रूल्स बना सकते हैं, इसमें हमें कोई एतराज नहीं है। हम लीडर ऑफ अपोजीशन का इस बारे में समर्थन करेंगे।

श्री **जसवन्तसिंह**—अध्यक्ष महोदय, मुझे इसमें कोई बाधा नहीं है। किन्तु मैं यह चाहता हूँ कि कोई भी कार्य विधान के अनुसार किया जाना चाहिये; नहीं तो आपकी और हमारी हंसी होगी। इसलिये मेरे कहने का मतलब यह है कि जो भी कार्यवाही की जाय विधान के मुआफिक की जाय।

श्री **अध्यक्ष**—What is the will of the House?

श्री **एच. के. व्यास**—It is a little more will of the House. It is provided in the Rules that if such elections are held, the Hon'ble Speaker shall frame and announce the rules. So it is slightly more than the will of the House.

श्री **जसवन्तसिंह**—माननीय अध्यक्ष, जिस प्रकार इस विधान सभा के "रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कन्डक्ट आफ बिजीनैस" पंजाब प्रान्त के रूल्स के आधार पर बनाये गये थे उसी प्रकार इसमें भी यू. पी. या किसी प्रान्त या पार्लियामेन्ट के रूल्स अख्तियार किये जा सकते हैं। इसलिये किसी प्रान्त की विधान सभा के रूल्स भी लिये जा सकते हैं ताकि उचित तरीके से यह चुनाव खत्म किये जा सकें।

श्री **अध्यक्ष**—मैं यह फिर सूचित कर दूं माननीय सदस्यों को इस संबंध में कि इस दफ्तर ने पार्लियामेन्ट से सेक्रेटेरियेट (सेन्ट्रल) से जानकारी की थी तो मालूम हुआ कि वहां उन्होंने कोई खास रूल्स नहीं बना रखे हैं। यू.पी. में अलबत्ता जो कार्यवाही होती है, जिन प्रिंसपल्स पर जो कार्यवाही होती है वह प्रोपोर्शनल रिप्रेजेन्टेशन के ऊपर करते हैं। पंजाब में भी ऐसे कोई रूल्स नहीं हैं। यू.पी. में ऐसे रूल्स जो उन्होंने अलग इन नियमों के अन्तर्गत बना रखे हैं तो यदि सदस्य चाहें कि कोई लिखित रूल्स होने ही

[श्री अध्यक्ष]

चाहिये तो उस हालत में किसी भी पार्ट ऐस्टेट्स के रूल्स ऐडाप्ट किये जा सकते हैं mutatis mutandis और यहां यह छूट हो कि जिन प्रिन्सिपल्स पर स्क्रूटिनी हो जैसा कि इलेक्शन लॉज में स्क्रूटिनी होता है उस तरह की स्क्रूटिनी हो जावे। प्रोपोर्शनल रिप्रजेन्टेशन के अनुसार वोट्स काउन्ट हो जांय तो उस हालत में भी हम चला सकते हैं, जैसी सदन की इच्छा हो। अगर आप यह आवश्यक समझें कि किसी पार्ट 'ए' या किसी और स्टेट के रूल्स एडाप्ट करें तो वे एडॉप्ट किये जा सकते हैं।

श्री **हरिदेव जोशी**--अध्यक्ष महोदय, साधारणतया चुनावों के बारे में मन्जूर नियमों के आधार पर चला जाता है। जब तक कोई नियम नहीं हैं तब तक किस प्रकार नॉमिनेशन पेपर फाइल होंगे, कैसे उनकी स्क्रूटिनी होगी और किस प्रकार से उनके ऊपर मतदान होगा, यह आवश्यक चीजें बड़ी गोलमाल रहती हैं। इस स्थिति में बेहतर यह होगा कि यह जो नॉमिनेशन पेपर फाइल किये गये हैं वे वैसे ही खारिज समझे जायं। उसके बाद में समय दिया जाये। एकाध दिन में जो भी नियम हो उनको प्रकाशित कर दिया जाय। फिर से नॉमिनेशन भरें जांय और फिर चुनाव हों, इसमें सभी लोगों को सुविधा रहेगी। बेहतर यह होगा कि चुनावों के नियम प्रकाशित कर दिये जांय उसके बाद में नॉमिनेशन पेपर लिये जायं।

श्री **अध्यक्ष**--मैं समझता हूं कि आप बहुत दूर जा रहे हैं। जो भी आवश्यक है वह प्रोपोर्शनल रिप्रेजेन्टेशन के प्रिन्सिपल्स की है। उसे डिफाइन करना है कि वह किस तरह से होगा, केवल इतनी ही बात की आवश्यकता है। और जो बात कही गई है वह आवश्यक नहीं है। इसलिए मैं समझता हूं कि यू.पी. लेजिस्लेटिव असेम्बली के रूल्स जो हैं वह हम एडॉप्ट करलें ताकि किसी भी माननीय सदस्य को किसी भी प्रकार की आपत्ति करने का अवसर नहीं रहे। मैं समझता हूं कि जनरली वेही रूल्स हैं जो प्रिन्सिपल्स ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेन्टेशन के काउन्ट करने के सिलसिले में आते हैं। बाकी की सारी बातें हैं कि किस तारीख को नॉमिनेशन भर लिया जाय, किस तारीख को रिटर्न भरे जायं; कब चुनाव हों, ये सब बातें रूल्स में दी गई हैं। सदन के अध्यक्ष को इस बारे में अधिकार है कि इस बारे में उचित कार्यवाही करे। तो यह तय रहा कि यू. पी. के लेजिस्लेटिव असेम्बली के रूल्स को हम एडॉप्ट करेंगे और अगर माननीय सदस्य थोड़ा सा धीरज रखेंगे तो उसकी प्रतियां साइक्लोस्टाइल करवाकर सदस्यों के पास भेज दी जावेंगी।

श्री **एच. के. व्यास**--यह रूल्स जिस दिन से चुनाव शुरू हुआ है उस दिन से एडॉप्ट गिने जायेंगे।

श्री **अध्यक्ष**--इसकी आवश्यकता नहीं है। यह खाली "रिगार्डिंग दी मेथड ऑफ इलेक्शन बाई सिंगल ट्रान्सफरेबल वोट" है उसको किस तरह से केल्क्युलेट करना है, उस सीमा तक है। इसको पब्लिश कराने की जरूरत है। ये जो प्रिन्सिपल्स हैं उनके अनुसार वोट दिए जायेंगे। इसके बाद में कौन केन्डीडेट जीता या हारा इसका केल्क्युलेशन करने में ये प्रिन्सिपल्स एडॉप्ट किये हैं।

श्री **रामदयाल**--मैं सदन की जानकारी के लिए यह बताना चाहता हूं कि रूल्स नहीं होने से, जैसा कि अभी श्री हरिदेव जोशी ने कहा कि नामिनेशन पेपर तथा नामिनेशन पेपर दाखिल करने की तारीख खारिज समझी जावें।

Page No.37

श्री **अध्यक्ष**—Order! The Hon'ble Member is not following as to what is the matter. He should first understand what is the subject matter under discussion and then he should express any opinion.

श्री **रामदयाल**—नॉमिनेशन पेपर्स जो नियमों के अन्तर्गत दाखिल नहीं किये गये हैं तो क्या वैसे ही खारिज हो जायेंगे क्योंकि...

श्री **अध्यक्ष**—Order! Order!!

श्री **एच. के. व्यास**—You must excuse me for raising the point again. Do I understand that the general rules of elections in this case shall be deemed to have come into force right from the date, the first Nomination Paper has been filed.

श्री **अध्यक्ष**—Where ignorance is bliss, it is folly to be wise. We now proceed with the legislative business. Shri Ram Kishore Vyas.

विधान कार्य

पुरःस्थापित होने वाले विधेयक।

राजस्थान विधान सभा सदस्य (नियोग्यता निवारण) विधेयक, १९५३

श्री **रामकिशोर व्यास (न्याय मंत्री)**—I introduce a Bill to declare certain offices of profit not to disqualify their holders for being or for being chosen as, members of the Rajasthan Legislative.

निष्क्रान्त हित (पार्थक्य) अनुपूरक विधेयक, १९५३

श्री **अमृतलाल यादव**—माननीय अध्यक्ष, मैं निष्क्रान्त हित (पार्थक्य) अधिनियम Evacuee Intrest Separation Act, १९५१ के कुछ प्रावधानों का आपूरण (Supplement) करने वाला विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

जन-लेखा समिति पर प्रतिवेदन

श्री **वेदपाल त्यागी**—Sir, I present the report of the Public Accounts Committee for the year 1952-53.

श्री **जसवन्तसिंह**—When shall we be able to get Copies of the report of the Public Accounts Committee?

श्री **अध्यक्ष**—Are you a member of this Committee?

श्री जसवन्तसिंह—No. We would like to know what labour the Committee has put in and we are certain that they have prepared a very valuable document.

श्री अध्यक्ष—You will be delighted to know it.

श्री जसवन्तसिंह—Therefore, we like to have a copy of it.

श्री वेदपाल त्यागी—You should have the patience and you will have the copy of it.

श्री अध्यक्ष—I think within a period of 3 to 4 days.

(विराम)

yes Shri Paliwal.

राजस्थान राज्य सुरक्षा विधेयक, १९५३ पर प्रवर समिति के प्रति वेदन की प्रस्तुति

श्री टीकाराम पालीवाल—Mr. Speaker, Sir, I present the report of the Select Committee on the Bill to provide for special measures to prevent the activities prejudicial to the security of the Rajasthan State.

श्री एच. के. व्यास—Sir, I rise to a point of order. Unfortunately I bring to the notice of the House that this Report has not been considered in the Committee. I, being a member of the Committee, had no occasion to consider the draft of the preliminary report. I do not know if it is possible to make a report to the House without a decision and prior consideration of the same in the Committee. This is point No. 1.

Point No. 2 relates to the subsequent motion immediately likely to follow. That is in regard to the extension of the time after the report has been presented and atleast 5 days elapsed after copies of it have been made available to the members before any further motion in that behalf should be made. On these two points I move that the presentation of the report is irregular and it must first be considered by the Committee and then only presented as the Committee suggests.

श्री टीकाराम पालीवाल—Mr. Speaker Sir, it is not a final report as the wordings show. It is only a preliminary report. Preliminary report means just to give an indication how far the Committee has gone and how much time it may take more. So it does not require any prior consideration. Hon'ble Member contains and other Members have always been present and the report only

[श्री टीकाराम पालीवाल]

contains very brief reference as to what took place in the Committee itself. It is only a summary. My friend will perhaps agree to it. It only shows that the labours of the Committee could not be concluded and the progress so far made is very slow. So there was nothing to consider and finalize before the report was submitted.

श्री एच. के. व्यास—Mr. Speaker, Sir, I may agree as far as the facts are considered. But this is a point of procedure and as far as I have been able to peruse the procedure given in the Parliamentary Practice it has been categorically and unambiguously laid down that whatever may be the report, preliminary or final, it has to be considered by the Committee para by para and voted para by para, which means unless the report is first considered by the Committee it cannot be presented to the House. On this procedural point I want the decision first. Then we will come to the other.............

श्री टीकाराम पालीवाल—I have nothing to say, Sir. The decision to present the preliminary report was taken when the Hon'ble Member himself was present and I do not see how his objection arises now.

श्री एच. के. व्यास—I entirely agree, Sir. A decision to present a preliminary report was taken. My contention is that after it was decided to present a preliminary report the draft of the report should have been put before us. We should have considered it para by para, considered and adopted. After that it should have been presented to the House. I do not contest any of the facts but simply a decision to submit a preliminary report does not authorise the Chairman to draft a report and present it on our behalf. The decision to present a preliminary report means that it must be drafted. Draft should have been presented to us and then it should be voted para by para and after such voting and as per majority decision, it should be presented to the House. This is absolutely, categorically and unambiguously laid down in the Parliamentary Procedure. Simply a decision that we should have a preliminary report does not authorise the Chairman to draft it and present to the House. It is very serious thing. It may be that this report is minor one but here we are laying down a precedent of such a big important question. We should have, Sir, clear cut ruling on this point.

श्री अध्यक्ष—He raises one question that the draft of the prelmsinary report ought to have been approved by the Select Committee. This is his objection in nutshell.

श्री टीकाराम पालीवाल—It is nowhere laid down in the Rules of Procedure in the Parliamentary Practice, Sir. It may be shown as to where it is Categorically and unambiguously laid down in the Parliamentary Practice but it cannot take place of accepted rules in this House.

श्री एच. के. व्यास—I would refer to rule 134, Sir, which says "The report of the Select Committee along with Minutes of Dissent, if any, shall be presented to the Assembly."

श्री टीकाराम पालीवाल—Do I understand from the Hon'ble Member......

श्री अध्यक्ष—Order! Order!!

श्री जसवन्तसिंह—Sir, I wanted to submit, I am afraid, I agree with my friend Mr. H.K. Vyas, that it is true that the Chairman of the Select Committee would sign the report on behalf of the Members of the Committee but the Report has unfortunately to be given consent to by each member even though it may be a preliminary report. It may be that Mr. H.K. Vyas liked to put a Minute of Dissent. Since it has not been done, the report is not complete.

श्री तनसिंह—माननीय अध्यक्ष, यह बड़े आश्चर्य की बात है कि माननीय मंत्री यह कहते हैं कि इस प्रकार का कोई नियम नहीं है कि सिलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट कमेटी को रेफर की जावे। इस संबंध में मैं आपका ध्यान नियम १३३ की ओर आकर्षित करना चाहता हूं : "The report of the Select Committee shall be signed by the Chairman on behalf of the Committee." यह तो इतना ही अधिकार देती है कि चेयरमेन दस्तखत कर सकता है इसके उप-नियम (१) में यह लिखा है "The Select Committee to which the Bill has been referred shall make a report thereon." वह चेयरमेन को अधिकार नहीं देती है। यह बात दूसरी है कि यह प्रिलिमिनरी रिपोर्ट है लेकिन उप-धारा (४) में यह लिखा है कि रिपोर्ट फाइनल हो या प्रिलिमीनरी अतः यह अति आवश्यक है कि रिपोर्ट चाहे प्रिलिमीनरी हो, चाहे फाइनल हो, प्रवर समिति के सदस्यों को तो उस पर विचार करने का अधिकार है ही।

श्री अध्यक्ष—You are very clear to me.

श्री एच. के. व्यास—The point here is......

श्री अध्यक्ष—Is it not very clear to him?

श्री एच. के. व्यास—It is very clear. Rule 134 says that the report of the elect Committee along with Minutes of Dissent, if any, shall be presented to the ssembly by the Chairman. My submission is, Sir, even before the draft of the eport is read, even before an occasion to say anything on the draft e, is

[श्री एच. के. व्यास]

it possible for anybody to come out with the Minute of Dissent ? It is laid down in Rule 133(VIII)-"Any Member of a Select Committee may record a Minute of Dissent on any matter or matters, connected with the Bill or dealt within the Report." Unless we see the draft of the Report , we are not in a position to say what is to be done in it and surely no occasion arises to present a Minute of Dissent. Since the report and Minute of Dissent have to be presented to the Assembly ; it follows that it be discussed by the Committee. This opportunity of submitting Minute of Dissent, if any, be given and then the final thing has to be presented. Even according to the rules of the Rules Committee it is absolutely obligatory. This is the interpretation of Rule 134 as it stands.

श्री टीकाराम पालीवाल—I have never disputed what the Hon'ble Member has just said. What he said is all about the final report and not about the preliminary report. Any how I have no objection in presenting the report to the Select Committee for its approval., in future. So if they think or like, the present report can be presented again. I have no objection. But I think the objections that are being raised here are similar to those raised in the Select Committee itself. Any way.

श्री अध्यक्ष—Generally the Bills are referred to the Select Committee in order that a more homogeneous atmosphere may be found in the Select Committee. It is true that the Chairman of the Select Committee signs the proceedings or the report of the Select Committee on behalf of the Members and every member has a right to add any Minute of Dissent on that report and that is only possible when the Report is presented after consultation with the Members of that Committee. So far as this preliminary report is concerned I don't think there is any infirngement on the right of the Hon'ble Members. It is only a preliminary report,only put up before the House as a matter of formality. The matter is bound to go back to the Select Committee again and the Hon'ble Member or each and every Member of the Select Committee has a right to put a Minute of Dissent into it. So I do not think a ruling was necessary on the point. I think the situation is now clear and I hope the atmosphere of the Select Committee will be quite homogeneous and would rather proceed in the same spirit in future.

श्री टीकाराम पालीवाल—The atmosphere in the Committee remains mostly homogeneous; not altogether but mostly.

श्री एच. के. व्यास—Rule 133(IV) says, "Reports may be either preliminary or final." My point may be conceded, that is a different matter.

श्री अध्यक्ष—Yes, next.

राजस्थान राज्य सुरक्षा विधेयक, १९५२: पर प्रवर समिति के प्रतिवेदन की प्रस्तुति के लिये समय में वृद्धि।

श्री टीकाराम पालीवाल—Sir, I move that the time appointed for the presentation of the report of the Select Committee on the Bill to provide for special measures to prevent the activities prejudicial to the security of the State be extended to 31-3-1953.

In this case at least one point has been disposed of.

श्री एच. के. व्यास—Since it has been treated as Report, 5 days should have elaps after copies have been received before any further motion on it can be made and I do'nt think anything is going to happen by the lapse of 5 days. But this clearly lays down that copies must be given to each member 5 days before any further motion may be made.

श्री टीकाराम पालीवाल—What is that rule ? Please read out.

श्री अध्यक्ष—He perhaps means Rule 136.

श्री टीकाराम पालीवाल—But that rule refers to the final Report.

श्री अध्यक्ष—Final Report ......

श्री टीकाराम पालीवाल—Motion for passing the Bill; further consideration; this and that............

श्री अध्यक्ष—Yes. Is it the leave of the House to grant extension of time for the presentation of Report on the Security of the State Bill, 1952, upto 31-3-1953.

(स्वीकृत)

The time is accorded.

(विराम)

राजस्थान कृषि आय-कर विधेयक, १९५२

There is a little mistake in the agenda which has been sent to the Members. The Member-in-charge of the Bill will request for the extension of time for the presentation of the Report of the Select Committee for the Rajasthan Agriculture Income Tax Bill, 1952.

श्री भोलानाथ—Sir, I move that the time appointed for the presentation of the report of the Select Committee on the Bill to provide for the levy of a tax on agricultural income derived from land situated in the State of Rajasthan be extended upto 20th March, 1953.

श्री भीमसिंह—मेरा यह संशोधन है कि २० मार्च तक की अवधि कम है अतः २७ मार्च तक की अवधि चाही जावे ।

श्री एच.के. व्यास—मेरा यह संशोधन है कि इसकी अवधि १ अक्टूबर तक बढ़ा दी जाय ।

श्री अध्यक्ष—Are both of you the Members of the Select Committee.

श्री भीमसिंह—Sir, I am one of the Members of the Select Committee.

श्री भोलानाथ—मैं भीम सिंह जी का संशोधन स्वीकार करता हूं ।

श्री अध्यक्ष—क्या सदन को श्री भीमसिंहजी का संशोधन स्वीकार है ।

(स्वीकृत)

२७ मार्च तक अवधि बढाने की स्वीकृत हुई ।

जयपुर जिला-समिति (अवधि विस्तार) विधेयक, १९५३

श्री रामकरण जोशी—मैं प्रस्ताव करता हूं कि जयपुर जिला समिति अधिनियम, १९४७ के अन्तर्गत संस्थापित जिला समितियों की अवधियों के विस्तार की व्यवस्था करने वाला विधेयक विचारार्थ लिया जावे ।

इसकी आवश्यकता इसलिये पड़ी है कि आगे हमारे राजस्थान के लिये एक समान कानून, जिला बोर्डों से सम्बन्धित, सदन के सामने आने वाला है । वह जब तक नहीं आता तब तक फॉर्मर जयपुर में पांच जिला बोर्ड स्थापित हैं वे काम करते रहें और उनके काम में कोई कानूनी बाधा नहीं आये । इस लिये इस विधेयक की आवश्यकता आ पड़ी है । यह विधेयक, सारे राजस्थान में दूसरे बोर्डों के चुनाव नहीं हो जाते तब तक के लिये इन बोर्डों को कायम रखेगा । जयपुर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स एक्ट के अन्तर्गत नये एक्ट के मुताबिक चुनाव होने वाले हैं, नये चुनाव अभी नजदीक भविष्य में करवाना असुविधाजनक होगा । इन बातों को ध्यान में रखते हुए यह विधेयक रखा गया है । अतः मेरा यह विधयक विचारार्थ लिया जाय ।

श्री अध्यक्ष—Motion moved.

(विराम)

The Question is that the Jaipur District Boards (extension of terms) Bill, 1953, be taken into consideration.

श्री भैरूसिंह (१६)—इस बिल को विचारार्थ लिये जाने में हमें विशेष आपत्ति न होकर एक आपत्ति यह है कि आज की List of Business हमे सदन में आने से १५ मिनट पहले मिली।

इस बिल पर विचार करना आवश्यक है। जयपुर में जितने भी डिस्ट्रिक्ट बोर्ड स हैं वे नोमिनटेड हैं। उनके खिलाफ जनता में काफी असंतोष है। उस असंतोष के विकास को रोकने के लिये उनके समय की वृद्धि करना ठीक नहीं हो सकता। यदि फिर भी सरकार इस तरह के अधिकार अपने हाथ में लेना चाहती है तो इससे साफ है कि इससे जनता का असंतोष बढेगा ; इस तरह की संभावना है और इसलिये इस पर काफी विचार करना है। लेकिन दुर्भाग्यवश मुझे इस प्रकार का कोई समय नहीं मिला। १५ मिनिट के नोटिस में आने विचारों को प्रस्तुत करने के लिये तैयार होना बिल्कुल असंभव है। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि इस बिल को और दूसरे बिलों को जो कि आज विचारार्थ आने वाले हैं आज स्थगित कर दिया जाय यानि आज की सदन की कार्यवाही में नहीं लिये जायं। मैंने इस संबन्ध में कई सदस्यों से बातचीत की तो मालूम हुआ कि ८-१० सदस्यों के पास तो यह एजेन्डा कल रात को पहुंच गया था लेकिन कइयों को आज यहां आन के बाद ही मिला। इसलिय में निवेदन करूंगा कि इस पर आज विचार न करके भविष्य में इस पर विचार किया जाय।

श्री भीमसिंह—जो प्रोग्राम मेम्बर्स के पास भेजा जाता है उसमें यही लिखा रहता है कि "राजकीय विधेयक" लिया जायगा। पूरे डिटेल्स नहीं लिखे जाते। पहले पंचायत बिल चल रहा था इसलिये सभी सदस्य सोच रहे थे कि पंचायत बिल पर ही बहस होगी और उसी के लिये सभी लोग तैयारी करके आये थे। मैं यही निवेदन करूंगा कि आयन्दा एजेन्डा में डिटेल्स भेजी जाय ताकि उसी के अनुसार हम अपनी तैयारी कर सकें।

श्री मानसिंह (जमुआ रामगढ)—माननीय अध्यक्ष, इस विधेयक के बारे में जो कुछ भी हमारे ऐतराजात हैं वे तो बाद में प्रस्तुत किये जायेंगे। लेकिन हमारा सबसे बडा ऐतराज जब से एसेम्बली कायम हुई उस दिन से चला आ रहा है ; वह यह है कि कार्य-प्रणाली में गलती जरूर होती आ रही है और हमारे पास एजेन्डा हमेशा देरी से पहुंचता है। अमूमन रात को दस बजे आता है। यह नामुमकिन बात है कि रात को दस बज बैठ कर तैयारी की जाय। लेकिन दुर्भाग्य से आज तो एजन्डा सुबह मिला इसलिय निवेदन है कि इन्हें स्थगित किये जायें तो न्याय संगत होगा और हम तो आपसे हमेशा न्याय की आशा करते हैं।

श्री रामकरण जोशी (स्वायत्त शासन मंत्री)—माननीय अध्यक्ष, जो ऐतराज अभी माननीय सदस्यों ने किये हैं वे कम से कम इस विधेयक के उपर लागू नहीं होते। इस विधेयक की पूर्व सूचना गये सेशन में सब को मिल चुकी है और इसकी प्रतियें सब के पास जा चुकी थी। इसलिये इस मौके पर यह सवाल करना कि इस पर विचार करने के लिये काफी समय नहीं मिला, असंगत मालूम पड़ता है। साथ ही यह भी कहा गया कि सारी जनता में अविश्वास और असंतोष है। तो माननीय सदस्यों को इस बात का परिचय जरूर होगा कि सारी जनता म अविश्वास और असंतोष किस तरह से है और उसका क्या कारण है, इस का प्रमाण उनको सामने लाना होगा.....

श्री **मानसिंह (जमुआ रामगढ़)**--ऑन ए पोइन्ट ऑफ आर्डर, सर, हमने इस विधेयक के जनरल प्रिन्सिपल्स पर बहस प्रारम्भ नहीं की है। अभी तो पॉइन्ट ऑफ प्रिविलेज ही चल रहा है।

श्री **रामकरण जोशी**--मैं यही निवेदन कर रहा था कि इसे विचारार्थ नहीं लिये जाने का कहना डिलेइंग टेक्टिस है। इसका सर्क्युलेशन पिछले सेशन में बहुत समय पहले हो चुका है। इसलिये यह कहना कोई मजबूत कारण नहीं है कि सूचना नहीं दी गई इसलिये इसे आज स्थगित कर दिया जाय।

श्री **भैरूंसिंह (१६)**--इस बिल की कॉपी हमारे पास जिस समय यह बिल इन्ट्रोड्यूज हुआ था समय पहुंची थी; लेकिन किस तारीख को सदन में विचारार्थ इसे लिया जायगा इसकी इत्तला नहीं मिली थी। माननीय मन्त्री जी ने फरमाया था कि जिला बोर्डों के विरुद्ध कोई शिकायत है तो सदन के सामने रख सकते हैं। मैं आपके सामने डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स के आंकड़े पेश करूंगा। उनको लाने के लिये समय की आवश्यकता है। यदि मुझे पहले मालूम होता कि इसे आज लिया जायगा तो मैं आंकड़े मकान से लेकर आता और बताता कि जनता में किस तरह से अविश्वास और असंतोष है। मैं इसके सैकड़ों प्रमाण सदन के सामने प्रस्तुत कर सकता हूं और जिनको मालूम नहीं है उनको बतला सकता हूं। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि इसके लिये समय दिया जाय।

श्री **रामकरण जोशी (स्वायत शासन मंत्री)**--मैं समझता हूं कि आंकड़े बता देने के बाद और न बताने पर केवल असंतोष बतला देने से इस विधेयक पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। इसके द्वारा इतनी मयाद बढ़ाने की मांग करते हैं कि जब तक राजस्थान में समान कानून के अन्तर्गत चुनाव नहीं हो जाते तब तक मयाद बढ़ाई जाय। ये बोर्ड नॉमिनेटेड हैं इनको रीकान्स्टीट्यूट (reconstitute) किया जा सकता है; यह दूसरी बात है। परन्तु जब तक राजस्थान में समान कानून के अन्तर्गत नये चुनाव नहीं हो जाते तब तक के लिये मयाद बढ़ाने के लिये यह विधेयक है। इसे आज सदन में विचारार्थ लिया जाय और पास किया जाय; यही मेरा निवेदन है।

श्री **भैरूंसिंह (दाताँरामगढ़)**--माननीय मन्त्रीजी ने अभी फरमाया कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स के खिलाफ जो असंतोष है उसके आंकड़े पेश किये जाने पर भी उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इस सम्बन्ध में मैं यह निवेदन करूंगा कि इस प्रकार जितने कानून बनाये जाते हैं उन कानूनों की मंशा यह होती है कि जनता को ज्यादा से ज्यादा फायदा मिले। मगर इन बोर्डों और कमेटियों के प्रति जनता का विश्वास है या नहीं और वे अच्छी तरह से कार्य कर रहे हैं या नहीं, यह आप अच्छी तरह जानते हैं। मन्त्री जी ने फरमाया कि इन डिस्ट्रिक्ट बोर्डों की जिन्दगी कायम रखनी है। ऐसे बोर्डों की जिन्दगी को कायम रखने से, जिनसे जनता में असंतोष है और जिनके द्वारा जनता की रकम का खुले आम दुरुपयोग होता है, क्या फायदा है? उनकी जिन्दगी और बढ़ाने के बजाय तो यदि सरकार उनको अपनी आधीनता में लेले तो कोई शिकायत नहीं होगी। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि इसको विचारार्थ लेने का समय दिया जाय।

श्री **मानसिंह (जमुआ रामगढ)**—इस विषय पर मन्त्री महोदय ने जो स्पष्टीकरण किया है उससे यह दिखता है कि वे मिसअन्डरस्टेन्ड (Misunderstand) कर रहे हैं। उनकी जो अवधि बढाने की नीति है उसे तो हम सपोर्ट करेंगे पर इस समय तो सवाल यह है कि हमे ऐजेन्डा लेट (late) मिला इसलिये इस वक्त इसे स्थगित कर दिया जाय। मन्त्री जी और अन्य सभी लोग जानते हैं कि जिस प्रकार मन्त्री मन्डल बदलता है और एक मन्त्री जाता है और दूसरा आता है तब वे फुटबाल की तरह डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के मेम्बर्स को इधर उधर फेंक देते हैं। ऐसे डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स की अवधि बढाने से कोई लाभ नहीं हो सकता। मैं मन्त्री महोदय से प्रार्थना करूंगा कि ऐसे डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स जो जनता का विश्वास खो चुके हैं और जो जनता का किसी प्रकार भी प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं, जल्दी ही खतम किये जायं। यदि सरकार सुचारु रूप से एडमिनिस्ट्रेशन चलाना चाहती है तो योग्य आदमियों को एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त करे और उनके जरिये यह काम चलावे। क्योंकि मैं बतलाना चाहता हूं कि जब से यह मालूम हुआ है कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के मेम्बर्स में हेर फेर होने वाला है तब से इतनी ज्यादा तादाद में ठेके दिये जा रहे हैं कि कुछ कहा नहीं जा सकता। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की जमा की हुई रकम को आंख मूंद कर अपने दोस्तों को ठेकों के जरिये बांटा जा रहा है। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि इस विधेयक का कंसीड्रेशन व डिस्कसन पोस्टपोन किया जाय और हमें वक्त दिया जाय। हमारी सरकार को और मन्त्रीजी को शायद मालूम (श्री उपाध्यक्ष पदासीन) नहीं है कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स में क्या हो रहा है। हम उनको फेक्ट्स और फिगर्स बतलायेंगे और उनकी आंखें खोलेंगे जिससे वे मजबूर हो जावेंगे कि इस बिल को विदड्रा कर लें। इसलिये मैं प्रार्थना करूंगा कि हमें समय अवश्य दिया जाय। यदि ऐसी वाजिब चीज पर समय नहीं दिया जाता है तो मैं कहूंगा कि यह काला कानून होगा।

श्री **जसवन्तसिंह**—श्रीमान् उपाध्यक्षजी, विरोधी दल की ओर से माननीय मन्त्रीजी को यह दरख्वास्त की जा रही है कि इस बिल पर बहस थोड़े समय के लिये स्थगित की जाय। मैं नहीं समझता कि इस बिल पर इस वक्त ही बहस करना क्यों जरूरी महसूस किया जा रहा है? डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स की जो हालत है, मैं समझता हूं कि माननीय मन्त्रीजी खुद इतना तो जानते होंगे जितना कि विरोधीदल के सदस्य जानते हैं; किन्तु जानते हुये भी राजनैतिक कारणों से उनकी ओर से आंख मीची जा रही है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में अर्थात् डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स की हालत के सम्बन्ध में विरोधी पक्ष की ओर से जो बातें सदन के सामने रखने दी जायं उन पर गौर किया जाय। अतः इस पर विचार करने के लिये अवश्य समय दिया जाय। माननीय मन्त्रीजी ने बतलाया था कि हमारे राजस्थान में ऐसी म्युनिसिपैलिटियां हैं जिनको हमारी सरकार ने किन्हीं कारणों से पसन्द नहीं किया। उन म्युनिसिपैलिटीज को हटा कर वहां एडमिनिस्ट्रेटर्स नियुक्त कर दिये गये हैं। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि म्युनिसिपैलिटीज के समान डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स के बारे में जनता की अधिक शिकायतें हैं तो मैं यह जानना चाहता हूं कि उनको क्या एतराज हो सकता है कि उन डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स को भंग करके वहां भी एडमिनिस्ट्रेटर्स नियुक्त किये जायं? अतः मैं मन्त्रीजी से निवेदन करूंगा कि इस बिल पर विचार करने के लिये समय निश्चित किया जाना चाहिये।

श्री रूपनारायण शास्त्री—मैं यह कह देना चाहता हूं कि इस बिल के सम्बन्ध में बहुत कुछ निवेदन किया गया है, इस बिल से प्रजा में सन्तोष के बजाय असंतोष बढ़ता जा रहा है। इन डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स में ऐसी धांधली मची हुई है कि अपने अपने आदमियों को इनमें भरा गया है, नामजद किया गया है। मैं समझता हूं कि इनमें से २० में से १८ व्यक्ति केवल एक ही वर्ग विशेष के हैं। इसलिये ऐसे आदमियों की अवधि बढ़ा दी जाय और अपने आदमियों को काफी फायदा पहुंचे ; अगर यही इसका उद्देश्य है तो मैं यह कहना चाहूंगा कि ऐसे डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स में अपने आदमियों को ही क्यों न नामजद कर दिया जाय और चुनाव रद्द कर दिये जायं। प्रजा का हित करने के लिये और ग्रामीण जनता के हित के लिए तो यह नहीं है।

श्री रामकरण जोशी (स्वायत्तशासन मंत्री)—माननीय सदस्य विस्तार से बात कह रहे हैं। उन्हें चाहिये कि वे इस बात पर बोलें कि यह बिल विचारार्थ आज ही लिया जाय या नहीं।

श्री रूपनारायण शास्त्री—मैं आपकी बात को पूरी तरह से नहीं सुन सका हूं। पहले मैं अपनी बात आपको सुना दूं और फिर आप इस सम्बन्ध में कहें तो ठीक होगा।

श्री रामकिशोर व्यास (स्वास्थ्य मंत्री)—Mr. Deputy Speaker, Sir, I humbly submit......

श्री रूपनारायण शास्त्री—मैं पहले ही कह चुका हूं कि मैं अंग्रेजी भाषा से परिचित नहीं हूं। अगर विलायत से आए हैं तो जयपुर में ही रह कर भाषा सीख सकते हैं।

(हंसी)

तो मैं यह कह रहा हूं कि मैं इस सम्बन्ध में कह दूं तो फिर इस पर कहा जाय। बीच में कहना तो ठीक नहीं है। जो मैं कह रहा हूं उसको पहले सुन लिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—क्या माननीय सदस्य बिल पर विचार करने के लिए समय चाहते हैं अथवा इस पर आज ही विचार किया जाना चाहते हैं।

श्री रूपनारायण शास्त्री—हम तो आगे के लिये समय चाहते हैं। और मेरे कहने का यही उद्देश्य है इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स जनता के विश्वासपात्र होने चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष—यह तो दूसरी बात है। आप तो सिर्फ यही बात कहिये कि समय बढ़ना चाहिये या नहीं और अगर बढ़ना चाहिये तो क्यों ? आप इस बिल के सम्बन्ध में अपने विचार प्रगट न करके "समय बढ़ना चाहिये या नहीं" इस पर ही विचार प्रगट करियेगा।

श्री रूपनारायण शास्त्री—मैं तो इस सम्बन्ध में कारण उपस्थित कर रहा था कि इसको क्यों बाद में लिया जाय। अतः मैं इतना ही कहूंगा कि हम इस पर विचार करना चाहते हैं और फिर अपने विचारों को सदन के सामने रखना चाहते हैं। इसलिये समय अवश्य दिया जाय।

श्री कानसिंह—यह बिल हमारे सामने बहुत ही थोड़े समय में रखा गया है। अगर हमको पहले मालूम हो जाता कि ऐसा बिल सदन के सामने आ रहा है तो सब ही अपना अपना मसाला लेकर आते और सदन के सामने पेश करते। (हंसी) किन्तु यह मौका नहीं देने का कारण यही मालूम होता है कि सरकार चाहती है कि अन्धेरगर्दी में सदन को धोखा देकर जल्दबाजी में बिल पास करा लिया जाय। अगर सरकार हमारे एतराज व उजरात सुनना चाहती है तो उन एतराजों को पेश करने देने में सरकार को संकोच नहीं करना चाहिये था। इसलिये सरकार की अन्धेर गर्दी और बदनियत साफ तौर पर हमारी नजर में आ रही है और फिर भी साथ ही साथ सरकार यह इस्तदुआ करती है कि जल्दबाजी में, एतराज सुने बिना ही, बिल ले लिया जाय। मैं इस सदन से यह अर्ज करूंगा कि इस प्रकार यह कानून पास करना, कानून पास करने के जो प्रिन्सिपल्स होते हैं, उन प्रिन्सिपल्स के खिलाफ होगा। सरकार को कोई कानून बनाने में इस प्रकार जल्दबाजी नहीं करनी चाहिये। और साथ साथ सरकार को दूसरों के विचार सुनने में संकोच नहीं करना चाहिये। यह बहुत बड़ी खुशी की बात होगी यदि यह बिल दो- चार दिन पहले ही पास हो जाय, और न इससे कार्य में आने में फर्क पड़ने वाला है। आपकी मेजोरिटी है। दो चार दिन पहले पास न होकर पीछे भी पास हो सकता है। किन्तु आप हमको भी मौका दें कि हम भी अपने विचार सदन के सामने रखें।

श्री रामकरण जोशी (स्वायत्त शासन मंत्री)—जो भी सरकार के सुनने की बात है वह हमेशा सुनने के लिये तैयार है। सुनने-सुनाने की बात सबने कह ही दी है। बजट सेशन शुरु होने वाला है। किसी ऐसी संस्था का, जिसको हम लोकल बॉडीज़ कहते हैं, जिसका ताल्लुक काम से है और जिसका काम जिलों के अन्दर फैला हुआ है, उसके अवधि विस्तार के लिये कोई विधेयक होता है तो वह टेक्निकल होता है। यदि बजट के काम में से समय दे सकते हैं तो इस बिल को आज के बजाय कल विचारार्थ ले लिया जाय, इसमें मुझे कोई एतराज नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष—यह बिल कल विचारार्थ लिया जाय।

(विरोधी दल की ओर से करतल ध्वनि)

चूंकि मयाद खत्म हो रही है इसलिये कल ही लिया जायगा। सदस्यों को इस पर विचार करने के लिये एक दिन का समय और मिल जायगा। गवर्नमेन्ट होस्टल में इसकी कॉपियां सदस्यों के लिये भिजवा दी गई थीं किन्तु बहुत से सदस्यों का पता ठीक नहीं होने से उनको नहीं मिलीं। इसी ख्याल से मैंने एक दिन और बढ़ा दिया है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—तो इस हिसाब से सप्लीमेन्टरी ग्रान्ट्स पर विचार करने के लिये एक दिन और बढ़ जायगा।

श्री उपाध्यक्ष—इस हिसाब से सब के लिये एक दिन और बढ़ जायगा।

संविधान में संशोधन सम्बन्धी संकल्प

(Resolution)

श्री रामकिशोर व्यास—माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं यह संकल्प प्रस्तावित करता हूं, "यह सदन, संविधान (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९५२, द्वारा किये जाने वाले सविधान के अनुच्छेद

[श्री रामकिशोर व्यास]

८१ (१) के संशोधन की, जैसा कि संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित हो चुका है, पुष्टि करता है ।"

इस प्रस्ताव को पेश करने का उद्देश्य यह है कि संविधान की धारा ८१(१) के अनुसार भारतीय संसद के सदस्यों की संख्या ५०० नियत है । इनके चुनाव के लिये इन्हें ऐसे चुनाव क्षेत्रों में बांटा जाना चाहिये, जनसंख्या के आधार पर कि जिसमें अभी तक लाअर लिमिट ५ लाख की रक्खी गई थी और अपर लिमिट साढ़े सात लाख रक्खी गई थी अर्थात् पांच लाख की जहां जनसंख्या हो वहां एक आदमी से ज्यादा न हो और साढ़े सात लाख की जहां जनसंख्या हो वहां भी कम से कम एक आदमी हो ।

वर्तमान चुनाव जो हुए वे ४१ की जनसंख्या के आधार पर हुए और इसी को राष्ट्रपति ने अपनी एक विज्ञप्ति द्वारा अधिकृत मान कर चुनाव कराने की स्वीकृति दे दी थी ।

इसके बाद सन् ५१ में नई जन-गणना हुई और इसमें अन्तर आया । सन् ४१ की जनसंख्या से ५१ की जनसंख्या बढ़ी । संविधान की धारा ८१ (ख) में जनसंख्या के आंकड़े लिये हुए हैं—लोअर लिमिट ५ लाख और अपर लिमिट साढ़े सात लाख किन्तु इस संशोधन के अनुसार इनमें परिवर्तन करके साढ़े छः लाख और साढे आठ लाख कर दिये जाने का सुझाव है । इस तरह का संशोधन पार्लियामेन्ट ने पेश किया है ।

अब संविधान के अनुसार उसमें जो परिवर्तन किये जाते हैं तो उसको, अलग अलग जो स्टेटें हैं उनकी विधान सभाओं के आधे से अधिक सदस्यों का समर्थन मिलना चाहिये । इसके अनुसार यहां भी यह संशोधन भेजा गया है । इस प्रस्ताव के द्वारा प्रार्थना है कि जो अमेन्डमेन्ट आपके सामने प्रस्तुत है उसका आप समर्थन करें ।

श्री **अध्यक्ष**—प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

श्री **जसवन्तसिंह**—श्रीमान् उपाध्यक्षजी, मैं दो-चार सवाल स्पष्टीकरण के लिये पूछना चाहता हूं जिनका जवाब मिलने के बाद हम इस संशोधन पर विचार करेंगे । पहला प्रश्न तो यह है कि क्या इस अमेन्डमेन्ट एक्ट पर दूसरे स्टेटों की विधान सभाओं ने भी प्रस्ताव पास किये हैं और अगर उन्होंने इस विधान में रेटिफिकेशन किया है तो वह कौनसे सैक्शन की बिना पर किया गया है और हमसे भी किस सैक्शन के आधार पर इस संशोधन पर स्वीकृति चाही जा रही है ?

दूसरा, यह है कि क्या ये पिछले चुनाव ४१ की जनसंख्या के आधार पर हुये थे ? मैं तो ऐसा खयाल करता हूं कि यह चुनाव प्रेसीडेन्ट की एक विज्ञप्ति के आधार पर हुवा जिसमें उन्होंने उस समय, उनके विचार में जितनी जनसंख्या बढ़ गई थी उसी को मुकम्मिल मान लिया था और उसी के आधार पर आदेश दिया था ; ४१ की जनसंख्या का तो आधार कहीं था ही नहीं । कृपया इसको भी स्पष्ट करें ।

श्री रामकिशोर व्यास—सभी स्टेटों को लिखा गया है। पर कहां कहां से उत्तर पहुंचा है, यह नहीं कह सकता। अभी दो तीन दिन पहले ही पत्रों में यह अवश्य पढ़ा है कि मद्रास की विधान सभा ने इसे रेटिफाइ कर दिया है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—It is not audible, Sir, something must be wrong with the loudspeaker, Sir.

श्री रामकिशोर व्यास (जारी)—और दूसरों ने क्या किया, यह नहीं मालूम।

दूसरी बात आपने यह जाननी चाही कि संविधान की कौनसी धारा के आधार पर यह संशोधन लाया जा रहा है उसके लिये दफा ३६८ में यह बात साफ तौर से बतलाई गई है। इसके अनुसार यह रेटिफिकेशन चाहा गया है।

और बात जो सेंसस (census) की कही गई है, वह ठीक है। उसे प्रेसिडेन्ट की विज्ञप्ति के आधार पर ही माना गया था।

श्री हरिकृष्ण व्यास—माननीय उपाध्यक्षजी, जो प्रस्ताव सदन के सामने पेश किया गया है उस प्रस्ताव का मैं विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

माननीय मन्त्रीजी ने ऐसा बताने की कोशिश की है जैसे कोई मामूली छोटी मोटी तब्दीली ही गई है और उस मामूली तब्दीली को हमे मन्जूर करवाने के लिए कहा जा रहा है। लेकिन वे यह बताना भूल गये कि हम भारतीय संविधान की तब्दीली के बारे में बातचीत कर रहे हैं और संविधान एक ऐसी चीज है कि जिसमें काफी सोचे बगैर, पूरी तरह से विचार किये बगैर और बहुत ही महत्वपूर्ण कारण हुए बगैर रोज रोज तब्दीली नहीं करनी चाहिये और रोज रोज तब्दीली करने की आदत भी नहीं डालनी चाहिये।

तो सबसे पहले, मैं इस प्रस्ताव का विरोध करते हुए कहना चाहता हूं कि जिन्होंने भारतीय संविधान में तब्दीली करने का सबसे पहले सुझाव पेश किया और बिल पेश किया पालियामेन्ट में यानि भारत सरकार और भारत सरकार के मन्त्रीगण ने भी और उनके इस कार्य को मन्जूर कराने का प्रस्ताव पेश करने वाले राजस्थान के मंत्रीगण ने भी भारतीय संविधान जैसे महत्वपूर्ण और बड़ी जिम्मेवार चीज को बिलकुल गैर जिम्मेवार तरीके से तब्दीली करने का रुख अपनाया है।

संविधान को इस प्रकार लाइटली रोज हर महीने दो महीने, हर साल दो साल तब्दील करना चाहिये, यह प्रजातन्त्र के लिए भी और हमारे आगे के काम के लिए भी गलत ट्रेडिशन कायम कर रहा है। यह पहला कारण है जिसके आधार पर मैं इस प्रस्ताव का विरोध करना चाहता हूं। अब इसके कॉन्टेन्ट्स की तरफ जावें। आखिर यह प्रस्ताव लाने की आवश्यकता क्यों पड़ी?

हमारे राजस्थान के मंत्रीजी ने थोड़ा सा इसका जिक्र किया और कहा है कि भारतीय संविधान में लोवर लिमिट ५ लाख की रक्खी गई है और अब सन् ५१ में सेंसस हुआ तो हमे पता चला कि हमारी

[श्री हरिकृष्ण व्यास]
आबादी कुछ बढ़ गई है और इस वजह से इन लिमिट्स को तब्दील करना आवश्यक प्रतीत हुआ और इस आशय का अमेन्डमेन्ट विधान में किया गया ।

मेरा खयाल है, वे यह बताना भूल गये कि यदि सन् ५१ की सेंसस हुई है और सेंसस के अनुसार भारत की कुल आबादी में पार्लियामेन्ट की वर्तमान तादाद पांच सौ से भाग दिया जावे तो, जैसा कि सेन्टर के मिनिस्टर श्री विश्वास ने भी मन्जूर किया है, वह एवरेज भी साढ़े सात लाख से ऊपर नहीं जाता। तब ऐसी क्या आवश्यकता पड़ी कि इसके लिए संविधान में तब्दीली करनी पड़ी। यह आवश्यक्ता इस लिए पड़ी है, इसकी असलियत तो यह है कि जिस प्रकार पिछले चुनावों में हुआ वैसे ही इस बार भी चुनाव क्षेत्रों को रीएड्जस्ट किया जावे।

किसी एक विशेष व्यक्ति को जो वहां से खड़ा होने वाला है किसी एक विशेष पार्टी को, जिसकी ओर से चुनाव में अमुक अमुक कैन्डीडेट खड़े किये जाने वाले हैं उनके लिए यह देखा जा रहा है कि कौनसे क्षेत्र से ज्यादा मत आने की सम्भावना है, कौनसे जिले और तहसील से ज्यादा मत आने की सम्भावना है। इसी बात को ध्यान में रखकर चुनाव क्षेत्र बनाये गये थे पिछले समय भी और इस बार भी। इसी बात को ध्यान में रखकर बनाने का इरादा जरूर है, ऐसा लगता है।

इसी चीज को ध्यान में रख कर के पिछली बार भी चुनाव क्षेत्र बनाये गये थे और इस बार भी आप बनाने का इरादा कर रहे हैं। जब आप एक इम्पार्शियल तरीके से कोई काम न करें और विशेष आदमी के दृष्टिकोण को रख कर, विशेष पार्टी के दृष्टिकोण को ध्यान में रखकर के चुनाव क्षेत्र बनाने लगें तो यह लाजिमी है कि फिर आप सीमाओं के अन्दर नहीं रह सकते। सीमा को बढ़ाने के लिए आज संविधान में तब्दीली कर रहे हैं। जो लोअर लिमिट पांच लाख की रखी गई है और अपर लिमिट को बिल्कुल हटा दिया गया है जो कि ८॥ लाख या आठ लाख रखी गई है तो अपर लिमिट रखने की आवश्यकता नहीं। यह आवश्यक नहीं कि अगले दस सालों में आबादी बढेगी तो आपको लिमिट में भी तब्दीली करनी पड़ेगी। अर्थात् यह बिल्कुल मुमकिन होगा कि किसी एक चुनाव क्षेत्र को आठ लाख का बना दिया जाय, किसी एक चुनाव क्षेत्र को १० लाख का बना दिया जाय, इस प्रकार कोई लिमिट नहीं। अगर हम इस प्रकार की सहूलियत देते हैं तो मैं साफ कहना चाहता हूं कि चुनाव के सिलसिले में आपकी सरकार मंत्रीगणों को अधिकार देती है तो वे अपने और अपने साथियों की सहूलियत के लिए, अपनी पार्टी की सहूलियत के लिये, व्यक्तियों की सहूलियत के लिये चुनाव क्षेत्रों को तोड़-मरोड़ करके रहेंगे। आज ५–६ लाख के पीछे एक प्रतिनिधि होता है, कल यह होगा कि १० लाख के पीछे एक प्रतिनिधि होगा। इस प्रकार जनता के साथ अन्याय होगा। हमें इस संविधान में तब्दीली करने के अमेन्डमेन्ट का विरोध करना चाहिये।

तीसरी बात इसके सिलसिले में मैं यह कहना चाहता हूं कि क्या यह इतना आवश्यक था कि संविधान की इसी धारा को बदलना चाहिये। किसी न किसी तरीके से, जो पांच या ७ लाख की लिमिट रखी है और लोकसभा के सदस्यों की ५०० की लिमिट रखी है, दोनों चीजों को एक साथ लागू करने में कोई मुश्किल न पड़ जाय। अगर उनकी मन्शा संविधान को बदलने की ही है तो जो ५०० की लिमिट

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

रखी गई है उस ५०० लिमिट को ही क्यों न बदल दिया जाय। अगर आबादी बढ़ती है, नये सैन्सस के मुताबिक तो ज्यादा आदमी आयेंगे और मत देने का अधिकार ज्यादा आदमियों को प्राप्त होता है। चुनाव क्षेत्रों को छोटा-मोटा करने के अधिकार को लेने के बजाय एक तरमीम दूसरी की जा सकती है और वह यह कि जैसे जैसे आबादी बढ़ती जाय वैसे वैसे प्रतिनिधित्व भी बढ़ता जाय। हमारी लोकसभा की सदस्य संख्या पांच सौ, साढे पांच सौ या ६०० तक हो सकती है। इससे क्या बड़ा नुकसान होजाने वाला है, समझ में नहीं आता। बहुत से हाउस आफ पार्लियामेन्ट के ऐसे चुनाव क्षेत्र हैं जहां के वोटर्स की संख्या ७-८ लाख की है। वहां से जो चुनकर आते हैं वे लोग इतनी बड़ी आबादी के पास पहुंचते हैं या नहीं यह तो जुदा बात है। उनका कर्तव्य जो उनके पास जाने का है, जाते हैं या नहीं; यह तो सब जानते हैं। माननीय उपाध्यक्ष, मैं आपके जरिये जो सदस्य सदन में बैठे हैं और जो संविधान की तब्दीली में कुछ दिलचस्पी रखते हैं. यह प्रस्ताव पास करते वक्त यह दिलचस्पी बहुत बढ़ जायगी और तादाद भी बढ़ जायगी। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वे इसमें दिलचस्पी लें क्या यह मुमकिन है कि एक आदमी ७-८ लाख व्यक्तियों के पीछे चुनकर जाय? क्या वे उनसे संपर्क रख सकेंगे? इतने बड़े चुनाव क्षेत्र जब पहले से ही हैं और जब संविधान में तब्दीली करदी जायगी तो और चुनाव क्षेत्र बढ़ जायेंगे। अगर संविधान की तब्दीली आवश्यक है तो यह आवश्यकता उस जगह थी जहां लोकसभा के लिए पांच सौ मेम्बर हैं उनकी लिमिट बढ़ा दी जाय। मेरी यह इच्छा है कि राजस्थान की कैबीनेट अगर इस पर गौर करती है तो कोई कारण नहीं कि वे इस नतीजे पर नहीं पहुंचे हमारी राय में जो तरमीम की जा रही है वह गलत है। वास्तव में तो ५०० की लिमिट को बढ़ा देना चाहिये। ऐसा कई मुल्कों में होता है। प्रजातंत्र की दुहाई देने वाले मुल्कों में भी ऐसा होता है। दूसरे दूसरे देश, जो ट्रेजरी बेंचेज पर बैठने वालों के ख्याल से प्रजातंत्र के मार्ग दर्शक हैं, उन मुल्कों की दुहाई दी जाती है। इंगलैन्ड और अमेरिका की मिसालें पेश करता हूं। वहां यह होता है कि ज्यों ज्यों आबादी बढ़ती है हाउस के सदस्यों की तादाद भी बढ़ा दी जाती है। आप प्रपोर्शन देखिये १० हजार आदमियों के पीछे एक प्रतिनिधि होता है और हिन्दुस्तान में सात लाख या आठ लाख के पीछे एक प्रतिनिधि होता है। अमेरिका में १० हजार आदमियों के पीछे एक प्रतिनिधि होने के बावजूद भी वहां सीमा नहीं बांधी है किन्तु भारत में ८ लाख के पीछे एक प्रतिनिधि होने के बावजूद भी सीमा बांध दी गई है।

तीसरा कारण यह है कि अगर विधान में तब्दीली आवश्यक है तो मंत्रीगण ५०० की लिमिट को बढ़ाने की तजवीज पर विचार करें। उन्होंने इस पर विचार नहीं किया इसी लिये मुझे विरोध करना पड़ रहा है। लोकसभा में प्रतिनिधियों की तादाद बढ़ाने की तजवीज होनी चाहिये। ज्यों ज्यों आबादी बढ़ती जाय उसी प्रकार प्रतिनिधित्व में भी बढ़ोतरी होनी चाहिये।

अन्त में मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर आपको ५०० की तादाद बढ़ाने में विशेष अड़चन मालूम होती है जैसी कि पार्लियामेन्ट में बहस हुई थी, जिसका जवाब देते हुए कहा गया था एक लचर दलील दी गई थी। उसी दलील का कहीं हमारे मंत्री महोदय इस्तेमाल न करलें; इसलिये मैं पहले ही

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

इस दृष्टि का सफाया कर दूं। वहां यह कहा गया था कि हमारे यहां पांच सौ से ज्यादा व्यक्तियों के बैठने के लिये सीटें नहीं हैं। भारत के संविधान पर विचार करने बैठते हैं, हम बड़े बड़े सिद्धान्तों पर विचार करते हैं और कारण यह बताते हैं कि हमारे यहां बैठने के लिए सीटें नहीं हैं। अगर बैठने के लिए सीटें नहीं हैं तो सीटों की व्यवस्था कर दी जाय, और अगर व्यवस्था नहीं होती है तो जैसा यहां अभी हो रहा है और शायद पार्लियामेंट में होता हो कि आधे से ज्यादा मेम्बर्स अपना समय लॉबी में बैठकर गुजार देते हैं तो एक साथ सब के सब मेम्बर अगर नहीं बैठेंगे इसलिए नहीं आयेंगे तो कोई एतराज नहीं। ऐसी लचर दलील संविधान जैसी चीज की तब्दीली के लिए दी गई थी।

दूसरा यह कहा जाता है कि खर्चा बढ़ जायगा। यह जरा सोचने का विषय है। लेकिन अगर इसी कारण से पार्लियामेंट की तादाद में हम कुछ तरक्की नहीं करना चाहते हैं, ५०० से ऊपर तादाद नहीं ले जाना चाहते हैं, तो खर्चा कम करने के लिए तादाद में कमी नहीं करें। उसके लिए दूसरा तरीका अपनाया जा सकता है। पार्लियामेंट के मेम्बरों का भत्ता कम कर दिया जाय और इस प्रकार से अगर और नये मेम्बर आयें तो उतने ही खर्चे में वह प्रतिनिधित्व कर सकेंगे, अपने अपने इलाकों का। खर्चा कम करने के सैंकड़ों दूसरे तरीके हैं। लेकिन असलियत कुछ और है। असलियत यह है कि एक छिपे तरीके से, बेकडोर के तरीके से, बगैर सामने और सीधे तरीके से आये, भारत सरकार और भारत सरकार के इशारे पर राजस्थान सरकार जनता के नागरिकों के अधिकारों को छीन रही है। उनको जो अपना, अपना प्रतिनिधित्व देने का हक है उस हक को छीन रही है। ५ लाख के ऊपर जो प्रतिनिधि हैं उनको जो सहूलियतें प्राप्त होती हैं और उस प्रतिनिधि को अपने इलाके के अन्दर पहुंचने के लिए जो गुंजाइश होती है, उसके बजाय १०-१२ लाख तादाद करने की साजिश कर रहे हैं। वे नहीं चाहते हैं कि प्रतिनिधि आम लोगों के संपर्क में आयें, वे नहीं चाहते हैं कि पार्लियामेन्ट के मेम्बर्स अपने चुनाव क्षेत्र में बराबर जा सकें, उन लोगों की बात सुनें और उनको सुनावें; अतः संविधान में तब्दीली की कोई आवश्यकता नहीं होते हुए भी संविधान की तब्दीली के लिये एमेन्डमेन्ट लाया गया है। आवश्यकता तो कि ५०० की लिमिट आबादी के अनुसार बढ़ाने की थी, लेकिन वह एमेन्डमेन्ट तो नहीं लाये किन्तु चुनाव क्षेत्र की आबादी की तादाद बढ़ाने का एमेन्डमेन्ट लाया गया है। इसकी साफ मन्शा है कि आम लोगों के रिप्रेजेन्टेशन के हक के साथ खिलवाड़ किया जाता है और संविधान जैसी महत्वपूर्ण चीज में ऐसी छोटी चीज के लिये तब्दीली की जा रही है। मैं यह कहता हूं कि यदि मन्त्रीजी संविधान में तब्दीली करने को इतने ही उत्सुक हैं तो संविधान में लोगों के रिप्रेजेन्टेशन के हक को कम करके संविधान में तब्दीली नहीं करें; लेकिन संविधान में सुरक्षित किये गये जो वेस्टेड इन्ट्रेस्ट के अधिकार हैं, पूंजीपतियों के जो अधिकार सुरक्षित किये गये हैं, जमींदारों, जागीरदारों के जो अधिकार सुरक्षित किये गये हैं उनमें आप तब्दीली कीजिये। किन्तु आम लोगों के नागरिक अधिकारों पर प्रोविजो लगा दिये गये हैं। कानून चाहे जो भी हस्तक्षेप कर सकता है। आपको बुनियादी अधिकार तो हैं लेकिन कानूनी एक्सेपशन (Exception) लगाने वाले हिस्सों में तब्दीली कीजिये; जिन सुरक्षित अधिकारों से आम लोगों को सहूलियत नहीं है, जिन सुरक्षित अधिकारों से आम लोग मजबूर हैं, दबे हुये हैं उन अधिकारों में

[श्री.हरिकृष्ण व्यास]

तब्दीली कीजिये; लेकिन नागरिकों के रिप्रेजेन्टेशन के जो अधिकार हैं उन अधिकारों में आप तब्दीली मत कीजिये। इन शब्दों के साथ, माननीय उपाध्यक्ष, मैं इस प्रस्ताव का विरोध करता हूं और मैं आपके जरिये सदन के अन्य मेम्बरों को यह बतला देना चाहता हूं कि वे बगैर कारण के संविधान की तब्दीली के ऐसे प्रस्ताव का, जो इस तरह से यहाँ चुपके चुपके पेश किया जा रहा है, उसके बारे में अपनी ठीक राय दें। हम इसके बारे में ठीक से बहस किये बिना ही मन्जूर करलें तो इस तरह की बात हमारे लिये बहुत बुरी चीज होगी, गैर जिम्मेदारी वाली चीज होगी। इन शब्दों के साथ, मैं इस प्रस्ताव का विरोध करते हुए, अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री **जसवन्तसिंह**—माननीय उपाध्यक्ष, श्री एच. के व्यास ने इस प्रस्ताव का विरोध करते हुये जो स्पीच दी यह स्पीच, अगर हाउस ऑफ दी पीपल में, जहां कि बुनियादी तौर पर इस पर बहस की गई थी, देते तो वाजिब होता; क्योंकि हमारी राजस्थान लेजिस्लेटिव असेम्बली के विषय में यह गौरतलब नहीं है कि हम उसमें तरमीम कर सकते हैं या नहीं। इस पर हाउस ऑफ दी पीपल में बहुत बहस हो चुकी है और जो कुछ प्रोसीडिंग हाउस की थी उस प्रोसीडिंग को हम लोगों में वितरित किया गया है। उसको देखा जाय तो जो दलील माननीय व्यासजी ने इस सदन के सामने दीं, करीब करीब वे ही सब दलीलें हाउस ऑफ दी पीपल के सामने आ चुकी हैं व उन पर गौर किया जा चुका है और फिर कॉन्स्टिट्यूशन में तब्दीली की गई है। इस बात पर विचार करते हुए हमें यह देखना है कि हमें हमारी राजस्थान विधान सभा को इसे रेक्टीफाइ करने की आवश्यकता है या नहीं। मैं इस सदन के माननीय सदस्यों से यह अर्ज करूं कि राजस्थान प्रान्त से भारतीय धारा सभा में न्याय की दृष्टि से मेम्बर नहीं लिये गये हैं। यह जो चीज व्यासजी ने कही कि संविधान में जो ५०० की लिमिट रखी है वह तय नहीं करें; क्योंकि उससे ५०० की लिमिट हमेशा के लिये मन्जूर रहेगी। अगर मेम्बर ५०० से ७५० या ५०० से ६०० तक चले जाते हैं तो राजस्थान को और भी ज्यादा नुकसान होगा। इस बात से मैं व्यासजी से सहमत हूं कि ५०० की लीमिट एक तरह से फिक्स नहीं होनी चाहिये थी। इंग्लैण्ड को अगर देखा जाय तो वह हमारे देश के एक प्रान्त के बराबर है, फिर भी वहां ६०० से ऊपर हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य हैं, लेकिन वह बात हाउस ऑफ दी पीपल तक ही सीमित रहेगी। लेकिन राजस्थान के साथ यह अन्याय है कि पॉपुलेशन के विचार से उसे देखा जाय तो राजस्थान का एरिया करीब करीब १,२५,००० वर्ग मील है किन्तु उसमें १२ मेम्बर्स लिये गये हैं, और अगर आप बीकानेर की सीमा को देखें तो २३,००० वर्गमील में से सिर्फ डेढ़ मेम्बर ही लिया गया है; हाउस ऑफ दी पीपल के लिये। तो इतने बड़े एरिया के लिये जनसंख्या का विचार नहीं करते हुये जो कि एक तरह से नामुमकिन, नामुमकिन ही नहीं किन्तु इम्पोसिबल हो जाता है कि कोई सदस्य अपनी कॉन्स्टीटुएन्सी से किसी तरह से कॉन्टेक्ट रख सके। जोधपुर के लिये जहां करीब २,४०,०००या ४५,००० वर्गमील का एरिया हो जाता है वहां से सिर्फ तीन ही मेम्बर हाउस ऑफ दी पीपल में भेजे गये हैं। तो जो अपर लिमिट ५०० की रखी गई है तो मुमकिन हो कि यह लिमिट, यह एरिया और भी विस्तृत हो जाय, और हाउस ऑफ दी पीपल के सदस्य के लिये यह बिल्कुल नामुमकिन हो जाय कि वह किसी तरह का कॉन्टेक्ट अपनी कॉन्स्टीट्युएन्सी के साथ रखे। उस इलाके में वह उस ५ वर्ष के समय में पूरी तरह घूम भी नहीं सकेगा। इसलिये हमें राजस्थान में इस बात

[श्री जसवन्तसिंह]

का एतराज है कि आबादी का ही विचार न रख कर 'सी' स्टेट या बेकवर्ड एरिया उसे समझ कर विचार नहीं किया गया। इतने बड़े एरिया के लिये कुल १२ सदस्य ही लिये गये हैं। इस एतराज के कारण मैं इस सदन के माननीय सदस्यों के सामने पेश करता हूं कि हमें इसे रेटिफाई करने के लिये आज जल्दी नहीं करनी चाहिये ; नहीं तो यही होगा कि आंख मींच कर केन्द्रीय सरकार की जो भी बात हमारे सामने आती है हम उसको फौरन कर देते हैं। हम इस बात के लिये कुछ सोचें और अभी अभी जैसा कि मैंने माननीय मन्त्रीजी से पूछा था कि कौन कौन सी रियासतों की विधान सभाओं ने इसको रेटिफाई कर दिया तो अभी उन्होंने बताया था कि उन्होंने अखबार में सिर्फ मद्रास के लिये ही पढ़ा है, तो करीब करीब सभी विधान सभाओं की सभाएं हो रही हैं, बजट सेशन चल रहे हैं ; हमको इसके लिये थोड़ा ठहरना चाहिये और देखना चाहिये कि दूसरी विधान सभाएं क्या कर रही हैं। अधिकतर विधान सभाओं का यदि यही विचार रहा तो हमें कुछ कहने की आवश्यकता महसूस नहीं होगी। राजस्थान को इतने कम प्रतिनिधित्व हाउस ऑफ दी पीपल में दिया गया है ; इसलिये हमें इस पर आज जल्दी नहीं करके इस वक्त कुछ नहीं करना चाहिये और दूसरी आधी से ऊपर रियासतों में रेक्टीफाई हो जाय उस समय के लिये हमें प्रतीक्षा करना चाहिये।

श्री **मानसिंह (जमुआ रामगढ़)**—माननीय उपाध्यक्ष, सदन के सामने एक बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रस्ताव पेश हुआ है। इस प्रस्ताव पर कुछ कहने से पहले मैं यह दु:ख प्रकट करूंगा कि हमारे भारत के संविधान में एक एमेन्डमेन्ट आता है और उसके बारे में हम लोगों की राय ली जाती है; प्रान्तीय लेजिस्लेचर और आधे से ज्यादा प्रान्तीय लेजिस्लेचर इसका विरोध करें तो यह एमेन्डमेन्ट रिजेक्ट हो जाता है किन्तु इसके बावजूद भी हमारे राजस्थान विधान सभा के सदस्यों का ऐसे अहम मामलों में भी और खास कर सरकारी पक्ष के मन्त्रियों की इतनी ज्यादा अवहेलना है कि इस समय केवल मिनिस्टर इन्चार्ज के सिवाय सरकारी बैन्चों पर एक भी मिनिस्टर मौजूद नहीं है। यह बात हम हमेशा से कहते आ रहे हैं। माननीय उपाध्यक्ष, इस प्रकार की बातें पार्लियामेन्ट में भी उठी थी कि मन्त्रियों को इम्पोर्टेन्ट मेटर्स के वक्त तो उपस्थित रहना ही चाहिये। भारत के संविधान में तब्दीली हो रही है, उसमें राइट वे (right way) से विचार करें इसलिये मिनिस्टरों को यहां पर उपस्थित रहना चाहिये था। यदि ऐसे इम्पोर्टेन्ट मेटर्स के वक्त भी मन्त्री लोग बाहर जा कर बैठ जावें तो मेरे पास इसके सिवाय उनके लिये कोई दूसरे शब्द कहने को नहीं हैं कि वे मन्त्री पदों के लायक नहीं हैं। इसलिये मैं तो यह समझता हूं कि इस प्रकार की अवहेलना जो हमारे राजस्थान के मन्त्रियों ने की है वह कोई विरोधी पक्ष की अवहेलना या किसी लेजिस्लेचर की अवहेलना नहीं है वह भारत के संविधान की अवहेलना है और इन मन्त्रियों को ध्यान रखना चाहिये कि वे आज जो मन्त्री बने हैं, भारत के संविधान के मातहत बने हैं ; नहीं तो वे शायद मन्त्री नहीं बन सकते थे।

इसके अलावा माननीय उपाध्यक्ष, मैं सदन से यह निवेदन करूंगा कि भारतवर्ष अभी तक एक बहुत कम उम्र का प्रजातन्त्र राज्य है और संविधान में जल्दी जल्दी एमेन्डमेन्ट करने की प्रणाली बहुत ही घातक सिद्ध होगी। कभी हमारे सामने आता है कि फलां धारा को एमेन्ड किया जावे, कभी

[श्री मानसिंह (ज. रा.)]
आता है कि फलाँ धारा को एमेन्ड किया जावे। यदि इस प्रकार जल्दी जल्दी एमेन्डमेन्ट होते रहे तो संविधान का कोई महत्व नहीं रहेगा और ऐसा हो जायगा कि जो पार्टी मेजोरिटी में होगी वह उस समय अपने मनमाफिक ढंग से धारायें इन्सर्टकर लेगी।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि इस प्रकार की जो ये तब्दीलियें हैं उनका कम से कम प्रत्येक लेजिस्लेचर वालों को विरोध करना चाहिये और भारतीय पार्लियामेन्ट के बहुमती दल को यह दिखा देना चाहिये कि हम इस प्रकार रोज रोज तब्दीलियों को पसन्द नहीं करते। हम यह चाहते हैं कि जो तब्दीलियें हों वे बड़ी संजीदगी, सूझबूझ और सोच-विचार कर की जावें और जो भी की जावें. वे एक बार बैठ कर, सोच-विचार कर, दो-चार साल में एक बार कर दी जावें। रोज-रोज की तब्दीलियें सिवाय केओस के हमें दूसरी ओर नहीं ले जायंगी।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं, कि हमारे मित्रों को कि वे एकमत हो कर इस एमेन्डमेन्ट का विरोध करें और हम लोग भारतीय जनता को दिखावें कि हम लोग इसका विरोध करना चाहते हैं।

तीसरी बात यह थी कि ७॥ लाख की जगह ८॥ लाख कर दिया जावे और ५॥ लाख की जगह ६॥ लाख कर दिया जावे। इसके अलावा जो सिलेक्ट कमेटी बैठी उसने तो यहां तक कह दिया कि ८॥ लाख की भी जरूरत नहीं है, जितना वाजिब समझा जावे, रख दिया जावे। माननीय उपाध्यक्ष, पिछले चुनावों के समय के अनुभव से और खास कर राजस्थान के चुनावों को रेफर करते हुये मैं यह कहूंगा और एक दो जगहों के उदाहरण भी सदन के सामने पेश करूंगा और सरकार की नीति का नग्न रूप दिखाऊंगा कि किस प्रकार मनुष्यों के हितों के लिये, जिनको वे लाना चाहते थे कॉन्स्टीटुएन्सीज बनाई गई। यही बात बता कर मैं इस एमेन्डमेन्ट का विरोध करूंगा। मैं यह बताना चाहता हूं कि यह अमेण्डमेन्ट जो सदन सामने है इसके पीछे एक गहरी नीति छिपी हुई है। वह यह है कि जो पार्टी पॉवर में है और अपने केन्डीडेटों को रुपयों-पैसों से मदद दे सकती है वह तभी कामयाब हो सकती है जब कि क्षेत्र बड़े-बड़े हों तभी वे चुन जा सकते हैं। दूसरों के पास ऐसे साधन नहीं होंगे इसलिये अगर लिमिट ७॥ लाख ही कर दी जावे तो भी कॉन्स्टीटुएन्सी काफी बड़ी हो जावेगी और ऐसी सूरत में केवल रूलिंग पार्टी ही, जिसके पास पैसों की कोई कमी नहीं है, आदमी चुने जा कर आ सकेंगे।

दूसरी बात यह होगी कि हमारे यहां के गरीब और काबिल लोग यदि खड़े भी होंगे तो जीत नहीं सकेंगे क्योंकि उनके पास पूरे साधन नहीं होंगे। हमने हमारे यहां के पूंजीपतियों का रवैया अच्छी तरह से देख लिया है। वे चाहे जिस पार्टी से खड़े हो कर जावें वे पूंजीवाद का ही समर्थन करते हैं और अपनी पार्टी का किसी प्रकार भी ध्यान नहीं रखते।

इसके अलावा राजस्थान में पिछले जो निर्वाचन क्षेत्र बनाये गये थे उनके मैं एक दो ठोस उदाहरण आपके सामने रखूंगा कि किस प्रकार वे निर्वाचन क्षेत्र बने। मैं व्यक्तिगत मामलों में न जाकर कॉन्स्टीटुएन्सीज के बारे में कहूंगा। माननीय उपाध्यक्ष, आमेर जैसे स्थान को अगर एक ही कॉन्स्टीटुएन्सी बनाई जाती तो कोई हरज नहीं होता। मगर आमेर जैसे क्षेत्र को भी दो टुकड़ों में बांटा; 'ए'

[श्री मानसिंह (ज० रा०)]

और 'बी'। कुछ आमेर के गांवों को जमुआ रामगढ की कॉंस्टीटुएन्सी में लगाया गया। यह इसलिये कि इस निर्वाचन क्षेत्र से पार्टी इन पोवर के किसी आदमी को लाना था और इसीलिये यह छोटी सी कॉन्स्टीटुएन्सी बनाई गई। लेकिन दुर्भाग्य से वह भी नहीं हो सका। लेकिन मैं यह बताना चाहता हूं कि आमेर "बी" में ३० हजार वोटर्स थे जब कि जमवा रामगढ में ६० हजार वोटर्स ऑलरेडी थे; मगर फिर भी आमेर "बी" के गावों को मिला कर ६८ हजार वोटर्स की कॉन्स्टीटुएन्सी बनाई गई। इसके बनाने से चुनावों के वक्त कई प्रकार की दिक्कतें हमारे सामने आई और इन दिक्कतों का ध्यान नहीं रखा गया और किसी व्यक्ति विशेष को सुविधा देने के लिये इस प्रकार की कार्यवाही की गई। मैंने यह बात उदाहरण के रूप में आपके सामने रखी है। यदि कोई महानुभाव इस बात को गलत कहें तो मैं फेक्ट और फिगर्स से इस बात को साबित कर सकता हूं। मैं यह बता देना चाहता हूं कि राजस्थान में कई निर्वाचन क्षेत्र ऐसे हैं जो विशेष आदमियों की सुविधा के लिये बनाये गए हैं। यदि इसी प्रकार की छूट हाउस आफ दी पीपल में संविधान में इस प्रकार का एमेन्डमेन्ट करके दे दी गई तो मैं समझता हूं कि जो सत्तारूढ दल है जिसे हम ऐसी छूट दे देंगे तो उसकी पार्टी के आदमियों के सिवाय किसी को आने का कोई जरिया नहीं रहेगा। इसलिये मैं मेरे मित्रों से जो सत्तारूढ दल को रिप्रेजेन्ट करते हैं अपील करूंगा कि सदन के अन्दर वे अच्छी परम्पराएं कायम करने के लिये भारतवर्ष के संविधान में इस प्रकार के जो रोज रोज एमेन्डमेन्ट आते हैं उनको रोकने के लिये और दुनिया को यह दिखाने के लिये कि वे ऊपर का इन्टरफिअरेन्स इस प्रकार के मामलों में नहीं चाहते, इस बात को ध्यान में रखते हुए, इसका विरोध करेंगे। इस प्रकार का एमेन्डमेन्ट ट्रावनकोर-कोचीन में गिर चुका है और जिस प्रकार से यह अमेन्डमेन्ट ट्रावनकोर कोचीन में गिर चुका है उसी प्रकार इसे यहां पर भी गिरा दिया जाय। जो मेरे मित्र सरकारी पक्ष की ओर बैठे हैं उनको यह खतरा नहीं है कि अगर यह गिर जायगा तो उनको पार्टी डिसिप्लिन के जरिये पार्टी से निकाल दिया जायगा, ऐसा नहीं होगा। इसलिये मैं आपसे निवेदन करूंगा कि न केवल राजस्थान की जनता के हित के लिये बल्कि भारत की जनता के हित के लिये वो ऐसा काम करेंगे कि जो हमेशा के लिये उदाहरण के रूप में रहेगा। यह अपील करके मैं यह प्रार्थना करूंगा कि इस प्रस्ताव को या तो प्रस्तावक महोदय वापिस ले लें या इसे गिरा कर दिल्ली तक को बता दें कि हम इस प्रकार के रोज रोज के अमेन्डमेन्ट को बर्दाश्त नहीं कर सकते।

श्री तनसिंह—उपाध्यक्ष महोदय, जैसे रोजमर्रा की हालत में एक प्रस्ताव या विधेयक प्रस्तुत होता है ठीक उसी प्रकार से इस महत्वपूर्ण और बहुत ही आवश्यक प्रस्ताव को भी रखा गया है। जिस ढंग से मन्त्री महोदय ने इस बात को हमारे सामने रखा उस तरह इसे लेते हैं तो विशेष विचार की आवश्यकता नहीं; किन्तु यह अत्यन्त महत्व पूर्ण प्रश्न है। जैसा कि अभी विरोधी दल के नेता ने बताया कि वे कारण तो पार्लियामेन्ट में पेश होते तो अच्छा था। इस पर वहां काफी विचार-विमर्श हो चुका है। मैं उनकी इस बात से सहमत नहीं। यदि हम उन कारणों पर विस्तार से नहीं जायेंगे तो इसके औचित्य और अनौचित्य पर अपनी राय नहीं दे सकेंगे। इसलिये इसकी बहस में जाना आवश्यक है।

[श्री तनसिंह]

इसके द्वारा जो संशोधन संविधान में स्वीकार किया जायगा उससे सरकार के हाथ में ऐसा शस्त्र सौंपा जायगा जो सरकार के हित का भी हो सकता है और सरकार के अहित का भी हो सकता है। शस्त्र से जैसे एक व्यक्ति अपनी रक्षा करता है उसी तरह अपना विनाश भी कर सकता है।

संविधान की जिस धारा में संशोधन किया जाता है उसमें लोअर लिमिट और अपर लिमिट निर्धारित थीं। ऊपर की लिमिट को तोड़ने के कारण उसमें इस प्रकार की छूट दे दी गई है कि सरकार चाहे जितना बड़ा निर्वाचन क्षेत्र बना सकती है लोअर लिमिट तो ५ लाख की रहे और ऊपर लिमिट में लिमिट नहीं रहने के कारण कितनी ही बड़ी कॉन्स्टीटुएन्सी बना सकते हैं। इस तरह हम इस प्रकार के शस्त्र का लाईसेंस सरकार को दे रहे हैं जो किसी एग्जिक्यूटिव को नहीं दिया जा सकता। अभी मेरे एक मित्र ने कहा कि इस समय बहुत से सदस्य इस सदन में अनुपस्थित हैं क्योंकि वे इसकी अहमियत को नहीं समझते, ऐसी बात नहीं है। वे लोग इसके महत्व को जानते हैं पर जो प्रस्ताव हमारे सामने पेश होता है उसकी भलाई-बुराई नहीं सोच कर यह सोचा जाता है कि यह प्रस्ताव अमुक पक्ष की ओर से रखा गया है अतः इसके पास होने में कोई बाधा नहीं है। डिविजन की घंटी बजने के बाद भी वे लोग नहीं आये तो मैं समझूंगा कि वे लोग इन्ट्रेस्टेड नहीं हैं। परन्तु डिविजन की घंटी बजते ही वे लोग आ जाते हैं। वे जानते हैं कि उनके पास में ऐसी ताकत है कि वे अपने इस बहुमत के आधार पर किसी गैरवाजिब बात या वाजिब बात को पारित करवा सकते हैं। मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि प्रजातन्त्र की अच्छी परम्परा को कायम करने के लिये हर बात में इस नीति को नहीं अपनाना चाहिये।

यह भारतीय संविधान के संशोधन का प्रश्न है। विरोधी दल के नेता ने बताया कि पार्लियामेन्ट में हमारा बहुत ही कम प्रतिनिधित्व है और इस लिमिट को तोड़ देने से तो हमें बहुत ही कम प्रतिनिधित्व मिलेगा। हमें यह सोचना चाहिये कि इस प्रान्त का पहले ही बहुत कम प्रतिनिधित्व है। लोअर लिमिट को बढ़ाने के लिये तो संशोधन होता तो अच्छी बात थी।

इन शब्दों में मैं प्रस्ताव का विरोध करते हुए अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री जसवन्तसिंह—मैं एक स्पष्टीकरण कर देना चाहता हूं। अभी मेरे माननीय सदस्य ने फरमाया कि अपर लिमिट तोड़ दी गई है; यह गलतफहमी है। अपर लिमिट तोड़ी नहीं गई है बल्कि साढे सात लाख की बजाय साढे आठ लाख कर दी है।

श्री **कानसिंह**—उपाध्यक्ष महोदय, इस समय हमारे सामने भारतीय संविधान में संशोधन करने का जो प्रस्ताव रखा गया है। भारतीय संविधान की धारा (अनुच्छेद) ३६८ में यह लिखा हुआ होने के कारण कि यदि संविधान में कोई एमेन्डमेन्ट किया जायगा तो पार्ट "ए" और पार्ट "बी" में जो एसेम्बलीज होंगी उनमें से यदि आधी स्टेट्स अपने प्रस्ताव द्वारा यह पास करदें कि इसे रेटिफाई कर दिया जाय तो यह एमेन्डमेन्ट भारत के प्रेसीडेन्ट के सामने उनकी स्वीकृति अर्थात् एसेन्ट के लिये पेश किया जायगा। यह सदन के सामने लाया गया है इस वक्त जब हम यह देख रहे हैं कि तमाम भारत के

[श्री कानसिंह]
पार्ट "ए" और "बी" स्टेट्स में जितनी एसेम्बलीज़ अर्थात् धारा सभायें हैं वे इस पर गौर करके अपना विचार प्रकट करेंगी। हम इस सदन में जो स्थिति है उसे देख रहे हैं। इस पर जितने भी वक्ता बोले हैं वे सब विरोधी दल में से बोले हैं। सरकारी दल की तरफ से जैसा कि हमारे पूर्व वक्ता ने कहा है किसी भी सरकार के मिनिस्टर को इसमें दिलचस्पी नहीं है और इसी वजह से वे अनुपस्थित हैं ; सिवाय एक मिनिस्टर साहब के जिन्होंने कि इसे हमारे सामने रखा है। बाकी मिनिस्टर या तो इसमें दिलचस्पी नहीं रखते या वे जिन कॉन्स्टीटुएन्सी से चुने जाकर आये हैं उनमें संशोधन के बारे में दिलचस्पी नहीं है; वास्तव में न तो मिनिस्टर दिलचस्पी रखते हैं और न सरकारी पक्ष के अन्य सदस्य। सरकारीदल की तरफ से किसी और सदस्य को भी इसमें दिलचस्पी नहीं मालूम होती। पता नहीं उनकी क्या मंशा है व क्या इच्छा है। न तो इस पर कोई मिनिस्टर ही बोले और न सरकारी पक्ष के कोई सदस्य ही बोले।

श्री रामकिशोर व्यास—आप तो फरमा दीजिये।

श्री कानसिंह—मैं कह रहा हूं, आप जल्दी न करें। मालूम होता है कि सरकारी दल की ओर से ऐसा व्हिप अर्थात् आदेश जारी कर दिया गया है जिससे वे अपने विचार प्रकट करने में लाचार हैं। यदि इसी तरह का आदेश तमाम भारत की एसेम्बलीज़ में सरकारी पार्टी की ओर से जारी हुआ है तो तमाम स्टेट्स में जारी कर दिया गया होगा। इसका मतलब यह होगा कि तमाम भारत के जो वोटर्स हैं जिन्होंने कांग्रेस को वोट दिये और जिनको कॉंग्रेसी रिप्रेजेन्ट करते हैं उनकी विचार धारा जाहिर करने में महरूम रह जायेंगे। ऐसी हालत में पार्ट "ए" और "बी" स्टेट्स से कम से कम आधे मत-दाता ऐसे होंगे जिनकी वास्तव में जिस तरीके से राय जानी चाहिये उस तरीके से नहीं जायगी। इसलिये मैं अर्ज करूंगा कि इस तरह से पार्टी के व्हिप के अनुसार प्रस्ताव पास करने की कोशिश करके Provisions of the Constitution की अवहेलना की जा रही है; इसलिये खास करके जैसा कि विरोधी दल के नेता ने हमारे सामने यह बात कही कि हमारी बहुत सी रियासतों पर इसका बहुत खराब असर पड़ेगा जैसा कि बीकानेर रियासत, जिनके लोक सभा में प्रतिनिधि थोड़े हैं या डिविजन का पूरी तरह से महज एक रिप्रेजेंन्टेटिव है। इसी प्रकार और रियासतों पर भी असर पड़ेगा क्योंकि हमारे भारतवर्ष की रियासतों की आबादी इसी प्रकार फैली हुई है व कम तादाद में है। हमको इस तरह की जल्दबाजी से काम नहीं लेना चाहिये। अभी चुनाव हुए एक साल हुआ है दुबारा चुनाव में चार साल और बाकी हैं। दूसरे प्रान्तों में इस पर अभी तक विचार नहीं किया गया है। जब तक तमाम भारत का व्यु पॉइन्ट अर्थात् राय हमारे सामने न आ जाय तब तक इतनी जल्दी इस प्रस्ताव को लाने और जल्दी से पास कर देना वोट देने वालों पर कुठाराघात करना है। इसलिये मैं अर्ज करूंगा कि फिलहाल प्रस्तावक महोदय इस प्रस्ताव को वापिस लेलें या आयन्दा भविष्य में कभी पेश करने की अवधि बढा लें। किसी प्रकार इस अधिवेशन में पास करने की जल्दबाजी न करें। इन शब्दों के साथ में इसका विरोध करता हूं। मैं आशा करता हूं कि प्रस्तावक महोदय इसे जल्दी पास करने के लिये जोर नहीं देंगे।

श्री भैरोंसिंह (दांता रामगढ़)—माननीय उपाध्यक्ष, आज भारतीय संविधान में संशोधन किये जाने के संबन्ध में इस सदन में विचार-विमर्श किया जा रहा है। जिस वक्त अंग्रेजी हुकूमत का

[श्री ... (दा०रा०)]

यहां खातमा हुआ और भारतवर्ष ने आजादी की सांस ली उस वक्त जनता को यह आश्वासन दिलाया गया था कि अब भारत में जनता का ही राज्य होगा और जनता के राज्य में भारतीय ही इस शासन को सुन्दर ढंग से चलावेंगे और वह शासन किस प्रकार का होगा उसके बारे में यह बतलाया गया कि यहां पर जनतंत्रात्मक सिद्धान्तों के आधार पर एक सरकार कायम की जायगी और वह भारतीय जनता शासनकर्त्ताओं को चुनेगी। जनता को यह आश्वासन दिया गया था कि भारत में एक प्रकार का कानून बनेगा जिसे संविधान कहते हैं और जिसके अनुसार केन्द्रीय सरकार और राज्यों की सरकारें कायम होंगी और उनका भारत पर राज्य होगा। भारतीय संस्कृति के आधार पर आज यदि हम पुराना इतिहास उठा कर देखें तो पता चलेगा कि भारत में पहले भी विधान बने हैं और वे इस प्रकार के बने कि आज के परिवर्तनशील युग में उसी विधान की धारायें समाज पर लागू हैं। उन धाराओं में किसी प्रकार का संशोधन करने का न सरकार और न जनता ही साहस कर सकती है। जिस वक्त भारत का मौजूदा विधान बना उस वक्त सारी जनता के ध्यान में यह बात थी कि इसमें जल्दी ही संशोधन करने की आवश्यकता नहीं होगी और जनता को सुख-साधन पर्याप्त मात्र में मिल सकेगा और भारत की जनता सुख-शान्ति से जीवन बिता सकेगी। लेकिन जनता ने देखा कि इसमें बार बार तब्दीलियां आती हैं और कोई भी विशेष समूह, विशेष वर्ग या विशेष पार्टी जिसका जैसा स्वार्थ होता है उसी तरह इसमें हेर-फेर करती है। जनता का पुराना विश्वास अब करीब करीब खत्म हो चुका है। जिस समय पार्लियामेन्ट की कॉन्स्टीटुएन्सीज़ का निर्माण हुआ उस समय जनता को यह मालूम हुआ कि कोई धनी आदमी ही इतनी बड़ी कॉन्स्टीटुएन्सी में खड़ा होकर प्रतिनिधित्व कर सकता है, चाहे वह प्रतिनिधित्व करने के लायक हो या न हो और इसी कारण से बड़ी बड़ी कॉन्स्टीटुएन्सीज़ में खर्चा अधिक होने के कारण सच्चे और नेक आदमी जो जनता का भला सोचने वाले थे जनता का प्रतिनिधित्व आसानी से नहीं कर सके थे। जब पार्लियामेन्टरी कॉन्स्टीटुएन्सीज़ निर्धारित हुई और चुनाव होने लगे तो बड़े-बड़े सेठ साहुकारों ने यह सोचा कि किसी तरह से पार्लियामेन्ट में पूंजीपति अधिक संख्या में पहुँचने चाहियें। उनको इस बात का कोई ख्याल नहीं था कि जनता की किस विचार-धारा को लेकर वे प्रतिनिधित्व करने जा रहे हैं। उनकी तो एक ही विचारधारा थी कि किसी प्रकार से भारतीय संसद में पूंजीवाद का मत ज्यादा हो। इसलिये उन्होंने किसी भी पार्टी के टिकट पर चाहे वह राम राज्य परिषद हो या जनसंघ या हिन्दू महासभा या कांग्रेस या कम्युनिस्ट पार्टी हो; जहां से भी उनको स्थान मिल सका वे वहां जाने की चेष्टा करने लगे। भिन्न भिन्न पार्टियों की ओर से खड़े होने वाले पूंजीपतियों की एक ही विचारधारा थी कि किसी प्रकार पूंजीवाद पनपे। चुनाव हो जाने के बाद आप पार्लियामेन्ट के प्रोसीडिंग्ज को उठा कर देखिये, ऐसे सेठ साहूकारों के जिस वक्त भाषण हुए हैं आप देखेंगे कि वे इसी बात को लेकर बोले हैं कि अमुक कर घटा दिया जाना चाहिये, अमुक चुंगी उठ जानी चाहिये; आयात या निर्यात पर इस तरह से कर लगना या हटना चाहिये। इसके अलावा आम जनता के हित के बारे में उन लोगों ने कुछ भी नहीं कहा। जिस समय यह संशोधन पास हो जायगा उस समय पूंजीवादियों को और भी बल मिलेगा।

इससे आप कल्पना करिये कि बड़े आदमी अथवा पैसे वाले आदमी तो और इससे बढ़ जावेंगे और गरीब आदमी का कुछ भी भला नहीं हो सकेगा। वह न आगे बढ सकता है और न अपनी उन्नति

[श्री भैरों सिंह दां० रा०]

ही कर सकता है। मैं यह दावे के साथ कह सकता हूं कि सरकार पूंजीवाद को प्रोत्साहन दे रही है, किसानों और गरीब आदमियों के फायदे की ओर कोई ध्यान नहीं। इससे उन आदमियों का कोई फायदा नहीं हो सकता है और न ही उनका प्रतिनिधित्व हो सकता है।

दूसरी चीज इस सम्बन्ध में जो निवेदन करना चाहता हूं वह यह है कि छोटी छोटी बातों को लेकर हर वक्त विधान में फेर-बदल कर दिया जाता है। जिस तरह मोहर्रम में अलग अलग फिरकों के आदमी होते हैं और उसको जब बनाने के लिये सोचा जाता है और कशमकश होता है कि लाल रंग लगाया जाय या पीला रंग लगाया जाय और फिर उसमें बार बार तब्दीलियां की जाती हैं। ठीक उसी प्रकार से विधान में हेर फेर होता है। इसलिये मैं यह निवेदन करूंगा कि इस प्रकार की बातों से समाज का कोई फायदा नहीं होने वाला है। विधान में तो स्थायित्व होना चाहिये। अगर विधान में मामूली भी तब्दीली करनी हो तो सारी जनता से इस सम्बन्ध में राय ली जानी चाहिये। विधान में यदि किसी प्रकार की तब्दीली होना समाज के हित के लिये अच्छा है और इसके लिये बच्चा-बच्चा तैयार हो जाय कि इस प्रकार का परिवर्तन होना आवश्यक है तो अवश्य परिवर्तन किया जाना चाहिये। किन्तु कोई राय इस प्रकार की नहीं ली जाती है और न ही ली गई है।

तीसरी बात जो मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं वह यह है कि छोटी छोटी बातों के लिये विधान में संशोधन लाना उचित नहीं है। आप बड़ी बड़ी बातों के लिये ऐसे बिल लाइये बड़ी बड़ी बातों का परिवर्तन करिए, जिनकी कि आज आवश्यकता है। भारतवर्ष में काश्मीर के मामले को लेकर काफी गर्म वातावरण हो रहा है। जम्मू, काश्मीर और भारतवर्ष के लाखों लोगों का ध्यान इस ओर है। जम्मू में प्रजा परिषद का आन्दोलन चल रहा है और उस आन्दोलन को दबाने के लिये जगह जगह गोलियां चलाई जा रही हैं। जम्मू में राष्ट्र-ध्वज फहराने, इसी संविधान को पूरी तरह लागू करवाने व राष्ट्र का एक प्रधान रखने के लिये आन्दोलन चलाया जा रहा है। परन्तु भारत के संविधान में जम्मू-काश्मीर के मामले को लेकर जो धारायें रखी गई वे स्पष्ट न होने के कारण आज उस आन्दोलन को लाठियों और गोलियों से कुचला जा रहा है आवश्यकता थी इसमें परिवर्तन करने की, परन्तु ऐसा न होकर पार्लियामेन्टरी कॉन्स्टीटुएन्सी के विस्तार की आवश्यकता समझी गई। अतः मैं यह निवेदन करूंगा कि जो संशोधन पेश किया गया है वह केवल पूंजीवाद को प्रोत्साहन देने वाला है, इससे जनता का कोई फायदा नहीं होने वाला है। या तो इस संशोधन को पब्लिक की ओपिनियन के के लिये भेजा जाय और यह देखा जाय कि पब्लिक इस संशोधन के पक्ष में है या नहीं। दूसरे देशों को लेकर मैं बताऊंगा कि २० हजार से ऊपर की संख्या के लिये पार्लियामेन्ट के लिये एक प्रतिनिधि चुना जाता है, आयर्लैंड में ३० हजार पर, बर्मा में तीस हजार से लेकर एक लाख तक प्रतिनिधि चुना जाता है। किन्तु भारतवर्ष, जो कि एक शिशु राज्य कहा जाता है और शिशु राज्य है भी और जहां पढ़े लिखे भी कम हैं वहां ठीक प्रकार से और ठीक जन-संख्या के आधार पर चुनाव नहीं होता है तो जनता का ठीक प्रकार से प्रतिनिधित्व नहीं हो सकेगा। इतना ही निवेदन करके, मैं माननीय मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि आज इस प्रकार के संशोधन की कोई आवश्यकता नहीं है। यह संशोधन तो रिजेक्ट कर दिये जाने काबिल है। इतना ही कह कर मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री रूपनारायण शास्त्री--उपाध्यक्ष महोदय, जरा जरा सी बात के लिये संशोधन उपस्थित किये जाते हैं। बात यह है कि विधान के अनुसार पांच लाख कम से कम जन संख्या हो तो उस क्षेत्र से पार्लियामेन्ट के लिये सदस्य चुना जा सकता है। इस सम्बन्ध में यह होता है कि अमुक क्षेत्र में मेरा और मेरी पार्टी का बहुमत है अथवा प्रभाव है तो वहां से चुनाव के लिये खड़ा किया जाता है। इससे जातिवाद को प्रोत्साहन मिलता है। चाहे उस क्षेत्र में गरीब आदमी, जो साधन सम्पन्न नहीं है किन्तु सेवा भावी हो; फिर भी वह खड़ा नहीं हो सकता, पूंजीवादी ही उस क्षेत्र से खड़ा हो सकता है। इसका अर्थ यही हुआ कि जो जितना ही साधन सम्पन्न होगा वही मेम्बर हो सकेगा। इसका मतलब यह भी हुआ कि पार्लियामेन्ट के मेम्बर धनवान होने चाहियें। पांच सौ से अधिक संख्या न हो, और चूंकि जन संख्या बढ़ रही है इसलिये निर्वाचन क्षेत्र भी बढ़ा दिये जायं; कोई न्याय संगत बात नहीं है। प्रतिनिधियों की संख्या, चाहे जनसंख्या भी बढ़ती ही जाय, कम की जाय यह बात ठीक प्रतीत नहीं होती।

विधान के सम्बन्ध में दूसरी चीज में निवेदन करना चाहता हूं वह यह है। कि अगर इस प्रकार के छोटे छोटे संशोधन किये जायेंगे तो विधान का स्थायी रूप कम हो जायेगा। हमारे यहां जितने भी कानून बने हैं अगर उनमें एक दो वर्ष या बारह महीने पश्चात् ही परिवर्तन करने की आवश्यकता प्रतीत होने लगे तो यही मालूम होता है कि विधान बनाने वालों में विद्वत्ता की कमी थी। अतः मैं तो यही कहूंगा कि इस प्रकार के परिवर्तन नहीं होने चाहियें और विधान जैसा है वैसा ही पांच साल के लिये स्थायी रहना चाहिये।

इसके अतिरिक्त एक और भी कारण है। कई आदमी अपनी पार्टी के प्रभाव से विधान में परिवर्तन चाहते हैं। मुझे मालूम है कि हमारे यहां निर्वाचन क्षेत्र बनाये गये थे किन्तु पोलिंग स्टेशन्स इस भावना से बनाये गये थे कि पार्टी विशेष के आदमी आसानी से आ सकें। पांच सात कोस दूर रहने वाला व्यक्ति आकर वोट नहीं दे सकेगा। मेरा गांव पोलिंग स्टेशन से सात मील दूर रखा गया था। पार्टी विशेष के आदमी को लेने के लिये वहां की जनसंख्या तीन हजार होते हुये भी वहां पोलिंग स्टेशन नहीं रखा गया। इसलिये इस प्रकार के स्वार्थ साधन ही होते हैं, वहां कर्तव्य शायद ही पालन किया जासकता है। स्वार्थ की दृष्टि से विधान में परिवर्तन किया जाय तो फिर जनहित का क्यों नाम लिया जाता है? अतः निर्वाचन क्षेत्र को बढ़ाया जाय; यह शंका की चीज नहीं है तो क्या है? मैं तो कहूंगा कि विधान में इस प्रकार का परिवर्तन नहीं होना चाहिये।

(११ बज कर ४९ मिनिट पर श्री अध्यक्ष पुनः पदासीन)

श्री रामकिशोर व्यास (न्याय मंत्री)--माननीय अध्यक्ष, इस प्रस्ताव के विरोध में कई बातें कही गई हैं। उनमें से सबसे ज्यादा आपत्ति जो लोगों ने उठाई वह यह है कि संविधान एक इतनी अहम चीज है कि उसमें इतना जल्दी परिवर्तन करना, चाहे जब ही परिवर्तन कर देना, उचित नहीं है। सैद्धान्तिक यह बात कही जा सकती है कि संविधान में उस समय परिवर्तन करना चाहिये जब उसकी अत्यन्त

[श्री रामकिशोर व्यास]
आवश्यकता हो और अगैर किसी आवश्यकता के परिवर्तन करना कोई उचित बात नहीं है। लेकिन मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जिन महानुभावों ने इस प्रस्ताव के सम्बन्ध में एतराज किया है वह ठीक नहीं है। संविधान में बताया गया है कि हर मर्तबा जब जब जन-गणना होगी उनके माफिक उनका एडजस्टमेन्ट किया जाय। मैं आपसे निवेदन करूं कि आप संविधान की धारा ८१, क्लॉज तीन को अगर पढ़ लेते तो आपके सारे एतराज खत्म हो जाते। धारा इस प्रकार है--

"Upon the completion of each census, the representation of each territories constituency shall be readjusted by such authority......"

अतः विधान में यह साफ लिखा है कि जब जब जन गणना हो उसके माफिक उनका एडजस्टमेन्ट किया जाय।

विधान के अनुसार और उसी के आधार पर यह एड्जस्ट्मेन्ट किया जा रहा है। अगर यह नहीं किया जावेगा तो सरकार को बड़ी उलझन का सामना करना होगा।

फिर आपका यह कहना कि यह प्रस्ताव गैर जरूरी है, इसे नहीं लिया जाना चाहिये तो इस बारे में मेरा यह निवेदन है कि इस संशोधन के बारे में हमारे विधान में उल्लेख है कि जन-गणना खत्म हो जावें तो उसके बाद चुनाव क्षेत्रों आदि को उसी के अनुसार रिएडजस्ट किया जाना चाहिये। इसके बाद यह ऐतराज नहीं रहता।

दूसरी बात यह भी कही गई कि पहले जो साढ़े सात लाख पर एक आदमी के चुनाव की बात है तो उसको ज्यादा क्यों बढ़ाया जा रहा है। इस बारे में भी मैं निवेदन कर दूं कि पहले जो संख्या थी वह ७.२ लाख थी और अब जो रखी जा रही है वह ७.५ लाख रखी जा रही है।

एक ऐतराज यह भी किया जा रहा है कि अगर संविधान में परिवर्तन आवश्यक ही हो, तो फिर यही क्यों न हो कि साढ़े सात लाख की जन संख्या में ही परिवर्तन किया जावे, सदस्यों की संख्या में ही परिवर्तन क्यों नहीं किया जावे। इस विषय में भारतीय संसद में भी काफी वाद-विवाद हो चुका है और वहां भी वे इसी निर्णय पर आये कि सदस्यों की संख्या में परिवर्तन करना उचित नहीं है। हमारे देश को देखते हुए ५०० की संख्या कम नहीं है। इस पर भी आज संसद में यह होता है कि एक एक सदस्य को बोलने के लिये या अपने विचार व्यक्त करने के लिये दस-दस रोज तक वेट करना पड़ता है, तब जाकर नम्बर आता है।

श्री जसवन्तसिंह—What about England?

श्री रामकिशोर व्यास—वहां होल टाइम पार्लियामेन्टरियन होते हैं; ऐसा यहां नहीं है। अपने यहां फिर पार्लियामेन्ट का सैशन ६ महीने चलता है, बाकी समय में वे अपना और काम करते हैं।

श्री जसवन्तसिंह—This is no argument.

Page No.64

श्री रामकिशोर व्यास–इसके साथ खर्चा भी हमारा इससे बढ़ जाने वाला है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुये यह बात उचित ही है कि सदस्यों की संख्या में कोई परिवर्तन न किया जावे और फिर क्षेत्रफल में ही परिवर्तन की बात रह जाती है।

विरोधी पक्ष के नेता ने एक बात और कही कि राजस्थान का क्षेत्र फल बहुत विस्तृत है और उसके अनुसार सदस्यों की संख्या जो हमारे यहां नियत की गई है वह बहुत कम है। उनके कथन में वजन है। पर उनका यह फरमाना इस प्रस्ताव से कोई सम्बन्ध नहीं रखता।

जब आइन्दा के लिये अगर हम चाहें कि राजस्थान में सदस्यों की संख्या जन गणना पर नहीं, बल्कि क्षेत्रफल के आधार पर निर्धारित की जावे तो इसके लिये हमें अलग संशोधन लाना होगा। फिर जो आंकड़े उपस्थित हैं इस परिवर्तन से हमारे यहां कोई अन्तर सदस्य-संख्या में पड़ने वाला नहीं है; और किसी प्रान्त पर पड़ेगा। अन्य प्रान्तों पर इसका असर पड़ा भी है। इसके अनुसार बम्बई प्रान्त में तीन सीट, मद्रास में एक, और मैसूर में एक सीट बढ़ेगी और यू.पी. में दो कम हो जावेंगी, बिहार में एक कम हो जावेगी। मध्य प्रदेश, पंजाब और वैस्ट बंगाल में भी एक एक सीट कम हो जावेगी।

इसके अतिरिक्त यह भी ऐतराज किया गया है कि कॉन्स्टीटुएन्सी इस प्रकार बना दी जावेगी कि जैसे कि आमेर को एक के बजाय दो हिस्सों में बांट दिया गया। पर यह बात भी इस संशोधन से कोई ताल्लुक नहीं रखती। यह डिलिमिशन कमीशन का काम है। इस चीज को वही देखेगा।

इनके अतिरिक्त और कोई ऐतराज इस प्रकार का नहीं है जिसका जवाब देने से रह गया हो।

तो अन्त में निवेदन करना चाहता हूं कि अनुच्छेद ८१ के क्लॉज (३) के अनुसार, सेंसस जब जब होती है तब तब रिएडजस्टमेन्ट करना जरूरी हो जाता है; इसलिये इसी बात को ध्यान में रख कर यह संशोधन पेश किया गया है। इस पर संसद में भी काफी वाद-विवाद हो चुका है और हमने भी काफी विचार किया है। आशा है आप इसे एक मत से स्वीकार करेंगे और अपनी अनुमति देंगे। इससे अधिक मुझे कुछ नहीं कहना है।

श्री अध्यक्ष–I think we have sufficiently discussed this, and I should now put the question. The Question is that the resolution be accepted.

(विराम)

जो इसके पक्ष में हो "हां" कहें।

सरकारी पक्ष—हां।

श्री अध्यक्ष—जो इसके विरोध में हों "ना" कहें।

विरोधी पक्ष— ना।

श्री अध्यक्ष—"हां" पक्ष जीता।

विरोधी पक्ष—Noes have it, Sir.

सरकारी पक्ष—Ayes have it, Sir.

श्री अध्यक्ष—Do you want Division.

विरोधी पक्ष—Yes, Sir.

(श्री अध्यक्ष ने डिविजन की घंटी बजाई और घंटी बज चुकने के पश्चात् श्री गोपीलाल यादव बोलने के लिये खड़े हुए)

श्री गोपीलाल यादव—ऑन ए पोइन्ट ऑफ ऑर्डर सर, क्या यह सदस्यों को पता है कि दूसरी तरफ के सदस्यों ने इस प्रस्ताव के बारे में क्या क्या बातें कहीं, वे किस तरह से अपनी राय बनायेंगे बिना उनकी बातें सुने। इसलिये मेरा निवेदन है कि जिन लोगों ने इस प्रस्ताव पर अपने विचार प्रकट किये हैं उनको दुबारा मौका दिया जाय अपने विचार प्रकट करने का, ताकि, जो सदस्य अभी आकर यहां बैठे हैं उनको अपनी राय देने में सहूलियत हो।

श्री रामकिशोर व्यास—बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो नजदीक होकर भी नहीं सुन सकते और बहुत से ऐसे हो सकते हैं जो दूर रह करके भी सुन सकते हैं।

श्री अध्यक्ष—I again put the question. The question is that the resolution be accepted.

(मत-दान)

श्री मानसिंह (जमुआ रामगढ़)—Noes have it, Sir.

श्री अध्यक्ष—Do you want division.

श्री मानसिंह (जमुआ रामगढ़)—Yes, Sir.

श्री एच. के. व्यास—According to the Constitution, Sir, this Resoultion should be adopted by a majority of the affirmative votes of the total number of the Members of the Assembly and therefore there was a Division in the House of the People without claiming it. The Members have claimed a division here, so we must have a Division.

श्री अध्यक्ष—You claim a Division and Shri Man Singh of Mahar claims a Division. We can note that both these Members are opposing and the rest are in favour of the Resolution.

श्री एच. के. व्यास—But whether the majority is present or not and whether there are affirmative votes to the requisite number or not, can be ascertained only by Division. This is the procedure followed in the House of the People.

श्री मानसिंह (जमुआ रामगढ़)—अध्यक्ष महोदय मेरा इस विषय में निवेदन है कि..

श्री अध्यक्ष—Do you want a Division? This is all very clear. It does not need a speech.

श्री मानसिंह (जमुआ रामगढ़)—We want a Division and some Members more want to oppose. We are not the only two who want to oppose.

श्री जसवन्तसिंह—We have no objection.

श्री अध्यक्ष—No. Members who want to oppose it, I would like to request them to stand up. I will take that they are in the Noes and of the rest those who are neutral will be considered as neutral and the rest will be in the Ayes.

श्री जसवन्तसिंह—Sir, the position is that so far as the Opposition is concerned we are all opposing the Resolution.

श्री एच. के. व्यास—The position is this. Apart from the total number of............

श्री अध्यक्ष—I do not want to lose more time over this. Those who are against it should stand.

(तीन सदस्य खड़े हुए)

श्री अध्यक्ष—Three.

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मन्त्री)—Four, Sir.

श्री एच. के. व्यास—That is not the point, Sir. The number of persons to pass a Resolution should be 50% of the total number of the affirmative votes. This number cannot be ascertained unless it is recorded in a Division. This was the procedure followed in the House of the People.

श्री रामकिशोर व्यास—I think this is meant for the Parliament and not for State Legislature.

श्री अध्यक्ष—Where is the provision?

श्री रामकिशोर व्यास—Article 368, last para.

श्री अध्यक्ष—(After consultation). Yes, there is nothing to prove the fact. The relevant article of the Constitution is 368, which says that :—

"An amendment of this Constitution may be initiated only by the introduction of a Bill for the purpose in either House of Parliament, and when the Bill is passed in each House by a majority of the total membership of that House and by a majority of not less than two-thirds of the members of that House present and voting, it shall be presented to the President for his assent and upon such assent being given to the Bill, the Constitution shall stand amended in accordance with the terms of the Bill :

Provided that if such amendment seeks to make any change in—

(*a*) Article 54, in article 55, article 73, article 162 or article 241, or

(*b*) Chapter IV of Part V, Chapter V of Part VI, or Chapter I of Part XI, or

(*c*) any of the lists in the VII Schedule, or the representation of States in Parliament, or

(*d*) the representation of States in Parliament. or

(*e*) the provisions of this article,

the amendment shall also require to be ratified by the Legislatures of not less than one-half of the States specified in Parts A and B of the First Schedule by resolutions to that effect passed by those Legislatures before the Bill making provision for such amendment is presented to the President for assent."

So I do not think there is anything to debar me from observing in the way I have indicated. So, to be on the safe side I put the question again.

The question is that the Resolution be accepted.

(विराम)

श्री मानसिंह (जमुआ रामगढ़)—Noes have it.

श्री अध्यक्ष—Those who are against it should please stand.

Page No.68

(सदस्य अपने स्थानों पर खड़े हुए और खड़े हुए सदस्यों की सख्या गिनी गई जो ३५ हुई)

श्री अध्यक्ष—Those who do not want to vote either for Ayes of for Noes, *i.e.*, neutral Members should stand. (हंसी)

I think there is none.

(कोई खड़े नहीं हुए)

श्री एच. के. व्यास—Is the Hon'ble Leader of the House neutral?

श्री अध्यक्ष—The rest I can take as for Ayes.

श्री हिम्मतसिंह (अटरू)—How many Ayes, Sir?

श्री अध्यक्ष—The rest.

श्री एच. के. व्यास—They may be lesser or more.

श्री अध्यक्ष—We have got the number of the Members who are present here.

एक सदस्य—कोई हाजरी देकर चले गये हों ?

श्री मानसिंह (जमुआ रामगढ़)—हाजरी देकर बहुत से चले गये। हमारी तरफ से भी बहुत से चले गये हैं। ("हां" पक्ष वालों की गिनती)।

श्री अध्यक्ष—Yes. The Noes are 35 and the Ayes 67. The Ayes have it. The Resolution is adopted.

राजस्थान तमाखू विक्रेता अनुज्ञा-पत्र विधेयक, १९५२।

श्री भोलानाथ—Sir, I move that the Bill to regulate the retail sale of manufactured tobacco be taken into consideration.

श्री अध्यक्ष—Motion moved.

श्री भैरूंसिंह—माननीय अध्यक्ष, जिस समय माननीय उपाध्यक्ष कुछ समय पहले कुर्सी पर विराजमान थे उस समय उनसे अर्ज किया गया कि आज की कार्यवाही हमारे पास बहुत लेट पहुंची और यह बिल भी जिस पर विचार करना है आज ही मिला है। उस समय माननीय उपाध्यक्ष ने फरमाया कि वे आज न लिये जा कर कल लिये जावेंगे इसलिये मैं निवेदन करता हूं कि वे कल लिये जावें।

श्री अध्यक्ष—I think very little time is left and if the Hon'ble Members of the House want that they can discuss on the principles of the Bill for 10 or 15 minutes and this stage is there. We can save a little time which we will spend on the discussion over the principles of the Bill. The clause-by-clause consideration of the Bill will be taken subsequently when it comes on the agenda.

श्री मानसिंह (जमुआ रामगढ़)—प्रिन्सिपल ऑफ दी बिल पर भी बिना विचारे कैसे ये कहा जा सकता है ? न्याय संगत तो यह होगा कि १० मिनट के लिये इसको क्यों लिया जाए। कल के लिये ही इसको रखा जावे।

श्री अध्यक्ष—No body forces you to speak on the principles.

श्री मानसिंह (जमुआ रामगढ़)—अगर नहीं बोलेंगे तो मौका निकल जावेगा।

श्री एच. के. व्यास—Since we have to come again as a special feature I think there is substance in the suggestion that we adjourn 10 minutes earlier.

श्री अध्यक्ष—So we take that the discussion over the principles will not take place and we pass over this stage and that when we can take the Bill for consideration clause-by-clause the Hon'ble Members will put forth their suggestions regarding consideration.

(विराम)

The Members can speak for 10 minutes and then we can adjourn.

श्री हिम्मतसिंह—दस मिनट पेश्तर एडजर्न कर दें तो अच्छा होगा।

श्री अध्यक्ष—Then can I conclude that the House does not want to discuss the principles of the Bill.

श्री गोपीलाल यादव—माननीय अध्यक्ष, बोलना तो चाहते हैं पर अभी कोई तैयार नहीं हैं।

श्री मानसिंह (जमुआ रामगढ़)—वजह तैयार नहीं होने की यह है कि आज सुबह ही हमें यह बिल मिला है। इसके लिये कंसीडरेशन तो होना चाहिये।

श्री अध्यक्ष—I refuse to accept this view that the Bill was received by all the Members this morning. I know that this was circulated some three days back and some of the Members have got it. It is a different affair if they want to go to their houses earlier.

श्री जसवन्तसिंह—But we are returning again at 4.00 P.M.

श्री अध्यक्ष—But I will press upon and request the Hon'ble Members that our time is very precious and our Province has to pay for every little minute that we spend in this House. So we should utilise to the maximum every minute that is before us and we should not be in a light mood and just postpone all these decisions and all those things which we can discuss here and now. Well, if no body wants to speak I will adjourn the House but I will like to inform the Hon'ble Members that for the discussion of the principles of the Bill, a limited scope, of course to a reasonable extent, will be given. We now adjourn till 4.00 P.M today.

(सदन की कार्यवाही १२ बज कर २२ मिनट पर शाम के ४ बजे तक के लिये स्थगित हुई)

सभा भवन,
जयपुर,
दिनांक, १७ मार्च, १९५३.

मनसाराम पुरोहित
सचिव,
राजस्थान विधान सभा ।

परिशिष्ट १

(वे प्रश्नोत्तर जो सदस्यों की अनुपस्थिति के कारण सदन की मेज पर रखे गए तथा जिन्हें मुद्रित कराने की संबंधित मंत्रियों की अनुमति प्राप्त हैं)

४३३. (३२। पी. डब्लू. एम.) श्री मोतीराम, एम.एल.ए., डिविजन नंबर १०७—क्या पी. डब्लूयू. डी. मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे:—

(क) क्या गंगानगर, करणपुर, रायसिहनगर में वाटर वर्क्स के लिये सरकार द्वारा ४० लाख रुपये मंजूर किये गये थे ?

(ख) यदि हां, तो सरकार ने उस रकम को अब तक क्यों उपरोक्त कार्य पर खर्च नहीं किया?

(ग) अब कब तक खर्च करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(क) तथा (ख) बीकानेर रियासत के समय में २५ लाख रुपया ग्राम एवम् नागरिक योजनाओं के लिये निश्चित किया गया था, परन्तु विस्तार पूर्वक योजनाऐ अनुमोदन न होने के कारण कार्य चालू नहीं किये गये थे। राजस्थान सरकार बन जाने के पश्चात् अभी तक इस कार्य के लिये कोई रकम विशेष रूप से नहीं रखी गई।

(ग) सवाल नहीं उठता।

४३७. (५४ पी. डब्लू. एम.) श्री मोतीराम, एम. एल.ए., डिविजन नम्बर १०७—क्या पृथक राजस्व मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:—

गंगानगर के नहरी इलाके में पैदा होने वाली सरसों और कपास पर निर्यात ड्यूटी सरकार द्वारा लगाई हुई शरीयत फरोख्त आराजियात के विरुद्ध है? क्या सरकार ऐसे निर्यात कर सरसों व कपास पर से हटाने की कृपा करेगी ?

उत्तर

इस प्रश्न का उत्तर प्रथम बजट सेशन में दे दिया गया था। उत्तर की प्रतिलिपि इस प्रकार है। सरकार ने इस मामले में पुनः विचार किया व इस नीति में कोई परिवर्तन की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती—

"From the enquiries made it appears that with the implementation of unified customs Tariff the condition embodied at item No. 17 of the conditions of sale was effected. But this condition was effected even in the time oor ffmer Bikaner State when a surcharge of -/4/- a maund on Sarson,

Taramira and Toria and their products was levied on export from the State. The matter is, however, under enquiry and suitable action will be taken if necessary."

४३८. (५३ पी. डब्लू. एम.) श्री मोतीराम, एम.एल.ए., डिविजन नंबर १०७—क्या पी. डब्लू. डी. मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे:—

(क) क्या सरकार जानती है कि गंगानगर और हिन्दूमल कोट (१८ मील) के बीच पक्की सड़क बनवाने से सरकार की आय में वढोतरी और जनता को यात्रा में सुविधा होगी ?

(ख) यदि हाँ, तो इस सड़क की ओर क्या सरकार ध्यान देगी और कब तक ?

उत्तर

इस सडक की ओर सरकार का यथेष्ट ध्यान है। केन्द्रीय सरकार को इस बारे में शीघ्र ही लिखा जा रहा है।

442. (62/ P. W. M.) Shri Madho Singh, M.L.A. (*Div. No.* 90)—Will the Minister for Separate Revenue be pleased to state:—

(a) How many retired Custom Inspectors have been re-employed ?

(b) What are their names ?

(c) Why they have been re-employed ?

उत्तर

(अ) सायर व आबकारी विभाग में मुस्तकिल जगह पर एक भी सेवा-कार्य-मुक्त इन्सपेक्टर को पुनः नियुक्त नहीं किया गया है। केवल एक ही सेवा-कार्य-मुक्त इन्सपेक्टर को फिर से एन्टी स्मगलिंग विभाग में अस्थायी रूप से रक्खा गया है।

(ब) उसका नाम श्रीकिशन बोहरा है।

(स) एन्टी स्मगलिंग कार्य में अनुभवी आदमियों की विशेष आवश्यकता रहती है। यह व्यक्ति बहुत अनुभवी है इस हेतु इन्हें केवल एक वर्ष के लिये अस्थायी रूप से और रक्खा गया है।

४४१. (५५/पी. डब्ल्यू. एम.) श्री मोतीराम, एम.एल.ए., डिविजन नम्बर १०७—क्या पृथक राजस्व मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे:—

(क) बैल और बछड़े की कीमत में अन्तर होते हुए भी बछड़े पर बैल जितनी जकात जो १५) . फी बछड़ा है क्यों ली जाती है ?

Page No.73

(ख) क्या सरकार बछड़े पर लगे जकात को घटाने की कृपा करेगी ?

(ग) यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

यह सच है कि बैल व बछड़े दोनों पर निर्यात शुल्क रु. १५) है। मन्शा यह है कि साधारणतया बछड़ों का निर्यात भी अबाधरूप से न हो क्योंकि उनके बाहर जाने से यहां की जनता उनकी कृषि विषयक सम्पूर्ण सेवा से वंचित होती है और अगर कोई बछड़े का निर्यात करना ही चाहे तो बैल पर लगने वाला पूरा शुल्क दे। राज्य के पशुधन के हित को ध्यान में रखते हुए यह आवश्यक समझा जाता है कि बछड़े पर निर्यात कर उतना ही हो जितना बैल पर। बैल पर निर्यात कर उसकी कीमत पर नहीं वरन् संख्या पर है ?

४४९. (६७/एस.एम.) श्री धर्मचन्द, एम. एल. ए., डिविजन नम्बर ३६—क्या मंत्री देवस्थान विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे:—

करौली महकमा पुन्यार्थ में ऐसे १३ कर्मचारी हैं, जो शासन की ओर से नौकर हैं, पूजा की सामग्री उन्हें प्रति मास मिलती है परन्तु दो वर्ष से अधिक समय से उन्हें वेतन नहीं मिल रहा है; इसका क्या कारण है ?

उत्तर

प्रश्न में उल्लिखित व्यक्ति वास्तव में वरनी वाले हैं, जिनका सम्बन्ध राजाओं से होने के कारण उनका वेतन देवस्थान बजट से देना बन्द कर दिया गया है।

४५२. (७३/पी. डब्ल्यू. एम.) श्री धर्मचन्द, एम. एल. ए., डिविजन नम्बर ३६—क्या मंत्री महोदय, पृथक राजस्व विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे:—

(क) क्या राजस्थान सरकार मादा पशुओं को राजस्थान के बाहर निकासी बन्द करना चाहती है ?

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या नीति है ?

(ग) यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

उत्तर

गाय व भैंस के निर्यात पर अब भी प्रतिबंध है। भेड़-बकरी के निर्यात पर इस समय प्रतिबंध नहीं है, न इसकी आवश्यकता है क्योंकि राजस्थान में इन पशुओं की पैदायश अन्दरूनी खपत से कहीं अधिक है और इसके निर्यात को बन्द करके पशु-पालकों को हानि पहुंचाने का इरादा सरकार का नहीं है।

462. (78/P.W.M.) Shri Brijendra Pal, M.L.A. (*Div No.* 23)—Will the P.W.D. Minister be pleased to state:—

(a) Whether he is aware that Government money for electric charges from the public has been embazzled by the Karauli Power House staff ?

(b) Is the Government prepared to hold a departmental enquiry into the matter and place the report on the table of the House ?

उत्तर

(a) The case has been handed over to the Police Department for investigation.

(b) When the case is already under investigation with the Police Department the question of holding departmental enquiry does not arise.

परिशिष्ट २

(कृपया प्रश्न संख्या ४४८ देखिये)

List of applications for the grant of Stage carriage permits received by Regional Transport Authority, Udaipur since its establishment.

3. *Kotah-Deoli (as published in the Gazette dated 7th February,* 1953).

1. M/s. National Motors, Kotah.
2. M/s. Sahakari Transport Samitee, Kotah.
3. M/s. Jhalawar Transport Service, Jhalawar.
4. M/s. Engineers Transport Service, Jhalawar.
5. M/s. Kotah Transport Ltd., Kotah.
6. M/s. Bundi Electric Supply Co., Bundi.
7. M/s. Ujagar Singh Sethi Bros., Kotah.
8. M/s. Lathi Bros., Bundi.
9. M/s. Indersen Sant Dass, Udaipur.
10. M/s. Motor Workers Co-operative Society, Bundi.
11. M/s. Rajasthan Auto Transport, Ajmer.
12. M/s. Rajasthan Janta Motor Service, Kotah.
13. M/s. Manchanda Transport Company, Kotah.
14. M/s. Rajasthan Motors, Bhim.
15. Shri Sardar Ravel Singh, Kotah.
16. Shri Abdul Gafoor, Kotah.
17. Shri Dwarka Prasad Goyal, Kotah.
18. Shri Surjeet Singh, Kotah Junction.
19. Shri Mohan Lal Jain, Bundi.
20. Shri Santdas Krishan Chand, Udaipur.
21. Shri Ramchand Samano Mal, Udaipur.
22. Shri Karamchand Thapar & Bros., Kotah.
23. Shri Mitra Bahudhandhi Sahakari Samitee, Bundi.
24. Shri Lal Basti Ram Bhatia, Bundi.
25. Shri Punam Chand Bhatia, Bundi.

26. Shri Haji Syed Mumtaz Ali, Bundi.
27. Shri Ram Niwas Sharma, Jaitaran, Marwar.
28. Shri Harbans Lal Bagga, Baran.
29. Shri Seth Gurmukhdas Dayaram, Kotah.
30. Shri Andilal Kanyilala, Kotah.
31. Shri Kewalram Fatandas, Kotah.
32. Shri Surendrasen Singh, Kotah.
33. Shri Kunjbeharilal, Kotah.
34. Shri Bhagwadatta Sharma, M.A.LL.B., Bundi.
35. Shri Man Mal Tejmal, Kotah.
36. Shri Seth Setaldass Dayaram, Kotah.
37. Government Transport Service, Tonk.
38. Shri Punamchand Kotia, Bundi.
39. Shri Chand Bros., Kotah.

Kotah:—Deoli (applications received from 30-11-52 to 15-2-1953).

1. Thakurdass Sant Ram Dass Panchwani & Sons, Alwar.
2. Shri Hari Bhai Kinker, Beawar.

List of applications for the grant of Stage Carriage permits, received by Regional Transport Authority, Udaipur since its establishment.

1. **Kotah—Deoli** (as published in the Gazette dated 13-10-51).

1. The Motor Workers' Co-operative Society Ltd., Bundi.
2. Shri Kunjbehari Lal S/o Damodar Dass, Dhanmandi, Kotah.
3. Shri Rishikesh Bazari S/o Ramchand Das Bazari, Beawar.
4. The Rajputana Motors, Beawar.
5. The Ujagar Singh Sethi and Bros., Kotah.
6. The Rajasthan Motors, Sendra Road, Beawar.
7. The Gopal Motor Transport Co., Nasirabad.
8. The Bundi Silica Supply Co., Bundi.
[illegible]ind Transport Co., Sendra Road, Beawar.
[illegible]amchand Das S/o Arjun Das Agarwal, Beawar.

11. The Gian Singh Jagat Singh C/o Karen Singh Hotelwala, Kotah Junction.

12. M/s. National Motors, Nayapura, Kotah.

13. The Rajasthan Janta Motor Service, Rampura Bazar, Kotah.

14. The National Transport Co., Bundi.

15. The Automobile Transport (Raj.) Ltd. Cinema Road, Ajmer.

16. The Hind Transport Co. Sendra Road, Beawar.

2. **Kotah Junction—Deoli** (as published in the Gazette dated 13-10-51).

1. Shri Hazi Sayyed Mumtaz Ali S/o Sayyed Hasan Ali, Farrash Khana, Bundi.

2. The Mitra Sahakari Samitee Ltd., Bundi.

3. Shri Mohammed Hussain S/o Fateh Mohammed, Neem-ka-Chhota, Bundi.

4. The Bundi Electric Supply Co., Ltd., Bundi.

5. Shri Rang Lal Suresh Kumar S/o Rad Malji Agarwal, Bundi.

Page No.78

परिशिष्ट ३

(अतारांकित प्रश्नोत्तर जो सदन की मेज पर रखे गए)

प्रश्न

६.१ (१२७/आर. एम.) श्री तेजपाल, एम.एल.ए., डिविजन नम्बर १५२—क्या कृषि मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(अ) भरतपुर जिले में किन किन व्यक्तियों को ५ हजार से अधिक रुपया एग्रिकल्चर लोन के तहत दिया गया है और कितना कितना ?

(ब) क्या उससे वसूलयाबी की कोई मियाद है ?

(स) यदि हां, तो इसके अनुसार किन किन से कितना कितना रुपया वसूल हो चुका है ?

उत्तर—

(अ) ऐसे लोगों के नामों की सूची जिनको भरतपुर जिले में सन् १९५१-५२, १९५२-५३ में ५,०००) से अधिक कर्जा दिया गया है इसके साथ संलगन है:—

(ब) सन् १९५१-५२ तक इन कर्जों की वसूली ५ साल में दस छमाही किश्तों में की जाती थी। उसके बाद से यह वसूली दस साल में दस किश्तों में की जाती है।

(स) चूंकि कर्ज की रकम जिले के कलेक्टर द्वारा दी जाती है और उसही के द्वारा वसूल की जाती है इस संबंध के आंकड़े व अन्य सूचना उससे प्राप्त की जा रही है।

Statement showing the particulars of the Persons to whom Taccavi Loans for the Agricultural Machineries have been sanctioned in the year 1951-52—District Bharatpur.

S.No.	*Name of the applicant.*	*Amount.*	*Remarks.*
1	Shri Bharat Singh Hartet.	10,000	
2	Shri Harband Singh	9,986	
3	Shri Brij Lal	10,000	
4	Shri Rishi Singh	6,000	
5	Shri Damodar Lal .. .. —	6,000	

S. No.	Name of tho appli ant.	Amount.	Remarkes.
6	Shri Parmanand	10,160	
7	Shri Laxman Singh	7,500	
8	Shri T. N. Acharya	10,000	
9	Shri Yad Ram	6,000	
10	Shri Mangi Lal Mina	5,500	
11	Shri Gopal Das	9,250	
12	Shri Ram Saran	9,887	
13	Shri Ram Saroop Sharma	10,000	
14	Shri Raja Gajendra Singh V--Weir Garh ..	18,700	
15	Shri Indersingh (for implements) V. Bhimnagar, Tehsil Bayana	10,600	
16	Shri Radhya Krishan Vadhya	9,400	
	TOTAL ..	1,48,983	

1952-53.

1	Nihal Singh Takshak V. Simpuri	8,102	
2	Capt. Girdhari Singh Jhagina	9,500	
3	Ram Parshad S/o Jhuma Singh Nagla Chaube	8,790	
4	Sh. Girraj Prashad Nadbai	9,442	
5	Shri Subadar Singh, Director of Dholpur Co-operative Farms Ltd.	10,000	
6	Shri Jagdish Singh	9,715	
7	Kaila Bux Durga Porshad	10,000	
8	Shilendra Kumar, Shrimati Chand Kumari etc.	10,000	
9	Bahorri Singh of Moroli Kalan	10,000	
	TOTAL ..	85,549	

७. (७८/एस.एम.) श्री अवनिकुमार, एम.एल.ए., डिविजन नम्बर १—क्या मंत्री महोदय, सिंचाई विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे:—

(अ) जयपुर डिविजन के महेशवा बन्ध के बनाये जाने के लिये कितना रुपया शुरू में एस्टीमेट के रूप में स्वीकृत हुआ ?

(ब) क्या यह सच है कि उसका एस्टीमेट १७,०००) का रक्खा गया था ? मगर बाद में दूसरे तरीकों से उसके ऊपर ३,८७,०००) खर्च कर दिया गया और फिर भी वह पूरा नहीं हुआ ?

(स) उसके पूरा न होने व किस किस नाम से दुबारा यह रुपया लगाया गया; उसका विवरण मय कारण के बतायेंगे ?

(ड) उस बन्ध के एस्टीमेट को स्वीकार करते समय कितने एकड़ में सिंचाई होना बतलाया गया था और वास्तव में अब कितनी सिंचाई उसके बन जाने के पश्चात किस किस वर्ष में हुई ?

(इ) क्या सरकार यह बतलायेगी कि उस बन्ध पर जो सिंचाई ९७,०००) के खर्च के साथ बतलाई गई थी वह ३,८७,०००) के खर्च के साथ उसी औसत से सिंचाई बढ़ी है ?

(च) यदि नहीं, तो बढ़ने का क्या कारण है ?

उत्तर—

(अ) इस बन्ध के लिये प्रारम्भ में ९७,३१३) का तखमीना स्वीकृत हुआ था।

(ब) यह ठीक है कि शुरू में इसका तखमीना ९७,३१३) रु० का ही था परन्तु बाद में द्वितीय महायुद्ध के प्रारम्भ हो जाने की वजह से मजदूरी वगैरह व सब चीजों की दरें बढ़ गई जिसकी वजह से Revised aetimate ३,०२,५७४) रु० का स्वीकृत हुआ जिसमें से अब कुल २,९९,४६२) रु० खर्च हो गया है और यह काम खतम हो चुका है।

(स) यह काम पूरा हो गया है और किसी काम को दुबारा नहीं कराया गया जैसा कि उत्तर 'ब' में कहा गया है, भाव चढ़ जाने के कारण अधिक खर्च हुआ।

(द) इस बन्ध की स्कीम बनाते समय २३५० बीघा जमीन की सिंचाई का अनुमान बनाया गया था। इस बंध से जो सिंचाई अब तक हुई है उसका विवरण निम्नलिखित है :—

सन्	बीघा
१९४९-५०	१७४१ बीघा मय पेटा काश्त के
१९५०-५१	१७४२ बीघा मय पेटा काश्त के
१९५१-५२	२७८६ बीघा मय पेटा काश्त के

और इस साल अन्दाजन ४००० बीघा जमीन की सिंचाई का अनुमान है।

(इ) इस बन्ध का खर्चा मजदूरी और सब चीजों की दरें बढ़ जाने की बजह से ज्यादा है इसलिये सिंचाई के बढ़ने का कोई सवाल नहीं उठता। काम वही किया गया है जो पहले गया था।

राजस्थान विधान सभा

पन्द्रहवीं बैठक, दिनांक १७ मार्च, १९५३

सदन का कार्य ४ बजे (सायं) प्रारम्भ हुआ

(श्री नरोत्तम लाल जोशी, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री अध्यक्ष—श्री व्यास

श्री जयनारायण व्यास—अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान सरकार के १९५३-५४ वर्ष का बजट पेश करता हूं ।

पिछले वर्ष का बजट उपस्थित करने का सौभाग्य मेरे सहयोगी श्री नाथूराम मिर्धा को मिला था। उन्होंने उन सपनों का जिक्र किया जो वर्षों तक संयुक्त राजस्थान के लिये देखे जा रहे थे। उन्होंने उन आशाओं की तरफ भी इशारा किया था जो राजस्थान बनने के बाद की जा रही थीं ; परन्तु उन्होंने सतर्क रह कर सदन को यह भी बता दिया कि हमारे नए राज्य के सामने क्या क्या कठिनाइयां और दिक्कतें हैं। उन्होंने जिन बातों की कामना की थी उनका आधार वास्तविकता थी और हरएक व्यक्ति उन सीमित साधनों के भीतर उस कठिन कार्य के चलाने की कल्पना कर सकता है जो उनके सामने थी। १९५१-५२ में बरसात बिल्कुल नहीं हुई। फिर मौजूदा वर्ष में कुछ हिस्सों में तो वर्षा हुई और कुछ में अति वर्षा हुई। इससे मौजूदा आर्थिक वर्ष के कामकाज पर बुरा असर पड़ा है और लगभग सभी महत्वपूर्ण मदों में आमद की कमी हुई है। यह स्थिति ज्यादा गंभीर इसलिये हो गई कि कमी के इलाकों में चारों तरफ फैली हुई मुसीबत को दूर करने के लिये काफी बड़ी रकम खर्च करने की जरूरत हुई जिसके कारण वर्ष के आखरी भाग में काम चलना कठिन हो गया। इधर आमद में कमी हुई उधर जो भिन्न भिन्न विकास योजनाएं चल रही थीं उनके लिये केन्द्र से सहायता नहीं मिली। इससे हमारे काम चलाने के जरिए बिगड़ गये। ऐसी हालत में हमें केन्द्रीय सरकार से इस कठिन परिस्थिति से निकलने में हमारी मदद करने के लिये कहना पड़ा। हमें केन्द्रीय सरकार से १५० लाख रुपया मिला। यह रुपया, हमको उधर से जो रकमें मिलने वाली थीं, उनके पेटे में जमा खर्च कर लिया जायगा। बेशक, इस पेशगी से फिलहाल हमारी स्थिति कुछ सुधरी। फाइनेंस कमीशन की सिफारिशों से—जिस पर मैं बाद में विस्तार से कहूंगा—स्थिति और सुधरी और आज हम कुछ चैन की सांस ले सकते हैं।

अर्थ मन्त्रियों के लिये यह रिवाज बन गया है कि वे बीते वक्त की हालत पर नजर डालें। यही हालत आने वाले समय की पृष्ठभूमि बनती है। मेरा ख्याल है कि मुझे भी इस परिपाटी को निभाना चाहिये। मौजूदा आर्थिक स्थिति को ठीक ठीक समझने के लिये यह जरूरी है कि गए तीन वर्षों की आर्थिक व्यवस्था पर दृष्टि डाली जाय।

[श्री जयनारायण व्यास]

१९५०-५१ २. (क) सन् १९५०-५१ की वास्तविक आमद १४६०.५३ लाख रही। उक्त वर्ष आमदनी की जिन रकमों को हिसाब में लिया गया था इनमें से कुछ रकमें दर असल १९५१-५२ में वसूल हुई। उक्त वर्ष राजाओं के निजी खर्च की रकम पूरी पूरी चुकादी गई थी। उसमें से ५६ लाख रुपया केन्द्रीय सरकार ने १९५१-५२ में वापस जमा कराया। दियासलाई की एक्साइज ड्यूटी की ६०.७९ लाख की रकम, जो केन्द्रीय सरकार से १९५०-५१ में मिलने वाली थी, दर असल १९५१-५२ और १९५२-५३ में प्राप्त हुई।

(ख) राजस्व के खर्च की रकम १३९१.२९ लाख रही। इस तरह उस साल के राजस्व खाते में ६९.२४ लाख रुपये की बचत रही। १९५०-५१ में अलग अलग सीगों के मूलधन (Capital) में कुल खर्च २००.७३ रुपये हुआ (८७.७० रुपया सिंचाई पर, ४.१७ सार्वजनिक स्वास्थ्य पर, ७.५३ औद्योगिक विकास पर, ५५.८६ नागरिक कार्यों पर और ४४.८५ बिजली पर)। राजस्व और मूलधन दोनों को मिला कर कुल रकम १५९२.०२ लाख खर्च हुई। इससे जाहिर है कि एकीकृत रियासतों से प्राप्त १३१.४९ लाख रुपया सुरक्षित जमा में से खर्च हुआ।

१९५१-५२ ३. (क) १९५१-५२ के आयव्ययक के अनुमान पत्र में आय १६०५.१७ लाख थी। इससे १५ लाख की कमी दिखती थी। दुबारा बनाये अन्दाज के आंकड़ों में यह कमी ६.७९ लाख रुपये की रह गई, मगर सही आय १५५१.४९ रुपया और खर्च १५७६.१६ लाख रुपया रहा। परिणामतः २४.६७ लाख की कमी रही।

(ख) मूलधन पर १९५१-५२ में ६०७.२३ लाख खर्च हुआ, जबकि शुरू के बजट में २३२.७३ लाख रुपया कूंता गया था। इतनी बड़ी रकम का इजाफा खर्च में अन्न व्यवसाय योजना के कारण हुआ जिसके लिये पहले एक अलग मद था। खर्च के बढ़ने का एक कारण यह भी है कि ५० लाख रुपये की रकम कंटिन्जेन्सी खाते में डाल दी गई है।

१९५२-५३ ४. (क) १९५२-५३ वर्ष के हिसाब पर नजर डालना अगले वर्ष के अन्दाजे लगाने के सिलसिले में सही महत्व रखता है।

(ख) शुरू शुरू में जब बजट बनाया गया आमदनी १६३२.१८ लाख कूंती गई और खर्च १७२५.६६ लाख। इस तरह ९३.४८ लाख की कमी कूंती गई। मूलधन में रकम लगाने के सिलसिले में यह ख्याल किया गया था कि इस वर्ष अन्न की खरीद में कम पूंजी लगेगी और बिक्री से ज्यादा पूंजी जमा होगी। बिक्री से १७३ लाख रुपये की ज्यादा आमदनी का हिसाब लगाने के बाद २२.६४ लाख कुल अधिक खर्च मूलधन में कूंता गया। वर्षा की गड़बड़ी के कारण जो उम्मीदें बजट बनाते वक्त बांधी गई थीं वे पूरी नहीं हुईं।

(ग) एक लाख से ऊपर जिन मदों की आमदनी में कमी हुई वे इस प्रकार हैं:—

राज्य की एक्साइज ड्यूटी	४५.०० लाख
जंगल	५.७० "

131.49 69.24 200.73

[श्री जयनारायण व्यास]

रजिस्ट्रेशन	१.२५ „
दूसरे टैक्स और ड्यूटी	२४.०० „
शिक्षा	२.२५ „
मुतफर्कात महकमें	४.७५ „
निर्माण	४०.०० „
मुतफर्कात	१.८० „
सहायता	१५.८३ „
असाधारण आय	१६.८० „

नीचे लिखे सीगों में आमदनी बढ़ी भी है:—भू-राजस्व ३.७०, स्टाम्प ३ लाख, मोटर गाड़ियां ४.१५, ब्याज ४.२५, कृषि १.६५, उद्योग और सप्लाइ ३.७५, बिजली ४.५५, स्टेशनरी और छपाई ८.०० लाख।

(घ) खर्च खाते में जिन मदों में ज्यादा रकमें लगी हैं वे हैं:—भूमि राजस्व, दूसरे कर और महसूल, उन कार्यों पर ब्याज जिनके लिये पूंजी खाते रखे जाते हैं, सिंचाई के कार्य जिनके लिये साल के दौरान में केन्द्र द्वारा सहायता दी गई है, सामान्य प्रशासन, विधान सभा आदि पर अतिरिक्त खर्चे के कारण, शिक्षा, कृषि, कम्प्रेसर यूनिट आदि खरीदने के कारण, उद्योग व रसद, और बिजली की योजनाओं पर पूंजी की लागत पर ब्याज।

कई सीगों में खर्चा कम हुआ है जिनमें से मुख्य राजकीय आबकारी कर है (आय में कमी के कारण शराब आदि का मूल्य कम देना पडा है) सिंचाई सम्बन्धी कार्यों का निर्माण, ऋण और दूसरी देनदारियों पर ब्याज, पुलिस—कई स्थान खाली रहने व वेतन की सामान्य दरें लागू न करने के कारण, सार्वजनिक स्वास्थ्य, विविध विभाग व नागरिक कार्य। संशोधित बजट में कुल खर्चा १७१४.३५ लाख का रहा है।

अकाल सहायता के कामों पर १९५२-५३ में खर्चे का अन्दाजा ८५.०० लाख के बजाय १०६.५० लाख का है।

५. आर्थिक ढांचे के हिसाब से पुरानी कई स्वतन्त्र रियासतों के मिलाने से बने इस राजस्थान राज्य की कुछ अपनी अलग विशेषताएं हैं। राजस्थान संघ के साथ आर्थिक एकीकरण के फलस्वरूप हमारा आर्थिक ढांचा भारत के अन्य प्रान्तों का सा बन गया है, फिर भी आमदनी और खर्च दोनों में पुरानी झलक अब भी मौजूद है। कहने को तो हमारे राज्य का एकीकरण ७ अप्रेल, १९४९ को हो गया और यह राज्य तब से काम करने लग गया, लेकिन असल में देखा जाय तो आज तीन साल के बाद भी हम यह नहीं कह सकते हैं कि राज्य का पूरा एकीकरण पूरा हो गया है और हम भली प्रकार जम गये हैं।

Page No.84

[श्री जयनारायण व्यास]

६. हालांकि ऊपरी तौर पर तो पुरानी रियासतों में प्रशासन का एकीकरण भौतिक दृष्टि से 'क' श्रेणी के राज्यों के नमूने पर हो गया है, फिर भी भिन्न भिन्न विभागों का ठीक ढंग से संगठन करने में अभी बहुत कुछ करना बाकी है। एक अनजान भी स्पष्टतः कह तो सकता है कि इस एकीकरण से खर्चा बहुत कम हो जाना चाहिये, क्योंकि बहुत से मन्त्रि-मण्डलों के स्थान पर अब केवल एक मन्त्री-मण्डल है, और उन्हें भी पुरानी, खास कर कई बड़ी रियासतों के मन्त्रियों के मुकाबले कहीं कम वेतन मिलता है। कई सचिवालयों के बजाय अब केवल एक सचिवालय है और यही बात दूसरी प्रशासनिक कार्यवाहियों के बारे में भी कही जा सकती है। परन्तु यह बात ठीक नहीं है। हां, यह बात ठीक हो सकती है कि कुछ रियासतों का प्रशासनिक ढांचा भारत की पुरानी रियासतों के नमूने का था पर उनमें भी बहुत सी कमियां थीं।

७. राजस्थान में शामिल होने वाली अधिकांश रियासतों की आमदनी इतनी सीमित थी कि उसमें प्रशासन तथा जनता की सारी आवश्यकताओं का पूरा करना संभव नहीं था। उनमें जिला प्रशासन तो नाम को भी नहीं था। उनमें कृषि या अन्य विकास के कोई विभाग नहीं थे। नए ढांचे में किसी भी क्षेत्र को छोड़ा नहीं जा सकता और यहां भी उसी ढंग का प्रशासन लागू करना पड़ा जैसा कि 'क' राज्यों में है। शुरू २ में गलतियां होना जरूरी था, इसलिये एकीकरण होते ही प्रान्तों के नमूने पर पहली बार जैसा संगठन किया गया उसकी दुबारा परीक्षा व जांच होनी ही चाहिये।

८. विभिन्न एकीकृत रियासतों में आर्थिक वर्ष अलग अलग तारीखों से शुरू होता था। इसलिये सबसे पहला काम यह किया गया कि आर्थिक वर्ष सब जगह एकसा, अर्थात् १ अप्रेल से ३१ मार्च तक का माना जाय। इसके अलावा बजट और लेखों के सीगे भी अलग २ थे। आमदनी के जरियों के नाम भी बिलकुल भिन्न २ थे। इन सब विभिन्नताओं को हटा कर एक ऐसा नमूना पैदा किया गया जो दूसरी रियासतों का सा हो। बजट और लेखों के मद भी कन्ट्रोलर और ऑडीटर जनरल के सुझाव के आधार पर बनाये गये हैं।

९. कुछ अरसे तक नये राज्य का नियमित बजट बनाना संभव नहीं था। सितम्बर १९४९ के आखीर तक तो शामिल होने वाली रियासतों के बजट ही चलते रहे और फिर १ अक्तूबर १९४९ से ३१ मार्च १९५० तक के बीच के अरसे के लिये सबका एक शामिल बजट बनाया गया। १ अप्रेल १९५० से ३१ मार्च १९५१ तक के अरसे के लिये सबसे पहला नियमित बजट बनाया गया, पर इसके बनाने में बड़ी कठिनाई हुई क्योंकि उस वक्त तक न तो अलग अलग महकमों का एकीकरण ही पूरा हुआ था और न ही सबके लिये एक सी वेतन दरें लागू की गई थीं। लेकिन फिर भी एक नियमित बजट बनाना बहुत जरूरी था। इसलिये सब आंकड़े पूरे पूरे न होने पर भी १९५०-५१ के जमा-खर्च के अनुमान तैयार किये गये।

१०. पिछले समय की आर्थिक स्थिति का थोड़ा सा परिचय पा लेने के बाद अब कुछ ऐसी खास खास बातों पर गौर करना जरूरी है जिनका हमारी आर्थिक स्थिति पर असर पड़ेगा। इनमें बड़ी बड़ी दो बातें हैं (१) पंचवर्षीय योजना व (२) फाइनेन्स कमीशन की सिफारिशें।

Page No.85

[श्री जयनारायण व्यास]

११. दुनिया की आर्थिक हालत राज्यों की आर्थिक हालत पर असर डालती है, विशेषतः उन राज्यों की आर्थिक हालत पर जो उद्योग और राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर निर्भर रहा करते हैं। राजस्थान ऐसा राज्य तो नहीं है फिर भी सब चीजों के मूल्य में गिरावट आ जाने का हमारे राज्य की आर्थिक स्थिति पर भी असर पड़ा है। मूल्य की इस गिरावट ने व्यवसाय और उद्योग पर प्रभाव डाला है, जिसके फलस्वरूप दूसरे कर व महसूल (इन्टर-स्टेट ट्रान्जिट ड्यूटीज) से राज्य की आमदनी घट गई है। किसानों पर भी इसका कुछ प्रभाव पड़ा है; पर बड़ी संख्या में दूसरे लोगों को इससे कुछ राहत मिली है। पर कीमतों की कमी से हमारी अर्थ व्यवस्था का असली हल नहीं निकलता। राजनैतिक स्वतन्त्रता प्राप्त होने पर लोगों ने सोचा था कि नया युग आ गया। उनकी कल्पना थी कि अब उन्हें वे सब चीजें मिल सकेंगी जो जीवन को सुख चैन से बिताने के लिये आवश्यक हैं। लेकिन लड़ाई, बटवारे तथा मौजूदा अस्थिर राजनैतिक परिस्थिति का भारत की आर्थिक स्थिति पर भारी दबाव पड़ा है। इसके फलस्वरूप जीवन की नितान्त आवश्यकतायें तक दुर्लभ हो गई। भाव चढ़ गये और खपत घट गई। जन संख्या बढ़ गई पर उस मुकाबिले में उद्योग और उत्पादन में वृद्धि नहीं हो सकी इसलिये हमारे नेताओं ने अनुभव किया कि आर्थिक विकास और समाज की दशा सुधारने की ऐसी योजनायें बनाना नितान्त आवश्यक है जो इस देश को (welfare state) कल्याणकारी राज्य) बनाने के लक्ष्य के अनुकूल हों। अतः योजना-आयोग (Planning Commission) नामक एक प्रबल शक्ति सम्पन्न संस्था को जन्म दिया गया। इस कमीशन ने देश के माल, पूंजी व जन संख्या का अनुमान लगाने के बाद चहुंमुखी उन्नति की एक योजना तैयार की है। देश के आयात में कमी लाकर आत्मनिर्भर बनने के उद्देश्य से योजना में कृषि व ग्राम सुधार, सिंचाई बहु-प्रयोजन परियोजनाओं (Multi-Purpose Projects) व यातायात को सब से प्रमुख स्थान दिया गया। समाज सेवा कार्यों के लिये भी व्यवस्था की गई है। योजना आयोग (Planning Commission) के पीछे आम जनता के जीवन स्तर को जल्दी से जल्दी ऊंचा उठाने की प्रबल भावना काम कर रही है। पंचवर्षीय योजना के कार्यक्रम के अलावा अमरीका के संयुक्त राज्य की सहायता से सामुदायिक योजनाओं के अन्तर्गत विभिन्न दृष्टिकोणों से ग्रामीण क्षेत्रों के विकास का कार्य किया जा रहा है। हमारे प्रधान मन्त्री श्री जवाहरलाल नेहरू को इन सामुदायिक विकास योजनाओं में बहुत दिलचस्पी है। भारत की अधिकांश जनता गांवों में रहती है और इस ग्रामीण भारत के ही विकास की आवश्यकता प्रमुख है। यह विकास पुराने ढंग से नहीं होगा बल्कि ग्रामीण जनता के सहयोग व सलाह से होगा।

१२. यह तजवीज की गई है कि दो पुस्तिकाएं प्रकाशित की जाँय जिनमें पंचवर्षीय योजना और सामुदायिक प्रोजेक्ट योजना के अन्तर्गत राजस्थान में अनुसरण किये जाने वाले विकास कार्य-क्रम का विस्तृत विवरण हो। इसलिये यहां पर मैं उनकी तफसील में जाने की आवश्यकता नहीं समझता। फिर भी मुख्य मुख्य मदों का सूक्ष्म रूप से वर्णन करूंगा।

[श्री जयनारायण व्यास]

१३. पंच वर्षीय योजना की रूपरेखा में राजस्थान के विकास के लिये १५२१.२५ लाख रुपये के खर्च की रकम का अन्दाज लगाया गया था, जिसमें भाकरा-नांगल प्रोजेक्ट के लिये, केन्द्रीय योजना में रखी गई राजस्थान के हिस्से की २९ करोड रुपये की रकम, सम्मिलित नहीं थी। राजस्थान की योजना पर विचार करने के लिये तारीख ३१ मई और १ जून, १९५२ को भिन्न २ हितों के प्रतिनिधियों का एक सम्मेलन बुलाया गया। इस सम्मेलन में विधान सभा के सदस्य भी सम्मिलित थे। यह महसूस किया गया कि राजस्थान में उपलब्ध विस्तृत संभावित साधनों तथा उसकी पिछड़ी हुई दशा पर ध्यान देते हुए जो रकम दी गई है वह अपर्याप्त है और कार्यक्रम बनाया जाना चाहिये तथा चम्बल घाटी विकास योजना को सम्मिलित किये जाने पर विशेष जोर देते हुये इस राज्य की योजना के आकार को बढ़ाने के लिये केन्द्रीय सरकार से निवेदन किया जाना चाहिये। अन्तिम योजना में चम्बल योजना सम्मिलित कर ली गई है और भाकरा तथा चम्बल के निमित्त दी गई रकम को छोड़ कर अन्य कार्यक्रमों के लिये भी रकम बढ़ा कर १६८१.४ लाख कर दी गई है जिसमें कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिये १६७.३ लाख, सिंचाई की बड़ी योजनाओं तथा बिजली की योजनाओं के लिये ५४४.४ लाख, उद्योग के लिये ३८.५ लाख, सड़कों के लिये ४००.० लाख और सामाजिक सेवाओं के लिये ५३०.२ लाख रक्खे गये हैं। इसके अतिरिक्त सिंचाई के छोटे २ कार्यों के लिये २०५ लाख रुपयों की रकम और उपलब्ध की गई है।

१९५१-५२ तथा १९५२-५३ तक लगभग ३७०.५६ लाख रुपये खर्च हो चुकने का अन्दाज है व १९५३-५४ में ३९०.९९ लाख रुपये खर्च करने की तजवीज है।

१४. (क) सामुदायिक प्रोजेक्ट योजना में हमारे हिस्से में दो प्रोजेक्ट और एक विकास-क्षेत्र (Development Block) आये हैं जो सात ब्लॉकों में बांटे गये हैं। एक एक ब्लॉक हर डिविजन में और शेष दो में से एक विशेष रूप से अलवर जिले में ऐसे क्षेत्र में रखा गया है जहां विस्थापित हरिजन बसाये गये हैं। दूसरा उदयपुर डिविजन के डूंगरपुर जिले की अनुसूचित जातियों के लिये रखा गया है।

(ख) यद्यपि राजस्थान में कार्य कुछ देर से आरम्भ किया गया था किन्तु हमने समय की कमी को पूरा कर लिया है। योजना शेष भारत में तारीख २ अक्तूबर, १९५२ को आरम्भ की गई। राजस्थान में भी ऐसा ही किया गया। लोगों की सही आवश्यकताओं को मालूम करने के लिये एक विस्तृत प्रश्नावली के आधार पर प्रत्येक गांव की जांच आरम्भ की गई और वह लगभग समाप्त हो गई है। तथापि गांव वालों के परामर्श से बनाये गये अस्थायी कार्यक्रम के अनुसार असल कार्य भिन्न २ क्षेत्रों में आरम्भ कर दिया गया। मुझे यह बताते हुए हर्ष है कि इस राज्य में योजना को कार्यान्वित करने में जनता का उत्साह और सहयोग अनुपम रहे हैं।

[श्री जयनारायण व्यास]

(ग) कार्य सब दिशाओं में किया जा रहा है, यानी (१) कृषि तथा पशुपालन, (२) सिंचाई, (३) कृषि योग्य भूमि बनाना, (४) स्वास्थ्य और ग्राम सफाई, (५) शिक्षा, (६) सामाजिक शिक्षा, (७) आने जाने के साधन, (८) ग्रामीण कला कौशल एवं दस्तकारियां और (९) शिक्षण ।

(घ) कार्य क्रम के अनुसार सात ब्लॉकों का १९५२-५३, १९५३-५४ और १९५४-५५, तीन वर्षों के लिये कुल खर्च का अनुमान १,२५,३८,००० आता है जिसमें से १६.०० लाख रुपया मार्च, १९५३ के अन्त तक, ८०.०० लाख रुपया १९५३-५४ में और शेष १९५४-५५ में खर्च किया जायेगा। निश्चित किये गये अन्तिम ध्येय और अब तक किये गये कार्य के विषय में आवश्यक सूचना उस पुस्तिका में दे दी गई है जो छप रही है। राजस्थान के लोगों की गहरी दिलचस्पी श्री जवाहरलाल नेहरू के ६३ वें जन्म दिवस के उपलक्ष में समस्त भारत द्वारा दिये गये ३१४ स्कूलों के अंशदान में से ६७ स्कूलों के भेंट से प्रकट होती है। हमारा अंशदान सबसे अधिक है। गांव वालों ने स्कूलों के लिये मकान बना देने का वादा किया है और प्रथम वर्ष में पहले से ही आरम्भ कर दिये गये ५६ स्कूलों में से प्रत्येक में एक अध्यापक की व्यवस्था करदी गई है और उनको बेसिक स्कूलों की तरह व्यवस्थित करने का विचार किया जा रहा है। समस्त गांवों में बहुप्रयोजनीय सहकारी समितियों (Multi-Purpose Cooperatives) का संगठन और श्रमदान आन्दोलन का संचालन योजना के अन्य विशिष्ट अंग हैं। हम तीन और ब्लॉक प्राप्त करने की आशा कर रहे हैं।

१५. पंचवर्षीय योजना और सामुदायिक प्रोजेक्ट योजनाओं के लिए, जिनमें राज्य के साधनों के विकास के लिए विभिन्न कार्यक्रम कार्यान्वित किये जा रहे हैं, बहुत लागत चाहिए और १९५३-५४ में किए जाने वाले अपेक्षित खर्च की व्यवस्था बजट के 'राजस्व', 'पूंजी', और ऋण तथा 'अग्रिम' खंडों में की गई है। रकमों की तादाद उपयुक्त सीगों को देखने से मालूम होगी।

१६. संघीय आर्थिक एकीकरण (Federal Financial Integration) के परिणाम-स्वरूप हमारे पास आमद के ऐसे साधन रह गये हैं जो इतने नहीं बढ़ाये जा सकते जिससे इतना अधिक धन उपलब्ध हो जाय जितना इस पिछड़े हुए राज्य के विकास के लिए आवश्यक है। भारत सरकार ने इस राज्य के लिए अधिक आर्थिक सहायता की आवश्यकता का अनुभव किया था और इसी वजह से एकीकरण के समझौते की पहली धारा के अनुसार विशेष विकास योजनाओं के रूप में खासी भली सहायता देने के लिये अपने पर जिम्मेवारी ले ली तथा इस अविकसित क्षेत्र की आवश्यकताओं को मालूम करने के लिए यानी इस बात को ध्यान में रख कर कि राज्य कई प्रकार से पिछड़ा हुआ है, अतः उसके विभिन्न दिशाओं में विकास के सम्बन्ध में जरूरी सहायता की मात्रा का पता लगाने के लिए, राज्य की आर्थिक अवस्था की विधिवत् जांच करने का निश्चय किया।

[श्री जयनारायण व्यास]

१७. (क) भारत के संविधान के परिच्छेद २८० में की गई व्यवस्था के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए गए फाइनेन्स कमीशन ने अपनी रिपोर्ट देदी है। हमने अपनी दिक्कतों को फाइनेन्स कमीशन के सामने रख दिया था। कमीशन ने आय-कर और यूनियन एक्साइज ड्यूटी तथा प्राथमिक शिक्षा के लिए धनराशि अलग की। उस धनराशि में से हमें क्या मिले, हमारा ताल्लुक इसी से है। यह धनराशि अब बढ़ाकर उक्त मदों की जमाखर्च की रकम बाद बची रकम की ५५%करदी गई है। इसमें से हमें ३.५ फी सैकड़ा मिलेगी।

(ख) यूनियन एक्साइज ड्यूटीज का एक भाग दे देने की फाइनेन्स कमीशन की सिफारिश हमारे लिए स्वागत करने योग्य है। जमाखर्च के बाद बची इस मद की ४०% रकम "विभाजनीय राशि" नियत की गई है। इस ४० % राशि में से हमको ४.११ फी सैकड़ा रकम मिलेगी। इससे हमारे आय साधनों में ७५ लाख सालाना इजाफा हुआ है। आय-कर का हमारा भाग भी काफी बढ़ा है इन सिफारिशों के नतीजे के तौर पर इस राज्य को सालाना २८९.०० लाख रुपये की मदद मिलेगी। इस साल तो २७०.१५ से ही आरंभ होगी। मगर इन सिफारिशों के रहते हुए भी आर्थिक मामलों में हिसाब-किताब ठीक बिठाने की हमारी समस्या पूरी तरह से हल नहीं हो सकती। क्योंकि सेल्स टेक्स लगाने पर भी इन्टर-स्टेट ट्रान्जिट ड्यूटीज (सायरात) की आमदनी में कमी आवेगी, वह पूरी नहीं होगी। सायरात-कर तो १९५४-५५ के अन्त में उठाने ही होंगे। सायरात से जो आय होती रही तथा बिक्री-कर (सेल-टेक्स) से जो आमदनी होनेवाली है, इन दोनों के बीच १।।-२ करोड़ की कमी रह जाती है। अतः यदि फाइनेन्स कमीशन की सिफारिशों का बहुत बड़ा हिस्सा इस कमी को भरने में लगा दिया जाय तो आय की दूसरी कमियां ज्यों की त्यों बनी रहेंगी। इसलिए हमारे वर्तमान साधनों से अधिक आमदनी बढ़ाने की या नये साधन ढूंढ निकालने की आवश्यकता रह ही जाती है और यह कार्य है जहां इस नये राज्य को अधिक सम्पन्न राज्यों के समान स्तर पर लाने के लिये हमें एक साथ माथा खपाना है।

१८. सायरात (Inter State Transit Duties) और एक्साइज के अतिरिक्त अन्य खास खास स्रोत जिन पर हम निर्भर हैं, ये हैं:—

भू-राजस्व, स्टाम्प, मोटर व्हीकल एक्ट के अन्तर्गत आमदनी, सिंचाई, उद्योग, सप्लाइज और बिजली की योजनाएं। सिविल एडमिनिस्ट्रेशन से सम्बन्धित स्रोतों से होने वाली आमदनी ठोस नहीं है परन्तु उसमें बढ़ोतरी की गुंजाइश है।

१९. जहां तक भू-राजस्व का सम्बन्ध है कई क्षेत्रों में पुनः बन्दोबस्त किये जाने का समय आगया है और दरों की पुनरावृत्ति किये जाने पर वृद्धि की आशा है। सदन ने सरकारी मतालबा वसूली अधिनियम पहले ही पास कर दिया है और अब चालू राजस्व तथा चाकरी आदि के मतालबों की बकायाओं में से जो कई लाखों की तादाद में है अच्छी रकम की वसूली करना मुमकिन हो सकेगा। मगर हमारे यहां भारी दिक्कत यह है कि या तो कमी की हालत या दुष्काल की स्थिति आजाती है या अकाल पड़ जाता है।

Page No.89

[श्री जयनारायण व्यास]

कर वसूली बन्द करने और कम वसूली के कारण जो क्षति होती है उससे बचने के लिये यह तय किया गया है कि "आय समकारी निधि" (Revenue equalisation Fund) चालू की जाय। बुरे वर्षों में आमदनी की जो कमी होती है उसे पूरा करने के लिये इस निधि में सालाना रकम जमा कराई जाय। १९५३–५४ में इस सीगे में १५ लाख रुपये डालने की तजवीज है।

२०. चूंकि हम संपूर्ण राजस्थान में फैले हुए सिचाई कार्यों पर रुपये की विशाल राशियां व्यय कर रहे हैं इसलिये सिचाई के स्थानीय करों से आमदनी बढ़ जायगी। भूमि सुधार-कर (Betterment Fee) के लगाने के लिये कानून बन जाने पर एक बड़ी रकम की वसूली होगी और वह रकम सिचाई कार्यों में धन लगाने के लिये भारत सरकार से लिये हुये ऋण के भुगतान करने में, काम में ली जायगी।

२१. जहां तक विकास कार्यों का सम्बन्ध है, हम यथासंभव अपने आपको पचवर्षीय योजना के अंतर्गत कार्यक्रम तक ही सीमित रखेंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम अगले पांच वर्षों की अवधि से बिना कोई गम्भीर कष्ट उठाये आगे बढ़ने में सफल होंगे।

२२. इन आम विचारों के साथ में अब आपके सामने १९५३-५४ के बजट-अनुमान पेश करता हूं।

२३. सन् १९५१-५२ के वास्तविक आंकड़ों १५५१.४९ और चालू वर्ष के संशोधित अनुमानों १७५०.०० के मुकाबले में विभिन्न सीगों के अंतर्गत आमदनी के अनुमानों का जोड़ १९४४.०० लाख रुपये आता है, इससे यह मालूम होगा कि साढ़े पन्द्रह करोड़ रुपये की सामान्य आमद के ऊपर १९५३-५४ में करीब ४ करोड़ की वृद्धि का अनुमान किया जाता है। खास २ मदें जिनके कारण यह वृद्धि हुई है ये हैं:—

(क) यूनियन एक्साइज ड्यूटीज ७७.७५ लाख।

(ख) कृषि आय-कर की १५.०० लाख की आमद को अलग करके, बढ़े हुये हिस्से के कारण 'आय-कर' के अंतर्गत १८५.२५ लाख।

(ग) प्राथमिक शिक्षा के लिये सहायतार्थ अनुदान (ग्राण्ट-इन-एड) के रूप में २०.०० लाख।

२४. अन्य सीगों के अन्तर्गत वृद्धियां ये हैं:—

(क) भू-राजस्व:—१९५०-५१ में भू-राजस्व से संग्रह की रकम ४२०.७७ लाख थी जिसमें एकीकरण के पहले के समय की नमक के पेटे की बकाया भी सम्मिलित थी। सन् १९५१-५२ के असल आंकड़े अकाल की स्थितियों के कारण नीची संख्या में हैं। इस मद के १९५३-५४ के बजट के अनुमानों में जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम के लागू होने के कारण खर्चे की रकम को ध्यान में रखते हुए ५०.०० लाख की बेशी आमदनी हिसाब में ली गई है, और ३०.०० लाख रुपये के व्यय की व्यवस्था व्यय के सीगे के अन्तर्गत कर दी गई है। रबी की फसल की अच्छी आशायें हैं और यह आशा की जाती है कि चालू बकाया और पिछली बकाया में संतोषप्रद वसूली की जायगी।

Page No.90

[श्री जयनारायण व्यास]

(ख) केन्द्रीय सरकार के सहायतार्थ अनुदान में ५६.०० लाख की वृद्धि हुई। इसमें प्राथमिक शिक्षा के लिये २०.०० लाख रु० भी शामिल हैं।

(ग) राजस्थान सरकार द्वारा रक्षा (डिफेन्स) सेवाओं पर किये गये व्यय की वापसी के कारण ५०.०० लाख रु० के प्राप्त होने की आशा की जाती है। इसके विरुद्ध भूतकाल के दायित्वों के संबंध में व्यय के अनुमानों के अंतर्गत २०.०० लाख रु० की व्यवस्था की गई है।

(घ) 'स्टाम्प्स' ,मोटर गाड़ी अधिनियम के अंतर्गत प्राप्तियाँ, 'सिंचन' 'ब्याज', 'कारागार', 'चिकित्सा', तथा 'जन-स्वास्थ्य', उद्योग' और रसद', 'निर्माण कार्य' विशेष विकास कार्यों के लिये अनुदान, एफ.एफ.आई. समझौते के अन्तर्गत सड़कों और भवनों के लिये अनुदान सम्मिलित करते हुये 'बिजली' तथा स्टेशनरी और छापाखाने के अंतर्गत छोटी–मोटी वृद्धि दिखाई गई है।

२५. अन्य सीगों के अंतर्गत अनुमान, सन् १९५१-५२ के वास्तविक आंकड़ों की तुलना में कमियां बतलाते हैं, इनमें से मुख्य राज्य-कर आबकारी महसूल, वन और अन्य कर तथा महसूल हैं। (१९५१-५२ में संग्रह की रकम ४२०.४५ थी और १९५३-५४ के लिये ३५०.०० का अनुमान है जो ७०.०० लाख रु० से भी अधिक की कमी दिखलाता है) यह कमी कुछ सीमा तक कुछ वस्तुओं, पर बिक्री-कर लगाकर पूरी की जा सकती है।

२६. १९५३-५४ के लिये आमदनी का अनुमान, पहले के वर्षों के वास्तविक आँकड़ों, चालू वर्ष के संशोधित आंकड़े और वर्तमान परिस्थितियों तथा भविष्य की आशाओं, जिनका वर्तमान में पहले से अनुमान किया जा सकता है, का ध्यान रखते हुए, किया गया है। कुछ सीगों के अंतर्गत प्रस्तावित अंक अनुदार प्रतीत हो सकते हैं, लेकिन आमदनी के अनुमान बनाने में विशेष सावधानी रखने की जरूरत पड़ती है और केवल उन्हीं रकमों को, जो वास्तव में संग्रह की जा सकती हैं, हिसाब में लिया जाता है। केवल पूर्वाशाओं पर अंको को बढ़ाकर बताना जोखिम का कार्य हो जायगा।

२७. केन्द्रीय सरकार से सहायतार्थ अनुदान के लिये अंक, पक्का आश्वासन मिलने के पश्चात् ही लिये गये हैं। चालू वर्ष के लिये संशोधित अनुमानों की तुलना में १९५३-५४ के लिये अनुमानों में जो अन्य फेर-फार हैं उनका मेमोरेण्डम में स्पष्टीकरण कर दिया गया है।

२८. व्यय के संबंध में केवल अपरिहार्य व्यय ही सम्मिलित किये गये हैं और सम्भावित बचत के लिये कम ही अवसर दिया गया है क्योंकि ऐसी बचत की कल्पना करना ठीक नहीं जो वास्तव में पूरी न बैठे। व्यय के अनुमानों के खास खास रूप ये हैं:—

[१] भू-राजस्व सीगे के अंतर्गत , जागीर पुनर्ग्रहण (खालसा करने का) अधिनियम को लागू करने के संबंध में व्यय वृद्धि के कारण जागीरदारों को मुआवजे दिये जाने वाली रकम को सम्मिलित करते हुये, बढ़ी हुई व्यवस्था।

Page No.91

[श्री जयनारायण व्यास]

[२] चालू वर्ष के लिये संशोधित अनुमानों की तुलना में राज्य, आबकारी महसूल के के अंतर्गत वृद्धि वर्ष में विक्री के लिये अपेक्षित मदिरा के क्रय के लिये की गई व्यवस्था के कारण हुई है।

[३] स्टाम्पस् के अंतर्गत वृद्धि, ग्रेडों में सामान्य वृद्धियों आदि के अलावा बढ़ी हुई प्रत्याशित बिक्रियों पर विक्रेताओं के लिये कमीशन के निमित्त अधिक व्यवस्था करने के कारण हुई है।

[४] मितव्ययता के उपायों को अपनाने के कारण 'वन' विभाग में कमी हुई है।

[५] 'मोटर गाड़ी अधिनियम' के कारण व्यय, प्रशासन पर व्यय अब अलग सीगे के अंतर्गत दिखाया गया है। बिना कर दिये जाने वाली गाड़ियों का पता लगाने के लिए स्वीकृत अतिरिक्त स्टाफ के लिये अधिक व्यवस्था करना आवश्यक हो गया।

[६] उन कार्यों के लिये ब्याज जिनके लिए जमा पूंजी के लेखे रखे जाते हैं के अंतर्गत वृद्धि बढ़ी हुई पूंजी की लागत के कारण हुई है।

[७] सामान्य प्रशासन के अंतर्गत वृद्धि, विधान सभा आदि के लिए स्वीकृत अतिरिक्त अनुदान के कारण हुई है।

[८] 'कारागार' के अंतर्गत कमी है।

[९] 'पुलिस' एक महत्वपूर्ण सीगा है, जिसमें संशोधित अनुमानों के अंको के विरुद्ध ३६ लाख की व १९५१-५२ के वास्तविक आंकड़ों की तुलना में करीब ६७.०० लाख की वृद्धि हुई है। राजस्थान सशस्त्र सिपाही दल, जिला पुलिस विशेष सशस्त्र सिपाही दल आदि इस विशाल वृद्धि के कारण हैं।

[१०] शिक्षा एक दूसरा शीर्षक है, जिसके अंतर्गत महत्वपूर्ण वृद्धि दिखाई गई है। १९५१-५२ में २५०.०० लाख की व्यवस्था की गई थी और संशोधित अनुमान २५२.०० लाख के हैं। १९५३-५४ के लिये २९१.९० लाख प्रस्तावित किये गये हैं।

[११] 'चिकित्सा' के अंतर्गत १९५३-५४ के लिये, १९५२-५३ म १०८.३० लाख और १९५१-५२ में १०२.४४ लाख के विरुद्ध ११७.१४ लाख की व्यवस्था की गई है।

[१२] 'जन-स्वास्थ्य' के अंतर्गत बढ़ी हुई व्यवस्था, ग्राम पंचायतों के मारफत पूरी की जाने वाली ग्राम्य जल योजनाओं के लिये रखी गई है। सम्पूर्ण राजस्थान के लिये कुल २६६.०० लाख की लागत की एक पूरी योजना बनाई गई है जिसमें से २००.०० लाख सरकार द्वारा सहायता के रूप में दिये जायेंगे और बाकी रकम स्वयं ग्रामीणों द्वारा नकद और श्रम के रूप में दी जायगी। ९.०० लाख की रकम इस योजना के एक भाग के रूप में व्यय की जायगी। केन्द्र से और अधिक सहायता प्राप्त करने के लिए प्रयत्न किये जा रहे हैं और यदि यह प्राप्त हो गई तो कार्य-क्रम में वृद्धि करदी जायेगी। चिकित्सा तथा जन-स्वास्थ्य के अंतर्गत कुल व्यय का अनुमान १६२.७४ लाख किया गया है।

[श्री जयनारायण व्यास]

[१३] 'कृषि' के अंतर्गत बढ़ी हुई व्यवस्था, कम्प्रेसर युनिटों और वतमान मशीनरी के लिये अपेक्षित सामानों के क्रय के लिये की गई है। इस समय केवल ६ कम्प्रेसर युनिट हैं। चालू वर्ष में ११ और खरीदे जा रहे हैं और १९५३-५४ में २६ और खरीदने का प्रस्ताव है। इस प्रकार ४३ युनिट हो जायेंगे जो तमाम जिलों में कार्य करेंगे। ये मशीनें चट्टानों को उड़ाकर कुओं को गहरा करने के काम में आती हैं। इन कम्प्रेसरों के लिये बहुत अधिक मांग है और इसलिये विशेष प्रयत्नों से आवश्यक सामान के क्रय के लिये केन्द्रीय सरकार से ऋण प्राप्त करना संभव हुआ है। विभाग में तीन ड्रिलिंग रिग्स को आवश्यक सामानों से लैस किया जा रहा है और इनको ट्यूब वैल्स के खोदने के लिये काम में लेना संभव हो जायगा। इसके अतिरिक्त 'ऋण और पेशगियां' के अंतर्गत अधिक अन्न उपजाओ योजनाओं के संबंध में यथा-नवीन कुओं का निर्माण, ट्रेक्टरों का क्रय, पम्पिंग सेटों के प्रतिष्ठापन, बीजों, फर्टिलाइजर आदि के लिये, एक महत्वपूर्ण रकम की व्यवस्था की गई है।

[१४] पशुचिकित्सा के संबंध में पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत सहायता पाने के लिये भी हमने प्रार्थना कर दी है और आशा है कि हमें सहायता मिल भी जायगी। इस संबंध में जिन नए मदों पर विचार किया जा रहा है वे हैं (१) पशुओं को पहिले से ही रोग मुक्त करने के ६ केन्द्रों की स्थापना व (२) २० नए दवाखाने।

[१५] ग्रामोन्नति के सीगे के अंतर्गत पहले से ही काम कर रहे ग्राम विकास केन्द्रों के संबंध में सामान्य व्यवस्था की गई है। सामुदायिक योजनाओं में विभिन्न दृष्टिकोणों से गांवों के विकास की ओर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। १९५३-५४ के वर्ष में कर्जों के लिए रखे गए १७.०० लाख से भी ऊपर की राशि को सम्मिलित करते हुए कुल ८०.०० लाख की व्यवस्था की गई है।

[१६] सहकारिता के लिए भी ज्यादा व्यवस्था की जा रही है। इस वर्ष सहकारिता आन्दोलन ने काफी प्रगति की है। इस वर्ष एक एपेक्स बैंक (Appex Bank) स्थापित करने व उसके वास्ते आर्थिक सहायता देने की भी व्यवस्था की गई है जिससे किसानों को रुपया उधार लेने की सुविधा प्राप्त हो सके। इसके अलावा कर्जों के समाधान करने के बोर्ड भी स्थापित किए जावेंगे।

[१७] निर्माण कार्यों के अन्तर्गत चालू कामों व नई सड़कों तथा भवनों के निर्माण के लिये ५०.५० का, और ८१वें सीगों में आवश्यक रकमों की व्यवस्था की जा रही है। सड़कों के लिये कुल ५३.०० लाख की रकम रखी गई है जिसमें से १०.०० लाख रुपये केन्द्रीय आर्थिक एकीकरण समझौते के अन्तर्गत अकाल वाले इलाकों के लिये हैं, तथा लगभग ११.०० लाख राजस्थान के पैसे में से किये जा रहे चालू कार्यों के लिये। ७७.०० लाख रुपये की एक रकम पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत लगाने के लिये भी मांगी गई है, पर जब तक यह रकम दे नहीं दी जाती तब तक वह बजट में शामिल नहीं की जा सकती। प्रशासन सम्बन्धी भवनों के लिये भारत सरकार ने २०.०० लाख रुपये की एक रकम मन्जूर की है जिसमें से १९५३-५४ में १०.०० लाख रुपये काम में लाये जावेंगे। इसके अलावा भवनों

[श्री जयनारायण व्यास]

(चालू) और नये कार्यों —कोटा अस्पताल (३.७५)और सवाई मानसिंह अस्पताल जयपुर आउट पेशेण्ट वार्ड (६.००) लाख के लिये भी व्यवस्था की गई है ।

[१८] 'सिंचाई' के लिये भी एक बड़ी रकम रखी जा रही है । इस विषय का कुल बजट जिसमें साधारण प्रशासन के अनुदान, कर्मचारी व्यय वगैरह शरीक हैं उसके लिये आय और जमा पूंजी सीगों के तहत में रखी हुई ३८१.६६ लाख रुपये की रकम इस प्रकार बनती है:—

१७. सिंचन आदि कार्य जिनके लिये जमा पूंजी का हिसाब रक्खा जाता है—चालू काम म व्यय	१६.३०	लाख
१८. अन्य राजस्व व्यय जिनके लिये साधारण आय से रुपया मिलता है	७३.५०	लाख
१९. सिंचाई के कार्यों का निर्माण	१३.९०	लाख
६८. सिंचाई, नौकानयन, बांध और जल निकासियों का निर्माण (जवाई परियोजना को सम्मिलित करते हुए)	१४५.२०	लाख
८०. का—बहुप्रयोजन नद योजनाओं पर पूंजी की लागत (भाकरा सिंचन व विद्युत कार्य)	१३२.७६	लाख
योग	३८१.६६	लाख

[१९] 'उद्योग और रसद' के अन्तर्गत कुटीर उद्योगों की सहायता व विकास के लिये १.५० लाख की व्यवस्था की जा रही है । विक्रय संगठन को अपनी कार्यवाहियों का विस्तार करने के लायक बनाने के लिये १.०० लाख रुपये की रकम व्यवसायिक पेशगी के रूप में दी जाने के लिये रखी गई है । स्थानीय उत्पादन की बिक्री को बढ़ाने के लिये देहली में एक एम्पोरियम या डिपो खोला जा रहा है । अपने यहां की चीजों और खास कर देहातों और शहरी इलाकों में बनाई गई चीजों को लोकप्रिय बनाने के उद्देश्य से हम देश के खास खास रूब भागों में विक्रयशालायें खोलने की बात सोच रहे हैं ।

[२०] अकाल भी ऐसा मद है जिस पर कुछ कहने की आवश्यकता है । १९५१ में भरतपुर, अलवर और गंगानगर जिले के कुछ भाग के अलावा और कहीं भी वर्षा नहीं हुई, जिसके कारण सहायता कार्यों पर एक बड़ी रकम खर्च करनी पड़ी । १९५१-५२ में इस कार्य के लिये २४.३८ लाख व्यय हुए । १९५२-५३ में कुछ भागों में तो वर्षा हुई ही नहीं और कुछ में अति वर्षा हुई जिसके कारण चालू साल में काफी खर्चा करना पड़ा है । ५४.०० लाख के तकावी ऋणों के अलावा ८५.०० लाख रुपये पहले ही खर्च किये जा चुके हैं । संशोधित बजट में इस कार्य के लिये १०६.५० लाख रुपये रख दिये गये हैं । अगले साल के लिये इस मद में ३०.०० लाख की तकावियों के अलावा ३७.५० लाख रखे गये हैं । इस सम्बन्ध में हमें भारत सरकार से भी कुछ सहायता प्राप्त होने की आशा है ।

[२१] हमेशा की तरह दुर्भिक्ष सहायता निधि में चन्दे की शक्ल में ३०.०० लाख रुपये जमा कराने की व्यवस्था की गई है ।

[श्री जयनारायण व्यास]

२९. समाज सेवा के मदों के अलावा कुछ अन्य मदों में जो खर्च की वृद्धि हुई है वह उस राज्य के लिये जिसका उद्देश्य एक कल्याणकारी राज्य बनने का है उचित प्रतीत न हो परन्तु कुछ बातें ऐसी हैं जिनकी अवहेलना नहीं की जा सकती चाहे हमारा ध्येय व उद्देश्य कुछ ही क्यों न हो। शासन की ही समस्या को ले लीजिये। यह सच है कि इस मद का खर्च जब से विभिन्न रियासतें राजस्थान की इकाई में शामिल हो गई, बढ़ गया है। शासन में एकरूपता व उच्चस्तर लाने के लिये ऐसा करना अनिवार्य था। विभिन्न राज्यों के थोड़े वेतन पाने वाले कर्मचारियों के वेतन आदि में वृद्धि करना अनिवार्य था और मैं आशा करता हूं कि इससे किसी को खेद नहीं होगा। कहावत है कि फौज अपने पेट के बल पर चलती है और सार्वजनिक सेवकों की विशाल फौज को भी लगभग ऐसा ही करना पड़ता है। यह ठीक है कि जितना कपड़ा उपलब्ध हो उसी के हिसाब से हमें अपना कोट काटना है पर कोट तो बनाना ही है। राजस्थान को जो एकतन्त्री शासन विरासत में मिला उसे विधान सभा पर अतिरिक्त खर्च किये बिना, जनतन्त्री रूप देना सम्भव नहीं था।

३०. अध्यक्ष महोदय, इस सदन के कुछ माननीय सदस्य पुलिस पर बढ़े हुए खर्च पर एतराज करने के इच्छुक हो सकते हैं और उन्हें ऐसा एतराज करने का पूरा अख्तियार भी है परन्तु उन्हें अरावली की कठिन पंक्तियां, पश्चिम के रेत के विशाल टीबों और चम्बल के खंडारों को न भूलना चाहिये और न भूलना चाहिये इसके साथ ही कानून व सुव्यवस्था की विशेष परिस्थिति को, जिसका राज्य को सामना करना पड़ता है। डाकुओं के आतंक का मुकाबला करने के लिये पुलिस के दल, हथियार तथा अन्य वैज्ञानिक साधनों पर बिना अतिरिक्त खर्च किये ७४ डाकुओं को मारना तथा १६१३ को बन्दी बनाना संभव नहीं था। हमको ३५ अधिकारियों व मनुष्यों को इन दुष्टों के विरुद्ध लगाना पड़ा, अतः यह जरूरी था कि हमें अपनी पुलिस को आधुनिक लड़ाई के साधनों से सम्पन्न करके इस हद तक कुशल बनाते कि जिससे जो लड़ाई हमने शान्ति के शत्रुओं के विरुद्ध छेड़ी है वह उनके पूर्ण विनाश के साथ समाप्त हो। मैं माननीय सदस्यों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि पुलिस पर इतना अधिक खर्च बनाये रखने का सरकार का इरादा नहीं है, लेकिन जनता की सुरक्षा का ध्यान रखना हमारा प्रथम कर्तव्य है और जनता की भी यह प्रथम आवश्यकता है। सुरक्षा के उद्देश्य को हम आंखों से ओझल नहीं कर सकते। एक देहाती अपने को अनपढ़ बनाये रखना बर्दाश्त कर लेगा, लेकिन वह अरक्षित दशा में रखा जाना पसन्द नहीं करेगा। मैं आशा करता हूं कि सदन इस व्यवस्था की केवल सराहना ही नहीं करेगा वरन् उन लोगों को जो ऐसी कठिन परिस्थिति में इस राज्य की सेवा कर रहे हैं प्रोत्साहन भी देगा।

३१. पुलिस के खर्च पर वृद्धि के और भी कारण हैं। हमें बहुत लम्बे सीमान्त की रक्षा करनी पड़ती है जिसके लिये बहुत बड़े दल को रखने की आवश्यकता है। अभी हाल में ही एक बटालियन आर. ए. सी. बढ़ाई गई है जो केवल सीमान्त की रक्षा पर ही तैनात है। इसकी जिम्मेवारी केन्द्रीय सरकार के कोष पर रहना उचित है। अतः आर. ए. सी. का सम्पूर्ण व्यय, जो लगभग ८० लाख के होता है, के सम्बन्ध में केन्द्र से मांग की जा चुकी है।

[श्री जयनारायण व्यास]

३२. राजस्थान को जिस को अपने दल की एक बड़ी संख्या राजाओं के महलों, किलों व अन्य ऐसे स्थानों की रक्षा करने में लगानी पड़ती है जो "अ" श्रेणी के राज्यों को नहीं करना पड़ता है। सरकार इस मद के खर्च में कमी करने का विचार कर रही है।

३३. मैं अपने माननीय साथियों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि यह बढ़ा हुआ खर्च हमारे बजट के अनुमानों का हमेशा की बात नहीं रहेगी परन्तु मैं यह भी कह देना चाहता हूं कि सुरक्षा की कमी करके कोई भी किफायत करना वांछनीय नहीं होगा।

इसका यह तात्पर्य कदापि नहीं है कि सरकार कल्याणकारी कार्यों की आवश्यकता की उपेक्षा करेगी। सरकार के सामने शिक्षा का विस्तार करना हमेशा से एक इच्छित उद्देश्य रहा है।

३४. शिक्षा के विस्तार सम्बन्धी सरकारी नीति का पता इस सीगे के अन्तर्गत व्यय में लगातार बढ़ती द्वारा ही चल जाता है। एकीकृत राज्यों द्वारा, शिक्षा पर कुल व्यय करीब १६०.०० लाख था। १९५०-५१ में इस मद में खर्च की हुई राशि २०१.९७ लाख थी। १९५१-५२ में खर्चा २३०.०० लाख हुआ। १९५२-५३ में २५० लाख रुपये रखे गये थे और संशोधित में २५२.०० लाख रखे गये हैं। १९५३-५४ में २९१.९० रखने का प्रस्ताव है। इस तरह १९४९ के १६०.०० लाख के खर्च के मुकाबले में शिक्षा पर खर्च १९५३-५४ में २९१.९० लाख हो जावेगा। १९५२-५३ में टोंक तथा सिरोही की हाई स्कूलों का स्तर इन्टरमीजिएट तक बढ़ा दिया गया। प्राइवेट एजेन्सीज द्वारा चलाई जाने वाले माध्यमिक पाठशालाएं जिसमें एक हाई स्कूल, २१ माध्यमिक पाठशालाएं तथा ९७ प्राथमिक पाठशालाएं शामिल हैं, तथा पुनर्वास विभाग द्वारा चलाई जाने वाली ७४ पाठशालाएं जो बन्द होने जा रही थीं, सरकार द्वारा अपने नियन्त्रण में ले ली गई। सन १९५३-५४ में अनेक नई प्राथमिक पाठशालायें खोलने की योजना बनाई जा रही है। पिछले वर्षों में खोली गई ५८० प्राथमिक पाठशालाओं के विस्तार करने के अतिरिक्त, प्राथमिक तथा माध्यमिक पाठशालाओं को क्रमशः माध्यमिक तथा हाई स्कूल के स्तर तक बढ़ा दिया जायेगा। प्राईवेट स्कूलों के भवनों के लिये सहायतार्थ। अनुदान तथा शिक्षण संस्थाओं के भवनों को जो रकम की कमी के कारण अब तक पूरे नहीं किये गये थे पूरा करने की व्यवस्था करदी गई है।

३५. भारत सरकार की शिक्षा मन्त्रणालय की बुनियादी तालीम और सामाजिक शिक्षा के लिये योजना है। इस योजना के आधार पर भारत सरकार को तजवीज बना कर भेजी गई है जिसमें बुनियादी तालीम के कर्मचारियों तथा इंतजामिया सीगे के आदमियों के शिक्षण के लिये बुनयादी तालीम महाविद्यालय, प्राथमिक पाठशालाओं के अध्यापकों के लिये शिक्षण महाविद्यालय बुनयादी शिक्षण के तीन मॉडल स्कूल और गांवों के मुखियों के शिक्षण के लिये एक जनता कॉलेज की योजनायें हैं। इस खर्चे का आधे से ज्यादा हिस्सा भारत सरकार देगी।

३६. शिक्षा विभाग की अन्य गति-विधियों को भी मजबूत किया जा रहा है तथा उनका विस्तार किया जा रहा है। पुरातत्व मन्दिर जिसका सम्बन्ध संस्कृत तथा राजस्थानी पुस्तकों के

[श्री जयनारायण व्यास]

अन्वेषण कार्य से है, उपयोगी कार्य कर रहा है। करीब २००० हस्तलिखित पुस्तकों के अतिरिक्त, करीब २५०० महत्वपूर्ण तथा दुष्प्राप्य पुस्तकों को संग्रह कर लिया गया है तथा प्रकाशन के कार्य की भी प्रगति हो रही है।

३७. चिकित्सा सहायता:—"चिकित्सा" के अन्तर्गत भी रकम में वृद्धि की गई है। "रोगियों के लिये औषधियां तथा खुराक" के लिये अधिक अनुदान की व्यवस्था कर दी गई है। आय-व्ययक अनुमान में जो नए मद शामिल किये गये हैं, वे ये हैं:—समस्त राजस्थान के लिये बी. सी. जी. की ४ टीमें, तथा नये आयुर्वेदिक औषधालय खोलने के लिये १ लाख रुपया, तथा टी. बी. सेनीटोरियम एवं नर्सिंग होम के लिये ३ लाख रुपये की व्यवस्था। चिकित्सा सम्बन्धी सुविधाओं के विस्तार के लिये गैर सरकारी सहायता की भी कमी नहीं है। इस वर्ष में नये अस्पताल के भवन निर्माण हेतु तथा शिशु कल्याण एवं प्रसूति केन्द्र आदि के लिये दान प्राप्त हुए हैं।

राज्य के विविध भागों में (सर्जीकल) चीर फाड़ संबंधी तथा आंखों संबंधी ४ कैम्प लगाए गए।

सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज के निर्माण कार्य तथा उसके साज सामान में संतोष प्रद प्रगति है। कालेज की मान्यता के संबंध में यह आवश्यक प्रतीत हुआ है कि सवाई मानसिंह अस्पताल, जयपुर में एक (आउट पेशेन्ट वार्ड) वाह्य मरीजों के वार्ड का निर्माण करने के लिए अतिरिक्त ३० लाख व्यय की व्यवस्था की जाय। अतः ६ लाख की व्यवस्था १९५३-५४ में की गई है।

राजस्थान में कई अस्पतालों पर, नर्सिंग (प्रोफेशन) कार्य में आवश्यक शिक्षा पाने के हेतु व्यवस्था कर दी गई है।

३८. हाउस को, सरकार की खाद्य नीति से अवगत कराना भी आवश्यक है। १९५१ में राज्य की खाद्य नीति को, भारत सरकार की खाद्य नीति के समानुकूल लाने के लिए निम्नलिखित उपाय काम में लाए गए:—

(१) स्टेच्यूटरी राशनिंग की समाप्ति।

(२) राशनिंग की जिम्मेवारियों को, साधारणतया देहाती क्षेत्रों में राशनिंग की जिम्मेवारियों को, नहीं रखना।

(३) डिविजन के भीतर कुछ विशेष अपवादों के अतिरिक्त अनाज को खुलमखुल्ला लाने-लेजाने की आज्ञा।

३९. उपरोक्त नीति को काम में लाते हुए, खरीफ फसल के अनाज की गति में और छूट दी गई तथा उनको तमाम राजस्थान में लाने-लेजाने की आज्ञा दी गई और यही बात चने तथा चने से बनी हुई वस्तुओं के सम्बन्ध में है। यह काम इस मकसद को लेकर किया गया कि इससे कीमतों में संतुलन हो जायगा तथा कमी के स्थान बेरोक-टोक से तथा आसानी से पोषित किये जा सकेंगे।

[श्री जयनारायण व्यास]

४०. अपर्याप्त वर्षा होने के कारण, अर्थात् किन्हीं स्थानों में वर्षा की कमी तथा दूसरे स्थानों में अत्यधिक वर्षा होने के कारण राजस्थान के बहुत से हिस्सों में विशेषकर एक फसली क्षेत्र में खरीफ़ की फसल को बहुत नुकसान हुआ। पीड़ित क्षेत्रों को सहायता देने के लिहाज से अनाज का लाना-लेजाना खुला कर दिया गया तथा वहां पर सरकारी अनाज लेजाया गया और स्थिति को ठीक समय रहते काबू में कर लिया गया। खरीफ फसल की भी वसूली नहीं की गई।

४१. हमारे (धान्य के) स्टॉक की स्थिति भी सन्तोषप्रद रही है। हमारे सस्ते धान्य की दुकानों से धान्य के उठने में बहुत कमी हो जाने के परिणामस्वरूप हमारा धान्य सरकारी गोदामों में इकट्ठा हो गया तथा उसमें कुछ खराबी हो जाने के लक्षण दिखाई दिए। इसलिए सरकार को अनावश्यक आर्थिक हानि से बचाने के लिए बहुत सारे अनाज को केन्द्रीय सरकार की राय से बाहर की मीलों को मैदा बनाने तथा स्थानीय पार्टियों को राज्य के भीतर बेचने के लिए, बेच दिया गया। आने वाले आर्थिक वर्ष में, हमारी आवश्यकताओं के लिए हम भारत सरकार से उतनी ही मात्रा में धान्य प्राप्त करेंगे जितना कि आन्तरिक वसूली द्वारा प्राप्त हुई धान्य की मात्रा को ध्यान में रखने के बाद, आवश्यक होगा। हमारी नीति स्थानीय वसूली अधिकाधिक करना तथा आयात किए गए अनाजों पर निर्भर रहने की वृत्ति कम करना होगा।

४२. अन्य समस्त जरूरी वस्तुओं की स्थिति अब संतोषप्रद है। कपड़ा, सूत, खांड, नमक, सीमेन्ट इत्यादि ठीक कीमतों में आसानी से प्राप्त किए जा सकते हैं। फिर भी कोयला, कोक तथा लोहे और इस्पात के संबंध में यातायात की कठिनाइयां अभी तक चालू हैं।

४३. इस वर्ष में सरकारी व्यापारिक योजनाओं पर पूंजी की लागत के अंतर्गत अनाज के खरीदी के मुकाबले बेचने पर प्राप्त हुई अधिक रकम (–५०.३६) को ध्यान में लेने के बाद मूलधन के खर्च के लिए रुपया देने के लिये बची राशि २९९.०५ लाख रुपये आती है। केन्द्रीय सहायता, ३८७.५० रुपये तक की उधार रूप में प्राप्त हो सकेगी। चूंकि रेवेन्यू बजट में कम्प्रेसरों के खरीदने की व्यवस्था कृषि के अंतगत की जा रही है तथा वर्तमान वर्गीकरण के अनुसार लघु सिंचन कार्य जिनकी लागत एक लाख रुपये से कम है, की भी व्यवस्था रेवेन्यू बजट में की गई है, इसलिए रुपये २९९.०५ के आंकड़े, केन्द्रीय सरकार द्वारा दी गई उधार राशि में रुपये से लेकर किये जाने वाले कार्यों पर लगी पूरी लागत का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। फिर भी यह साफ है कि हमको १९५३-५४ में कोई रकम बाहर से उधार लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी तथा जितना उधार केन्द्रीय सरकार ने देने का वादा किया है वह हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में पर्याप्त होगा।

४४. विनियोग Investments :—राजस्थान के निर्माण के समय भिन्न भिन्न एकीकृत राज्यों से कुल १९३७.२७ लाख रुपये प्राप्त हुए जिनमें से १२४.३० लाख प्रन्यास निधि (Trust fund) के थे। ३१ मार्च १९५३ को इन विनियोगों (जमा पूंजी) के कुल १४६८.८६ लाख होने की आशा है

[श्री जयनारायण व्यास]

जिनमें Trust fund का २४.५७ लाख रुपया भी शामिल है। ७ अप्रेल १९४९ से विनियोग में कुल ६०.९४ लाख रुपये नये लगे। ३ साल के दौरान में कुल ५२३.३६ लाख रुपये की कमी हुई:—

(१) केन्द्रीय आर्थिक एकीकरण समझौते के फलस्वरूप भारत सरकार को अंतरित हुए २६१.३८ लाख,

(२) Trust fund प्रन्यास निधि के प्रशासकों को अंतरित हुए ५७.३२ लाख,

(३) जमा कराने वालों को लौटाये गये ५.५७ लाख, और

(४) मूलधन के खर्चे व अन्य खर्चों की पूर्ति के लिए नकद करवाये गये २०५.०९ लाख।

४५. आने वाले आर्थिक वर्ष की आमदनी व खर्चे के आंकड़े दोनों अब १९४४.०० लाख रुपये हैं।

४६. जहां तक सरकारी कर्जे, सरकार द्वारा कर्जे और पेशगी व सार्वजनिक लेखे का संबंध है, १ अप्रेल १९५३ को प्रारम्भिक शेष जिसके ९२.३७ लाख होने की आशा थी, राजस्व प्राप्तियों, कर्ज और पेशगी तथा सार्वजनिक लेखे के अंतर्गत प्राप्त रकमों तथा कर्ज और पेशगी और सार्वजनिक लेखे के अंतर्गत सर्विस के सीगे के खर्चे के कारण वितरणों को ध्यान में रखते हुए बजट अनुमानों के आंकड़ों से मालूम होगा कि इनके लिए १२७.४७ लाख रुपये की कुल रकम मिल सकेगी जिसमें से ५० लाख बैंक ओवरड्राफ्ट को कम करने में काट देने के बाद ३१ मार्च १९५४ को ७७.४७ लाख संवरण अंतर रहेगा।

४७. गत साल में चालू वर्ष में एकीकृत राज्यों में लिए जाने वाले कुछ अप्रचलित व पुराने ढर्रे की लाग बाग जैसे मापा, कसौटी, तुलावट, लाग, कटमंडी इत्यादि उठा दिये गये हैं। इसी प्रकार के अन्य करों को हटाने के विचार हैं। इससे आमदनी में नुकसान हुआ है लेकिन इसके लिए कोई चारा नहीं है क्योंकि परिवर्तित वातावरण में इनका कोई स्थान नहीं है।

४८. राजस्व व मूलधन के खर्चे के कुल अनुमान २३७१.८५ लाख होते हैं जिसमें से १२४०.७५ लाख लोकोपकारी व कल्याणकारी विभागों के लिए, २६३.०७ लाख आमद के संचय के लिए, ५१७.९३ लाख शासन प्रबन्ध के लिए (जिसमें ३०७.०० लाख पुलिस के लिए हैं), २२३.७९ विविध विभागों व अन्य कार्यवाहियों के लिए, १७६.६७ व्यवसायिक विभागों के लिए और —५०.३६ सरकारी अनाज व्यवसाय योजना के लिए खर्च किये जायेंगे। सन् १९४८-४९ में एकीकृत राज्यों द्वारा लोकोपकारी व कल्याणकारी विभागों पर ५४७.६४ लाख रुपयों का खर्चा किया गया जो १९५१-५२ में बढ़ कर ७५९.६३ लाख रुपया हो गया और १९५२-५३ (संशोधित) में ९९५.६८ लाख हो जायगा व १९५३-५४ में १२४०.७५ लाख के खर्च की व्यवस्था की गई है। इससे ऐसा मालूम होगा कि लोकोपकारी व कल्याणकारी कार्यों के खर्चे में धीरे धीरे वृद्धि हो रही है और जहां तक हमारे आर्थिक साधन साथ देते हैं हम ऐसे राज्य के बदले जहां जैसे तैसे राज्य चलाने की नीति थी कल्याणकारी राज्य का निर्माण

[श्री जयनारायण व्यास]

करते जा रहे हैं। अभी बहुत कुछ करना शेष है लेकिन सदन की सहायता, सद्भावना, सलाह व सहयोग से सरकार राजस्थान के लोगों को सम्पन्न बनाने के कार्यों की पर्याप्त प्रगति करने में समर्थ हो सकेगा।

४९. माननीय सदस्यों को मालूम होगा कि राज्य की आमदनी का एक बड़ा भारी हिस्सा सिंचाई पर खर्च किया जा रहा है। भाकरा नांगल, चम्बल, जवाई, मोरेल और ऐसे ही अन्य कार्यों पर, व छोटे सिंचन पर, ट्यूब वेल्स के खुदवाने में, नये कुए बनवाने, व मौजूदा कुओं को अधिक गहरा करवाने में जो रुपया खर्च किया गया वह खर्च प्रतीत होता है लेकिन वास्तव में वह ऐसी जमा पूंजी है जिसका मूल्य इस समय नहीं मालूम हो सकता किन्तु कुछ वर्ष व्यतीत हो जाने पर प्रकट होगा।

५०. खेती हमारा मुख्य धन्धा है और उस पर हमें अपनी आमदनी का ज्यादा से ज्यादा हिस्सा खर्च करने में संकोच नहीं करना चाहिये, लेकिन साथ ही हमें दूसरे धन्धों को भी आंखों से ओझल नहीं करना चाहिये। जनता के आर्थिक जीवन को सुधारने के लिए, पशुपालन, पशुसुधार, ऊन इकट्ठा करना, उसका वर्गीकरण करना तथा उसकी गांठे तैयार करना, ऊन की चीजें तैयार करना, दूध बढ़ाने के साधनों में वृद्धि करना, दूध से तैयार की हुई चीजों का विकास करने, घरेलू धन्धों द्वारा विकास व उपयोगिता की चीजों का निर्माण करना और ऐसे उद्योगों द्वारा तैयार की हुई चीजों के खपत की व्यवस्था करना हमारा एक मुख्य लक्ष्य होना चाहिये। इसलिये घरेलू धन्धों की मौजूदा व्यवस्था में पर्याप्त वृद्धि की गई है। ऐसे मामलों में सरकार की नीति अधिक खर्च करके अधिक प्राप्ति करने की परन्तु अधिक धन बरबाद न करने के लिए सावधान रहने की होगी।

५१. इस राज्य की आमदनी का एक मुख्य साधन खानें हैं, जिनपर हमारी समृद्धि निर्भर है। भिन्न भिन्न खानों में किये गये काम की मात्रा बहुत बढ़ गई है, लेकिन खानों के रियायत नियमों (Mineral Concession Rules) के कारण हमारी आमदनी बहुत कम हो गई है क्योंकि उन नियमों ने रॉयल्टी के रूप में होने वाली राज्य की आमदनी बहुत कम करदी है। इस विषय में भारत सरकार से ध्यान देने की प्रार्थना की जा रही है। हम आशा करते हैं कि आगामी बजट पेश करने के समय तक इस संबंध में अवस्था सुधर जायगी।

५२. यदि मैं फाईनेन्स विभाग में अपने पूर्वाधिकारी श्री नाथूराम मिर्धा को उन कष्टों के लिए, जो उन्होंने संकट और चिन्ता से पूर्ण समय में उठाये तथा मंत्री-मंडल के अपने समस्त सहयोगियों को, जिन्होंने किफायत करने में सहयोग दिया एवं आमदनी को बढ़ाने के लिए मूल्यवान सुझाव प्रस्तुत किए, धन्यवाद न दूं तो अपने कर्त्तव्य-पालन में त्रुटि करूंगा।

५३. मैं समझता हूं कि सदन मौजूदा करों में किये जाने वाले परिवर्तनों या लगाये जाने वाले नये करों के संबंध में सरकार की नीति जानने को इच्छुक होगा। सरकार द्वारा लगाये जाने वाले नए करों के संबंध में कानून बनाने संबंधी प्रारम्भिक कार्यवाहियां चालू साल में पूरी हो चुकी हैं। उनके संबंध में आवश्यक विधेयक सदन के विचारार्थ आते रहेंगे।

[श्री जयनारायण व्यास]

५४. सरकार की घोषित नीति यही है कि इन्टर-स्टेट ट्रान्जिट ड्यूटी में क्रमशः कमी की जाय। इस नीति का पालन नहीं किया जा सका। परन्तु इसे कार्यरूप में परिणत न करना अनुचित होगा। सरकार कुछ वस्तुओं पर से जकात पूरी की पूरी हटा देने व कुछ चीजों पर से मौजूदा जकात को कम कर देने का विचार कर रही है जिससे जनता पर बोझा कम हो सके। कुछ वस्तुओं पर बिक्री कर लगाने का बिचार है।

५५. यह उपाय ऊपर गिनाए गये मदों पर जकात हटा देने या कम कर देने से होने वाली कमी को पूरा तो नहीं कर सकते, पर आम जनता को ज्यादा तकलीफ पहुंचाये बिना आर्थिक स्थिति में कुछ सुधार अवश्य करेंगे।

मैं जानता हूं और अनुभव करता हूं कि जन कल्याण के लिए हम इतना रुपया नहीं दे सकते हैं जितना कि हम देना चाहते हैं। न चाहने पर भी हमें इस मद के लिए दी जाने वाली रकम को इस लिए सीमित रखना पड़ रहा है कि हमें आगे के लिए इन्तजाम करना है। १९५४-५५ में हमें इण्टर-स्टेट ट्रांजिट ड्यूटीज (कस्टम) की आमदनी में आनेवाली एक बड़ी कमी को पूरा करना है। १९५६-५७ के बाद प्राथमिक शिक्षा पर भी अधिक व्यय वहन करना पड़ेगा। उस वर्ष इस कार्य के लिए ४ लाख रुपये की हमें केन्द्र से अन्तिम सहायता ही होगी। हमें आशा है कि उस समय तक म्युनिसिपैल्टियां और पञ्चायतें अधिक साधन सम्पन्न होंगी व सरकार की सहायता पर निर्भर रहना समाप्त कर देंगी; साथ ही हमारी जिम्मेदारियों में हिस्सा बंटा सकेंगी। हमें यह भी आशा है कि बिजलीघर, छापेखाने आदि व्यवसायिक विभागों का भी उस समय तक पुनर्संगठन हो जायगा और उनमें भी फायदा होने लगेगा जिससे हमारा भार ही कम नहीं हो जायगा वरन् हम उनके प्रति आर्थिक जिम्मेदारी से पूरी तरह से बरी हो जायेंगे।

अंत में मैं यह बतादूं कि बजट की संक्षेप में स्थिति इस प्रकार है:—

आमदनी	१९४४.००
राजस्व से किया जाने वाला खर्च	१९४४.००
बचत	×

५६. हमारी स्थिति इतनी गंभीर नहीं है जितनी कही जाती थी पर फिर भी हम इससे अधिक प्रगतिशील आर्थिक नीति को कार्यान्वित करने की स्थिति में नहीं हैं। हमें आशा है कि केन्द्रीय सरकार के पथ प्रदर्शन व सहायता तथा सदन के सदस्यों के सहयोग से हम इन कठिनाइयों से साफ बच कर निकलने में समर्थ होंगे और ऐसे उज्जवल भविष्य का निर्माण कर सकेंगे जिसमें किसी को मकान, कपड़ा और अन्न के अभाव में कष्ट नहीं भुगतना पड़ेगा, जिसमें हरेक सुखी जीवन व्यतीत कर सकेगा, शिक्षा व चिकित्सा संबंधी अधिक सुविधायें प्राप्त कर सकेगा और समृद्धिशाली और प्रगतिपूर्ण जीवन व्यतीत कर सकेगा।

जय हिन्द।

(करतल ध्वनि)

श्री अध्यक्ष—हम इस सदन से उठें इसके पहले मैं माननीय सदस्यों से यह निवेदन करूंगा कि वे जब जावें तो इस सदन के नोटिस ऑफिस से बजट सम्बन्धी आवश्यक कागजात लेते जावें।

Page No.101

[श्री अध्यक्ष]

दूसरी बात में माननीय सदस्यों से जानना चाहूंगा वह यह है कि आज के दो बिल जो कल पर रखे गये हैं उनका विचारार्थ कल क्वेश्चन ऑवर सस्पेन्ड करके ले लिये जावें या नहीं ?

आय-व्ययक भाषण सम्बन्धी वाद-विवाद पर समय की वृद्धि

श्री गोपीलाल यादव—में निवेदन करूंगा कि चाहे क्वेश्चन आवर को सस्पेन्ड कर दिया जाय किन्तु प्राइवेट मेम्बर्स बिजनेस को चार घन्टे एक सप्ताह में अलॉट किये गये हैं वह समय बढा दिया जाय।

बजट सम्बन्धी सामग्री अगर यहीं टेबिल पर ही मिल जाय तो अच्छा होगा क्योंकि नोटिस ऑफिस में काफी भीड़ होजायगी और दिक्कत रहेगी ।

श्री जसवन्तसिंह—जहां तक कापियों के मिलने का सवाल है मैं यह निवेदन करूंगा कि फाइनेन्स मिनिस्टर की स्पीच के बाद ही यहां पर बजट सम्बन्धी कागजात दिये जाते हैं, पार्लियामेंन्ट या विधान सभाओं में यही नियम है। नोटिस ऑफिस से प्राप्त करने में काफी दिक्कत होगी। वहां जगह काफी तंग है । इस सामग्री को वहां पर लेने में काफी समय लग जावेगा ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—जहां तक क्वेश्चन ऑवर्स सस्पेन्ड करने का सवाल है मैं आपको यह निवेदन करूंगा कि मेरी राय में यह नहीं किया जाना चाहिये ।

श्री अध्यक्ष—This is only for to-morrow.

श्री जसवन्तसिंह—क्वेश्चन्स आवर्स महत्वपूर्ण होते हैं । मैं नहीं समझता हूं कि जब हमारे पास काफी समय है तो क्यों इतनी जल्दी की जाय ? जो समय जिस काम के लिये रखा गया है वह उसके लिये परिपूर्ण होना ही चाहिये ताकि हरएक सदस्य को अपने विचार प्रगट करने का काफी समय मिले और वह समय दिया जाना चाहिये ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—एक और चीज है जिसके बारे में मैं प्रार्थना करना चाहता हूं । हमें जो टाइम टेबिल दिया गया है उसमें बजट की डिबेट के लिये डेढ़ दिन रखा गया है । मेरा ख्याल है कि बजट पर डेढ़ दिन में जनरल डिबेट हो जाना कठिन ही नहीं है बल्कि नामुमकिन है । अतः मेरा यह निवेदन है कि क्वेश्चन ऑवर्स को सस्पेन्ड न किया जाय और बजट की बहस के लिये भी समय बढ़ाया जाय और इस टाइम टेबिल को रिएडजस्ट किया जाय ।

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मन्त्री)—सुबह और शाम दोनों टाइम रख लिया जाय तो ठीक होगा ।

श्री कानसिंह—सुबह और शाम दोनों टाइम आना प्रायः मुमकिन नहीं होगा।

श्री मानसिंह (जमुआ रामगढ़)—शाम के बदले रात को सेशन रख दिया जाय तो अच्छा होगा ।

[श्री जयनारायण व्यास]

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मन्त्री)—मन्जूर है

(हंसी)

श्री अध्यक्ष—We may meet from 8A.M. to 1 P. M.

श्री मानसिंह (जमुआ रामगढ़)— अध्यक्ष महोदय, बजट के बारे में विचार हो रहा है। बजट डिस्कशन के लिये डेढ़ दिन रखा गया है जो बहुत ही कम है। उसके बारे में फिर रीकन्सीडर किया जाना चाहिये। एक एक मद पर ही दो दो दिन लग जाते हैं फिर राजस्थान में सारे बजट पर जो डेढ़ दिन ही एलॉट किया गया है, यह अपर्याप्त है।

श्री अध्यक्ष—The Leader of the House and the Leader of the Opposition may discuss and decide.

(विराम)

In the meantime Copies of the Budget are being distributed. I may inform the members that the House is adjourned for to-morrow at 8·15 A.M. instead of 8·30 A.M.

(सदन की कार्यवाही ५ बज कर ५ मिनिट पर बुधवार १८-३-५३ के प्रातः सवा आठ बजे तक के लिये स्थगित हुई।)

सभा भवन,
जयपुर,
दिनांक १७-३-५३

मनसाराम पुरोहित,
सचिव,
राजस्थान विधान सभा।